



जी.एस.टी.



एफएक्यू

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड



केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
नई दिल्ली

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)
पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
(एफएक्यू)

प्रस्तावना

संविधान के 8 सितंबर, 2016 को 101वें संशोधन अधिनियम के अस्तित्व में आ जाने पर और 15 सितम्बर को जी.एस.टी. परिषद की अधिसूचना के साथ जी.एस.टी. प्रस्तुत करने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। सरकार सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार जी.एस.टी. को 1 अप्रैल 2017 को पेश करने के लिये काफी उत्सुक है। इस दिशा में केंद्र और राज्यों के अप्रत्यक्ष कर अधिकारियों के साथ ही व्यापार को जी.एस.टी. की अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और जी.एस.टी. की पद्धतियों के बारे में प्रशिक्षित करना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स की राष्ट्रीय अकादमी, (नासेन) केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत अप्रत्यक्ष कराधान में क्षमता निर्माण के लिये शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है जिसके द्वारा केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों को जी.एस.टी. प्रशिक्षण प्रदान करने का आदेश दिया गया है। नासेन, केंद्र और राज्य के लगभग 60,000 अप्रत्यक्ष कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए व्यापक स्तर पर क्षमता निर्माण आयोजित कर रहा है ताकि जी.एस.टी. लागू करने के समय इन अधिकारियों को पूरी तरह से तैयार किया जा सके। नासेन ने पहले से फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये देश भर में लगभग 2000 प्रशिक्षकों की एक टीम तैयार की है। सीमित समय की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, नासेन व्यापक प्रशिक्षण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कक्षा के अतिरिक्त, आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण साधनों, जैसे वर्चुअल क्लासरूम और ई-लर्निंग मॉड्यूल का भी प्रयोग करने की योजना बना रहे हैं।

इस क्षमता निर्माण के अभ्यास के भाग के रूप में, नासेन ने प्रशिक्षण और इंटरैक्टिव सत्र आयोजित करने के समय एकत्रित सूचनाओं के आधार पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) संकलित किये हैं, जिससे अधिकारी एवं जनता मॉडल जी.एस.टी. कानून और इसकी बारीकियों से परिचित हो सकें। एफएक्यू को केंद्रीय और राज्यों के अधिकारियों की टीम की मदद से तैयार किया गया है और समीक्षा की गई है। मैं उन सभी अधिकारियों को उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूँ जिन्होंने इस पुस्तिका के तैयार करने में अपना बहुमूल्य योगदान किया है।

मुझे पूरा विश्वास है कि यह एफएक्यू/प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों का संकलन जिसमें 24 विषयों में फौले 500 प्रश्नों का समावेश किया गया है, कर अधिकारियों, व्यापार और जनता के लिए जी.एस.टी. के ज्ञान के प्रसार में एक प्रभावी साधन होगा। यह मॉडल जी.एस.टी. कानून पर आधारित पहला संस्करण है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र में जारी किया जा चुका है। जब कभी भी प्रासंगिक विधियों का अधिनियमन और नियम गठित किये जाएंगे, नासेन, एफएक्यू के अपडेट/अद्यतन संस्करण जारी करेगा।



नजीब शाह
अध्यक्ष, सीबीईसी

विषय-सूची

1. वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का अवलोकन.....	3
2. करारोपण (Levy) और कर से छूट.....	19
3. पंजीकरण.....	27
4. आपूर्ति का अर्थ तथा संभावना.....	45
5. आपूर्ति का समय.....	53
6. जी.एस.टी. में मूल्यांकन.....	59
7. कर का जी.एस.टी. भुगतान.....	65
8. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स.....	77
9. जॉब वर्क.....	85
10. इनपुट टैक्स क्रेडिट.....	91
11. जी.एस.टी. में इनपुट सेवा वितरक की अवधारणा.....	105
12. रिटर्न की प्रक्रिया और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान.....	113
13. आंकलन और लेखा-परीक्षण.....	125
14. प्रतिदाय/रिफंड.....	137
15. मांग और वसूली.....	145
16. जी.एस.टी. में अपील, समीक्षा और संशोधन.....	155
17. अग्रिम न्यायिक निर्णय.....	165
18. निपटान आयोग.....	175
19. निरीक्षण, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी.....	187
20. अपराध और दंड, अभियोजन और संयुक्तिकरण.....	211
21. आई.जी.एस.टी. अधिनियम का अवलोकन.....	227
22. वस्तुओं और सेवाओं का आपूर्ति स्थल.....	233
23. जी.एस.टी. पोर्टल पर दृश्यपटल व्यापारिक (Frontend Business) प्रक्रिया.....	243
24. परिवर्ती प्रावधान.....	261

श्री समीर बजाज, अपर निदेशक, नासेन, की देखरेख में श्री दीपक माटा, सहायक निदेशक, नासेन, मुंबई और संजीव नायर, परीक्षक, सीईएसटीएटी मुंबई, द्वारा निर्मित।

श्री पी.के. मोहंती, सलाहकार, सीबीईसी (अध्याय 1); श्री विशाल प्रताप सिंह, डीसी (जी.एस.टी.), जी.एस.टी. पॉलिसी विंग, सीबीईसी (अध्याय 2), डॉ. पी.डी. वाघेला, सीसीटी, गुजरात (अध्याय 3 और 7); श्री डी.पी. नागेन्द्र कुमार, प्रधान अपर महानिदेशक, डीजीसीईआई, बंगलुरु (अध्याय 4 और 6); श्री उपेंद्र गुप्ता, आयुक्त, जी.एस.टी., सीबीईसी (अध्याय 8 और 11); श्री ऋत्विक् पांडे, सीसीटी, कर्नाटक (अध्याय 12); श्री अरुण कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव, सीटीडी, बिहार (अध्याय 13); श्री खालिद अनवर, वरिष्ठ जेसीटी, पश्चिम बंगाल (अध्याय 14 और 24); श्री अजय जैन, प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क, अहमदाबाद (अध्याय 15); श्री बी. बी. अग्रवाल, प्रधान आयुक्त, हैदराबाद (अध्याय 16); श्री शशांक प्रिया, एडीजी, डी.जी. जी.एस.टी., सीबीईसी (अध्याय 17 और 20); श्री जी.डी. लोहानी, सीसीई, फरीदाबाद (अध्याय 21 और 22); और श्री प्रकाश कुमार, सीईओ, जी.एस.टी.एन (अध्याय 23), द्वारा समीक्षित।

एफएक्यू पर टिप्पणियाँ और सुझाव कृपया dg.nacen-cbec@nic.in पर भेजे जा सकते हैं

अस्वीकरण:

जी.एस.टी. पर यह एफएक्यू नासेन द्वारा संकलित किये गये हैं और इसे स्रोत प्रशिक्षकों द्वारा संचालित किया गया है जो जून 2016 में सार्वजनिक क्षेत्र में जारी मॉडल जी.एस.टी. कानून के मसौदे पर आधारित है। यह एफएक्यू/प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न, प्रशिक्षण और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।

इस पुस्तिका में जानकारियाँ केवल एक सामान्य अवलोकन प्रदान करने के इरादे से दी गई हैं और इन्हें कानूनी सलाह या राय अपनाने के इरादे से नहीं दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए, आपसे मॉडल जी.एस.टी. कानून का संदर्भ लेने का अनुरोध करते हैं।

यदि किसी मामले में एफएक्यू के अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण में कोई विरोधाभास पाया जाता है, तब अंग्रेजी संस्करण ही मान्य और अंतिम होगा।

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का अवलोकन

1. वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का अवलोकन

प्र 1. वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) क्या है?

उत्तर: यह वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर लगाया गया गंतव्य आधारित कर है। इसे विनिर्माण से अंतिम उपभोग के सभी चरणों पर कर लगाने के लिये प्रस्तावित किया जाता है और पिछले चरणों में भुगतान किये कर को अलग करने के लिये क्रेडिट प्राप्त किया जाता है। संक्षेप में, केवल मूल्य संवर्धन (value addition) पर ही कर लगाया जाएगा और कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

प्र 2. उपभोग पर गंतव्य आधारित कर की वास्तव में क्या अवधारणा है?

उत्तर: उस कर—प्राधिकरण को कर की प्राप्ति, जिसके अधिकार क्षेत्र के स्थान पर उपभोग किया जाएगा और जिसे आपूर्ति स्थल भी कहा जाता है, उपर्जित है।

प्र 3. किस मौजूदा कर को जी.एस.टी. में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित किया गया है?

उत्तर: जी.एस.टी. में निम्नलिखित करों को प्रतिस्थापित किया जायेगा:

- (i) आज के समय केंद्र द्वारा वर्तमान समय पर लगाए और संग्रह किए जाने वाले कर:
 - क. केंद्रीय उत्पाद शुल्क
 - ख. उत्पाद शुल्क (दवाईयां और प्रसाधन पदार्थ)
 - ग. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं)
 - घ. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा और कपड़ों की वस्तुएं)

- ड. अतिरिक्त सीमा शुल्क (सामान्यतः सीवीडी से जाना जाता है)
 - च. अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क (एसएडी)
 - छ. सेवा कर
 - ज. केंद्रीय/राज्य अधिशुल्क और उपकर जहां तक वे वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित हैं
- (ii) उन राज्य करों को स्पष्ट करें जिन्हें जी.एस.टी. में प्रतिस्थापित किया जाएगा:**
- क. राज्य वैट(मूल्य वर्धित कर)
 - ख. केंद्रीय बिक्री कर
 - ग. विलास कर (लकजरी टैक्स)
 - घ. प्रवेश कर (सभी रूपों में)
 - ड. मनोरंजन और मनोरंजक कर (सिवाय तब जब स्थानीय निकायों द्वारा करारोपण किया गया है)
 - च. विज्ञापनों पर कर
 - छ. क्रय कर
 - ज. लॉटरी, शर्त और जुए पर कर
 - झ. राज्य अधिभार और उपकर जहां तक वे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं

जी.एस.टी. परिषद केंद्र और राज्यों को केंद्रीय, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा करों, उपकरों और अधिभारों के करारोपण के लिये सिफारिश करेगी जिन्हें जी.एस.टी. में सम्मिलित किया जा सकता है।

प्र 4. जी.एस.टी. के अंतर्गत उपरोक्त करों को सम्मिलित करने के लिये किन सिद्धांतों को अपनाया गया था?

उत्तर: विभिन्न केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय करों का परीक्षण करने के बाद जी.एस.टी. में सम्मिलित करने की संभावना की पहचान की

गई थी। पहचान करने के समय, निम्न सिद्धान्तों को ध्यान में रखा गया था:

- (i) सम्मिलित किये जाने वाले करों या उपकरणों को मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति में, या तो वस्तु की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति होना चाहिये।
- (ii) सम्मिलित किये जाने वाले करों या उपकरणों को लेनदेन की श्रृंखला का हिस्सा होना चाहिये जो आयात/विनिर्माण/वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं के एक स्थान पर प्रारम्भ के साथ दूसरे स्थान पर वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग पर समाप्त होता है।
- (iii) करों या करारोपण (लेवी) सम्मिलित करने के परिणाम स्वरूप राज्य के भीतर और अंतर-राज्य स्तर में टैक्स क्रेडिट का मुक्त प्रवाह होना चाहिए। जो कर, उपकरण और फीस विशेष रूप से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित नहीं हैं जी.एस.टी. के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किये जाने चाहिए।
- (iv) केंद्र और राज्यों को व्यक्तिगत रूप से राजस्व निष्पक्षता का प्रयास करने की आवश्यकता होगी।

प्र 5: किन वस्तुओं को जी.एस.टी. के दायरे से बाहर रखा जाना प्रस्तावित है?

उत्तर: मानव उपभोग के लिए षराब, पेट्रोलियम उत्पाद अर्थात कच्चा पेट्रोलियम तेल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन एवं बिजली।

प्र 6: जी.एस.टी. क्रियान्वित करने के बाद उपरोक्त वस्तुओं के करारोपण के संबंध में क्या स्थिति होगी?

उत्तर: उपरोक्त वस्तुओं के संबंध में मौजूदा कराधान प्रणाली (वैट और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) अस्तित्व में जारी रहेगी।

प्र 6अ:जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों की क्या स्थिति होगी ?

उत्तर: तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद जीएसटी के अधीन होंगे। इसके अतिरिक्त केन्द्र इन उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आरोपित करने हेतु सशक्त होगा।

प्र 7. किस प्रकार का जी.एस.टी. लागू करने का प्रस्ताव किया गया है।

उत्तर: यह केंद्र और राज्यों के साथ एक साथ सामान्य कर आधार पर आरोपित एक दोहरा जी.एस.टी. होगा। वस्तुओं या सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर केंद्र द्वारा लगाये गये कर को केंद्रीय जी.एस.टी. (सी.जी.एस.टी.) कहा जायेगा तथा राज्यों द्वारा लगाये करों को राज्य जी.एस.टी. (एस.जी.एस.टी.) कहा जायेगा। इसी प्रकार केंद्र द्वारा प्रत्येक अंतर-राज्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) लगाने तथा प्रशासित करने की व्यवस्था है।

प्र. 8. दोहरा जी.एस.टी. क्यों आवश्यक है?

उत्तर: भारत एक संघीय देश है, जहां केंद्र और राज्यों को उनके उपयुक्त कानून के माध्यम से करारोपण और एकत्र करने की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। दोनों सरकार के स्तर पर अलग-अलग जिम्मेदारियों का निष्पादन के अनुसार संविधान में शक्तियों का विभाजन निर्धारित किया गया है जिसके लिये उन्हें संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता होती है। दोहरा जी.एस.टी., इसीलिये, वित्तीय संघवाद की संवैधानिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

प्र 9. कौन सा प्राधिकरण जी.एस.टी. करारोपण और उसका प्रशासन करेगा?

उत्तर: केंद्र सी.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. का करारोपण और प्रशासन करेगा, जबकि संबंधित राज्य एस.जी.एस.टी. करारोपण और प्रशासन करेंगे।

प्र 10. भारत के संविधान को हाल ही में जी.एस.टी. के संदर्भ में क्यों संशोधित किया गया था?

उत्तर: वर्तमान में, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय अधिकार स्पष्ट रूप से संविधान में सीमांकित किये गये हैं जिनमें संबंधित क्षेत्रों के बीच लगभग किसी तरह का ओवरलैप नहीं है। केंद्र के अधिकार में वस्तुओं के विनिर्माण (सिवाय मानव उपभोग के लिये शराब, अफीम, नशीले पदार्थों आदि को छोड़कर) पर कर लगाने की शक्तियां हैं, जबकि राज्यों के अधिकार में वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अंतर-राज्य बिक्री के मामले में केंद्र सरकार को वस्तुओं की बिक्री पर कर (केंद्रीय बिक्री कर) लगाने की शक्ति है लेकिन, कर पूरी तरह से राज्यों द्वारा एकत्र किया जाता है। जहां तक सेवाओं का प्रश्न है, केवल केंद्र को सेवा कर लगाने के लिये सशक्त किया गया है।

जी.एस.टी. प्रस्तुत करने के लिए संविधान में आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता थी ताकि केंद्र और राज्यों को एक साथ कर लगाने और एकत्र करने के लिये सशक्त किया जा सके। भारत के संविधान को संविधान के (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा हाल ही में इस प्रयोजन के लिये संशोधित किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 246ए केंद्र और राज्यों का कर लगाने और जी.एस.टी. एकत्र करने के लिए सशक्त करती है।

प्र 11. किस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के एक विशेष लेन-देन के लिये कर एक साथ केंद्रीय जी.एस.टी. (सी.जी.एस.टी.) और राज्य जी.एस.टी. (एस.जी.एस.टी.) के अंतर्गत लगाया जाएगा?

उत्तर: केंद्रीय जी.एस.टी. और राज्य जी.एस.टी. को एक साथ प्रत्येक वस्तुओं और सेवाओं के लेनदेन पर लगाया जायेगा सिवाय छूट दी गई वस्तुओं और सेवाओं और जी.एस.टी. के दायरे से बाहर की वस्तुओं और उन लेनदेन को छोड़कर जिनका मूल्य निर्धारित सीमा से नीचे है। आगे, दोनों पर एक कीमत या मूल्य पर कर लगाया जायेगा राज्य

वैट के विपरीत जिसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य में सेनवैट जोड़कर वैट लगाया जाता है। जबकि सी.जी.एस.टी. के प्रयोजन के लिये देश के भीतर आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति प्राप्तकर्ता के स्थान का कोई अर्थ नहीं है और एस.जी.एस.टी. तभी लगाया जाएगा जब आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति प्राप्तकर्ता एक ही राज्य के भीतर स्थित हैं।

चित्रण I: मान लीजिए कि सी.जी.एस.टी. की दर 10 प्रतिशत और एस.जी.एस.टी. की दर 10 प्रतिशत है। जब उत्तर प्रदेश में स्टील का एक थोक व्यापारी एक निर्माण कंपनी को स्टील की सलाखों और छड़ों की आपूर्ति करता है जो उसी राज्य के भीतर स्थित है; मान लें कि 100 रुपये में, डीलर 10 रुपये का सी.जी.एस.टी. और 10 रुपये का एस.जी.एस.टी. माल के मूल दाम में जोड़कर वसूल करेगा। उस सी.जी.एस.टी. की रकम केंद्र सरकार के खाते में जमा करनी है, जबकि एस.जी.एस.टी. के हिस्से की राशि संबंधित राज्य सरकार के खाते जमा करना आवश्यक होगा। जाहिर है, कि उसे वास्तव में 20 रुपये (10+10 रुपये) नकद राशि में जमा करना आवश्यक नहीं होगा क्योंकि वह इस दायित्व को अपनी खरीद पर भुगतान किये गये सी.जी.एस.टी. या एस.जी.एस.टी. के (इनपुट, कहते हैं) के विरुद्ध समायोजित करने का हकदार होगा। लेकिन सी.जी.एस.टी. भुगतान करने के लिए उसे केवल अपनी खरीद पर सी.जी.एस.टी. क्रेडिट का उपयोग करने की ही अनुमति दी जाएगी जबकि सी.जी.एस.टी. के लिये वह अकेले एस.जी.एस.टी. के क्रेडिट का उपयोग कर सकता है। दूसरे शब्दों में, एस.जी.एस.टी. क्रेडिट को, आमतौर पर, एस.जी.एस.टी. के भुगतान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। न ही एस.जी.एस.टी. क्रेडिट को सी.जी.एस.टी. के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

चित्रण II: मान लीजिए, फिर अनुमानतः कि सी.जी.एस.टी. की दर 10 प्रतिशत और एस.जी.एस.टी. की दर भी 10 प्रतिशत है। जब मुंबई में स्थित एक विज्ञापन कंपनी महाराष्ट्र राज्य के भीतर स्थित एक साबुन विनिर्माण कंपनी के लिए विज्ञापन सेवाओं की आपूर्ति करती है, आईये मान लेते हैं कि 100 रुपये, विज्ञापन कंपनी सेवा

की मूल कीमत पर 10 रूपये सी.जी.एस.टी. और 10 रूपये एस.जी.एस.टी. शुल्क लगायेगी। उसे सी.जी.एस.टी. का हिस्सा केंद्र सरकार के खाते में, और एस.जी.एस.टी. हिस्सा संबंधित राज्य सरकार के खाते में जमा करना आवश्यक होगा। बेशक, उसे फिर से, वास्तव में 20 रूपये (10+10 रु) का नकद भुगतान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह इस दायित्व को अपनी खरीद पर भुगतान किये गये सी.जी.एस.टी. या एस.जी.एस.टी. के (इनपुट जैसे स्टेशनरी, ऑफिस उपकरण, कलाकारों की सेवाएं इत्यादि कहते हैं) के विरुद्ध समायोजित करने का हकदार होगा। लेकिन सी.जी.एस.टी. भुगतान करने के लिए उसे केवल अपनी खरीद पर सी.जी.एस.टी. क्रेडिट / जमा का उपयोग करने की ही अनुमति दी जाएगी जबकि एस.जी.एस.टी. के लिये वह अकेले एस.जी.एस.टी. के क्रेडिट का उपयोग कर सकता है। दूसरे शब्दों में, सी.जी.एस.टी. क्रेडिट को, आमतौर पर, एस.जी.एस.टी. के भुगतान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। न ही एस.जी.एस.टी. क्रेडिट को सी.जी.एस.टी. के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्र 12. वे कौन से लाभ हैं जो देश को जी.एस.टी. से प्राप्त होंगे?

उत्तर: जी.एस.टी. की पेशकश भारत के अप्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। बहुत सारे केंद्रीय और राज्यों के करों को एकल कर में मिलाकर और पूर्व-चरणों के करों को समाप्त करने की अनुमति देकर, यह व्यापक रूप से गिरावट के बुरे प्रभावों को काफी हद तक कम करने में मदद करेगा और समान राष्ट्रीय बाजार के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ा फायदा समग्र माल पर कर बोझ में कमी है, जिसका वर्तमान समय में 25 से 30 प्रतिशत का अनुमान है। जी.एस.टी. की पेशकश हमारे उत्पादों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी प्रतिस्पर्धी बनाएगा। अध्ययनों से पता चलता है कि इससे आर्थिक विकास में तुरन्त तेजी आ जाती है। वहाँ केंद्र और राज्यों के लिए भी

कर आधार को व्यापक करने के कारण राजस्व लाभ हो सकता है, व्यापार में वृद्धि और कर अनुपालन भी बेहतर होगा। अंतिम लेकिन कम नहीं है, इस कर की पारदर्शी प्रकृति के कारण, इसका प्रशासन भी आसान होगा।

प्र 13. आई.जी.एस.टी. क्या है?

उत्तर: जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत, अंतर-राज्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर केंद्र द्वारा एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) कर लगाया और एकत्र किया जायेगा। संविधान के अनुच्छेद 269ए के अंतर्गत, अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर जी.एस.टी. लगाया जाएगा और भारत सरकार द्वारा एकत्र किया जायेगा और कथित कर को केंद्र और राज्य के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जायेगा जिस प्रकार संसद द्वारा वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर कानून बनाकर किया जा सकता है।

प्र 14. जी.एस.टी. कर लगाने के लिए कौन इसकी दरें तय करेगा?

उत्तर: सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से तय की गई दरों पर लगाया जाएगा। दरों को जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाएगा।

प्र 15. जी.एस.टी. परिषद की क्या भूमिका होगी?

उत्तर: जी.एस.टी. परिषद के गठन में केंद्रीय वित्त मंत्री (जो परिषद के अध्यक्ष होंगे), राज्यमंत्री (राजस्व) और राज्य वित्त/कराधान मंत्री सम्मिलित होंगे जो केंद्र और राज्यों को निम्न पर अपनी सिफारिशें करेंगे:

- (i) केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा लगाये करों, उपकरणों और अधिभारों पर जिन्हें जी.एस.टी. के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है;
- (ii) वस्तुओं और सेवाओं पर जो जी.एस.टी. के अधीन की जा सकती हैं या जिन्हें छूट दी जा सकती है;

- (iii) जिस तारीख को पेट्रोलियम कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रीट (आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर जी.एस.टी. लगाया जाएगा;
- (iv) मॉडल जी.एस.टी. कानून, करारोपण के सिद्धांत, आई. जी.एस.टी. का संविभाजन और वे सिद्धांत जो आपूर्ति स्थल को निर्धारित करते हैं;
- (v) कुल बिक्री की वह सीमा रेखा जिसके नीचे वस्तुओं और सेवाओं को जी.एस.टी. से छूट दी जा सकती है;
- (vi) वह दरें जिनमें जी.एस.टी. बैंड सहित न्यूनतम तय दरें शामिल हैं;
- (vii) प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कोई विशेष दर या निर्धारित अवधि के लिए तय की गई दरें;
- (viii) उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के संबंध में विशेष प्रावधान; तथा
- (ix) जी.एस.टी. से संबंधित कोई अन्य मामला, जिसपर परिषद निर्णय ले सकती है;

प्र 16. जी.एस.टी. परिषद के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं?

उत्तर: जी.एस.टी. परिषद की प्रक्रिया केंद्र और राज्यों के साथ-साथ राज्यों के बीच जी.एस.टी. के विभिन्न पहलुओं पर सामंजस्य बनाये रखना सुनिश्चित करेगी। संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 में यह प्रावधान किया गया है कि जी.एस.टी. परिषद, अपने विभिन्न कार्यों के निष्पादन में जी.एस.टी. की सामंजस्य संरचना की जरूरत और वस्तुओं और सेवाओं के अनुकूल राष्ट्रीय बाजार के विकास के लिए निर्देशित की जायेगी।

प्र 17. जी.एस.टी. परिषद द्वारा कैसे निर्णय लिया जाएंगे?

उत्तर: संविधान का (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 प्रावधान करता है कि जी.एस.टी. परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक में कम से कम कुल उपस्थित सदस्यों के 3/4 के बहुमत से मतदान करने के बाद लिया जाएगा। बैठक में कुल डाले गये मतों के 1/3 हिस्से का महत्व केंद्र सरकार के मतों का और बाकी सभी राज्य सरकारों का एक साथ मिलकर कुल डाले गये मतों का 2/3 हिस्से का महत्व होगा। जी.एस.टी. परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से आधे के साथ बैठकों का कोरम गठित होगा।

प्र 18. प्रस्तावित जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत कौन जी.एस.टी. भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है?

उत्तर: जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत, कर का भुगतान वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कराधीन व्यक्ति द्वारा देय है। कर के भुगतान के लिए दायित्व तब उत्पन्न होता है जब कराधीन व्यक्ति छूट दी गई सीमारेखा (threshold exemption) को पार कर लेता है, यानि 10 लाख रुपए (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह 5 लाख रुपये होगी) सिवाय कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर कराधीन व्यक्ति जी.एस.टी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है भले ही उसने निर्धारित सीमा रेखा की छूट को पार नहीं किया है। सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अंतर-राज्य में आपूर्ति की गई सभी वस्तुओं और/या सेवाओं पर देय है। सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी संबंधित अधिनियमों की अनुसूचियों में निर्दिष्ट दरों पर देय हैं।

प्र 19. जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत छोटे कर दाताओं के लिये क्या लाभ उपलब्ध हैं?

उत्तर: वे कर दाता जिनका एक वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार (10 लाख रुपये) तक है उन्हें कर से मुक्त किया जाएगा। (सकल कुल बिक्री में कुल कर योग्य और गैर-कर योग्य आपूर्ति, छूट दी गई आपूर्ति और वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का कुल मूल्य शामिल

होगा और कर अर्थात जी.एस.टी. शामिल नहीं होंगे।) सकल कुल बिक्री की गणना अखिल भारतीय आधार पर की जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए, छूट सीमा (रुपए 5 लाख) होगी। सीमा में छूट के पात्र सभी करदाताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) लाभ के साथ कर के भुगतान करने का विकल्प उपलब्ध होगा। अंतर-राज्य आपूर्ति करने वाले कर दाताओं या रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान कर रहे कर दाताओं को सीमा में छूट की पात्रता प्राप्त नहीं होगी।

प्र 20. जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को कैसे वर्गीकृत किया जाएगा?

उत्तर: एच.एस.एन. (हार्मोनाइज़्ड सिस्टम आफ नॉमॅक्लेचर) कोड को जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। करदाताओं जिनकी कुल बिक्री/टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से ऊपर है लेकिन 5 करोड़ रुपये से कम है, वे 2 अंकों के कोड का उपयोग कर पाएंगे और वह करदाता जिनकी कुल बिक्री/टर्नओवर 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक है वह 4 अंकों के कोड का उपयोग करेंगे। ऐसे करदाताओं को जिनकी कुल बिक्री 1.5 करोड़ रुपये के नीचे है उन्हें अपने चालान/बिलों पर एचएसएन कोड का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

सेवाओं को सर्विस एकाउंटिंग कोड के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा (एस.ए.सी.)

प्र 21. जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत आयात पर किस प्रकार कर लगाया जायेगा?

उत्तर: वस्तुओं और सेवाओं के आयात को अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और देश में वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर आई.जी.एस.टी. लगाया जाएगा। कर की घटना का गंतव्य सिद्धांत पालन करेंगे और एस.जी.एस.टी. के मामले में कर राजस्व उस

राज्य द्वारा प्राप्त किया जायेगा जहां आयातित वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जा रहा है। वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर पिछले चरण में भुगतान किया गया जी.एस.टी. कर पूरा और सारा (full and final) सेट-ऑफ (वापसी) पुनः प्राप्त हो जाएगा।

प्र 22. जी.एस.टी. के अंतर्गत निर्यात से कैसे व्यवहार किया जाएगा?

उत्तर: निर्यात को शून्य दर की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। वस्तुओं या सेवाओं के निर्यात पर कोई कर देय नहीं होगा, हालांकि इनपुट टैक्स क्रेडिट पर जमा सुविधा उपलब्ध रहेगी और उसे निर्यातकों को रिफंड कर दिया जाएगा।

प्र 23. जी.एस.टी. के अंतर्गत संरचना योजना (composite scheme) का क्या कार्यक्षेत्र है?

उत्तर: वे छोटे करदाता जिनकी एक वित्तीय वर्ष में टर्नओवर (50 लाख रुपए) तक है, संरचना कर के पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत, एक कर दाता बिना आई.टी.सी. लाभ लिये एक वित्तीय वर्ष में अपनी टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में कर का भुगतान करता है। सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. के लिए कर की सीमारेखा (threshold) की दर (1 प्रतिशत) से कम नहीं होगी। संरचना का विकल्प चयन करने वाला करदाता अपने ग्राहकों से किसी भी प्रकार का कर वसूल नहीं करेगा। वह करदाता जो अंतर-राज्य आपूर्ति कर रहा है या रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान करता है संरचना योजना का पात्र नहीं होगा।

प्र 24. क्या संरचना योजना वैकल्पिक या अनिवार्य होगी?

उत्तर: वैकल्पिक है।

प्र 25. जी.एस.टी.एन.. क्या है और जी.एस.टी. व्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है?

उत्तर: जी.एस.टी.एन. वस्तुओं एवं सेवाओं का कर एक नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) है। यह एक विशेष प्रयोजन के लिये माध्यम है जिसे जी.एस.टी.एन. कहा जाता है और इसे जी.एस.टी. की जरूरतों को पूरा करने के लिये स्थापित किया गया है। जी.एस.टी.एन. केंद्रीय और राज्य सरकारों, कर दाताओं और अन्य हितधारकों को जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के लिये आईटी बुनियादी सुविधाएं साझा करेगा। जी.एस.टी.एन. के काम में, अन्य बातों के साथ, शामिल होंगे: (i) पंजीकरण की सुविधा; (ii) केन्द्रीय और राज्य के अधिकारियों को रिटर्न अग्रेषित करना; (iii) आई.जी.एस.टी. की संगणना और निपटान; (iv) बैंकिंग नेटवर्क के साथ कर भुगतान विवरणों का मिलान करना; (v) केन्द्र और राज्य सरकारों को करदाताओं के रिटर्न/वापसी की जानकारी के आधार पर विभिन्न एमआईएस सूचना प्रदान करना; (vi) करदाताओं के प्रोफाइल का विश्लेषण प्रदान करना; और (vii) इनपुट टैक्स क्रेडिट के मिलान, उलटने और पुर्नदावा करने के लिये उसी के अनुकूल इंजन का संचालन करना।

जी.एस.टी.एन.. पंजीकरण, भुगतान, रिटर्न और एम.आई.एस./ रिपोर्ट के लिए एक आम जी.एस.टी. पोर्टल और एप्लीकेशंस विकसित कर रहा है। जी.एस.टी.एन.. में मौजूदा कर प्रशासन में उपयोग की जा रही आईटी प्रणालियों के साथ एक आम जी.एस.टी. पोर्टल को एकीकृत किया जाएगा और करदाताओं के लिए इंटरफेस का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जी.एस.टी.एन. 19 राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों (मॉडल II राज्यों) के लिये मूल्यांकन, लेखा परीक्षण, रिटर्न, अपील इत्यादि के लिये एक बैक-एंड मॉड्यूल भी विकसित कर रहा है। सीबीईसी और मॉडल I राज्य (15 राज्य) स्वयं अपने जी.एस.टी. बैक-एंड सिस्टम् विकसित कर रहे हैं। जी.एस.टी. के फ्रंट-एंड सिस्टम को बैक-एंड सिस्टम से एकीकृत कर प्रक्रिया सुगम करने के लिये पहले से ही परीक्षण पूरा कर लिया जायेगा।

प्र 26. जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत विवादों का समाधान कैसे किया जायेगा?

उत्तर: संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 प्रदान करता है कि वस्तुओं और सेवाओं की परिषद या उसके कार्यान्वयन की सिफारिशों से उत्पन्न किसी भी विवाद में निर्णय देने के लिये एक मैकेनिज़्म स्थापित करेगी—

- (क) भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच; या
- (ख) भारत सरकार और कोई राज्य या एक से अधिक राज्य एक तरफ तथा एक या एक से अधिक राज्य दूसरी तरफ, के बीच; या
- (ग) दो या अधिक राज्यों के बीच,

प्र 27. जी.एस.टी. पेश करने के लिये अन्य क्या कानूनी आवश्यकताएं हैं?

उत्तर: जी.एस.टी. (केंद्रीय जी.एस.टी. विधेयक, एकीकृत जी.एस.टी. विधेयक और राज्य जी.एस.टी. विधेयक) करारोपण के लिये उपयुक्त विधेयक को संविधान से शक्तियां प्राप्त हुई हैं जिसे संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित करने की आवश्यकता होगी। संविधान के संशोधन जिसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है उसके विपरीत, जी.एस.टी. विधेयक को एक साधारण बहुमत से पारित करने की आवश्यकता होगी। जाहिर है, कर की वसूली केवल तभी शुरू की जा सकती है जब जी.एस.टी. का कानून संसद और संबंधित विधान मंडलों द्वारा अधिनियमित किया जाएगा।

करारोपण (Levy) और
कर से छूट

2. करारोपण (Levy) और कर से छूट

प्र 1. जी.एस.टी. करारोपण की शक्तियां कहां से उत्पन्न होती हैं?

उत्तर: संविधान के अनुच्छेद 246ए, जिसे संविधान (101वें संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा पेश किया गया था संसद और राज्य विधान सभाओं को जी.एस.टी. के संबंध में कानून बनाने के लिए समवर्ती शक्तियां प्रदत्त करता है। हालांकि, अनुच्छेद 246ए के खंड 2 को अनुच्छेद 269ए के साथ पढ़ने पर संसद विधान सभाओं को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के संबंध में कानून बनाने के लिये विशिष्ट शक्तियां प्रदान करती है।

प्र 2. जी.एस.टी. के अंतर्गत कराधीन घटना क्या है?

उत्तर: वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति। सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. राज्य के भीतर आपूर्ति पर लगाया जाएगा जबकि आई.जी.एस.टी. अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाएगा। सीजी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 7(1) और आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 4(1) है।

प्र 3. क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म केवल सेवाओं पर लागू होता है?

उत्तर: नहीं, रिवर्स चार्ज/प्रभार वस्तुओं और सेवाओं दोनों की आपूर्ति पर लागू होता है।

प्र 4. अपंजीकृत व्यापारियों से माल की खरीद के मामले में क्या उलझने होंगी?

उत्तर: माल प्राप्त करने वाला आई.टी.सी. (Input Tax Credit) प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, वे प्राप्तकर्ता जो संरचना योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हैं रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

प्र 5. वस्तुओं के विनिमय के संबंध में, यथा सोने की घड़ी के बदले रेस्तरां सेवाएं कराधीन लेन-देन होंगे जैसा दो अलग-अलग आपूर्तियां में होता है या वे केवल मुख्य आपूर्तिकर्ता के हाथ में कराधीन होगा?

उत्तर: नहीं। उपरोक्त मामले में उपभोक्ता द्वारा रेस्तरां को घड़ी की आपूर्ति का लेनदेन एक स्वतंत्र आपूर्ति नहीं मानी जाएगी क्योंकि वह व्यापार का प्रमुख हिस्सा नहीं है। यह रेस्तरां द्वारा उसे आपूर्ति करने के प्रतिफल (consideration) के रूप में दिया गया था। यह रेस्तरां द्वारा करयोग्य आपूर्ति होगी।

प्र 6. क्या बिना प्रतिफल (consideration) के की गई आपूर्ति जी.एस.टी. के अंतर्गत आपूर्ति के दायरे में मानी जाएगी?

उत्तर: हाँ, केवल उन मामलों में जिन्हें मॉडल जी.एस.टी. कानून की अनुसूची I के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है।

प्र 7. वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति के लेनदेन के लिये कौन अधिसूचित कर सकता है?

उत्तर: केन्द्र सरकार या राज्य सरकार जी.एस.टी. परिषद की सिफारिश पर वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति किये जाने वाले लेन-देन को अधिसूचित कर सकते हैं।

प्र 8. क्या एक कराधीन व्यक्ति 3 व्यावसायिक कार्यक्षेत्र में से संरचना योजना (composite scheme) का एक विकल्प चुनने का पात्र होगा?

उत्तर: नहीं, संरचना योजना उन सभी व्यापारिक कार्यक्षेत्रों/पंजीकरणों पर लागू होगी जिन्हें कराधीन व्यक्ति द्वारा एक पी.ए.एन. (PAN) पर अलग अलग लिये गये हैं।

प्र 9. यदि कराधीन व्यक्ति अंतर-राज्य आपूर्ति करता है तब क्या संरचना योजना का लाभ उठाया जा सकता है?

उत्तर: नहीं, संरचना योजना लागू किये जाने की शर्त यह है कि कराधीन व्यक्ति अंतर-राज्य आपूर्ति नहीं करता।

प्र 10. क्या संरचना योजना के अंतर्गत एक कराधीन व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है?

उत्तर: नहीं, संरचना योजना के अंतर्गत कराधीन व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगा।

प्र 11. क्या एक ग्राहक एक संरचना योजना के अंतर्गत कराधीन व्यक्ति से खरीदारी करने पर संरचना कर को इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में दावा कर सकता है?

उत्तर: नहीं, कोई भी ग्राहक जो संरचना योजना के अंतर्गत कराधीन व्यक्ति से माल खरीदता है संरचना कर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का पात्र नहीं है क्योंकि संरचना योजना आपूर्तिकर्ता कर चालान/बिल जारी नहीं कर सकता।

प्र 12. क्या संरचना कर ग्राहकों से एकत्र किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं, संरचना योजना के अंतर्गत कराधीन व्यक्ति को कर एकत्र करने के लिये प्रतिबंधित किया गया है। इसका मतलब है कि एक संरचना योजना आपूर्तिकर्ता कर चालान/बिल जारी नहीं कर सकता।

प्र 13. संरचना योजना के अंतर्गत कर भुगतान के विकल्प की सीमा रेखा क्या है?

उत्तर: संरचना योजना के लिए एक वित्तीय वर्ष में टर्नओवर/कुल बिक्री की 50 लाख रुपये सीमा है।

प्र 14. संरचना योजना की पात्रता निर्धारित करने के लिए 'सकल बिक्री' की गणना कैसे करें?

उत्तर: सकल बिक्री की गणना करने की कार्यप्रणाली धारा 2(6) में दी गई है। तदनुसार, 'सकल बिक्री' का मतलब सभी आपूर्ति का मूल्य

(करयोग्य और गैर-करयोग्य आपूर्ति + छूट प्राप्त आपूर्ति + निर्यात) हैं और इसमें सीजी.एस.टी. अधिनियम, एस.जी.एस.टी. अधिनियम और आई.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए कर, आवक आपूर्ति के मूल्य + रिवर्स प्रभार के अंतर्गत एक ही पी.ए.एन. के कराधीन व्यक्ति द्वारा की गई आपूर्ति का मूल्य शामिल नहीं होगा।

प्र 15. यदि एक कराधीन व्यक्ति शर्तों का उल्लंघन करता है और संरचना योजना के अंतर्गत कर के भुगतान प्राप्त करने का पात्र नहीं है तब उसके क्या दण्डात्मक परिणाम हैं?

उत्तर: कराधीन व्यक्ति जो संरचना योजना के लिए पात्र नहीं था, वह कर, ब्याज और उसके अतिरिक्त देय कर की राशि के बराबर दंड का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा। (एमजीएल की धारा 8(3))।

प्र 16. संरचना योजना के लिए निर्धारित की गई कर की न्यूनतम दर क्या है?

उत्तर: 1 प्रतिशत

प्र 17. जब वस्तुओं और/या सेवाओं पर एकत्रित कर की पूरी छूट को बिना शर्त दिया जाता है, क्या कराधीन व्यक्ति कर का भुगतान कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं, कथित वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध कराने वाला कराधीन व्यक्ति इन वस्तुओं या सेवाओं पर कर इकट्ठा नहीं करेगा।

प्र 18. कर/शुल्क की छूट (remission) क्या है?

उत्तर: इसका मतलब कर दाता को उस माल के कर के भुगतान के दायित्व से मुक्त करना है जब वह माल गुम या किसी प्राकृतिक कारण से नष्ट हो जाता है। छूट शर्तों के अधीन है जो कानून और नियमों के अंतर्गत उनके लिये निर्धारित किये जाते हैं।

प्र 19. क्या जी.एस.टी. कानून के अंतर्गत छूट की अनुमति दी गई है या नहीं?

उत्तर: हाँ, मॉडल जी.एस.टी. कानून की प्रस्तावित धारा 11 माल की आपूर्ति पर कर की छूट की अनुमति प्रदान करती है।

प्र 20. क्या आपूर्ति से पहले माल के खो जाने या नष्ट होने पर छूट की अनुमति है?

उत्तर: कर की छूट केवल तब लागू होगी जब कर कानून के अनुसार देय हो जाता है अर्थात् करयोग्य घटना का होना आवश्यक है और कानून के अनुसार कर का भुगतान आवश्यक है। जी.एस.टी. कानून के अंतर्गत, करारोपण माल की आपूर्ति पर लागू होता है। जहां माल आपूर्ति करने से पहले खो जाता है या नष्ट हो जाता है, कर के भुगतान के लिये कर योग्य घटना घटित नहीं होती। तदनुसार, कर से छूट का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्र 21. क्या किसी भी कारण से माल खो जाने या नष्ट हो जाने पर छूट की अनुमति दी जाती है?

उत्तर: नहीं, प्रस्तावित धारा 11 की सरल भाषा पढ़ने पर, छूट की अनुमति केवल उन मामलों में दी जाती है जहां प्राकृतिक कारणों से माल की आपूर्ति की मात्रा कम पाई जाती है।

प्र 22. क्या मॉडल जी.एस.टी. कानून सक्षम सरकार को आपूर्ति पर जी.एस.टी. लगाने से छूट देने में सशक्त करता है?

उत्तर: हाँ। मॉडल जी.एस.टी. कानून की धारा 10 के अंतर्गत, केंद्र या राज्य सरकार, जी.एस.टी. परिषद की सिफारिश पर आपूर्ति पर कर लगाने से साधारणतया या शर्तों के अधीन छूट दे सकती है।

पंजीकरण

3. पंजीकरण

प्र 1. जी.एस.टी. में पंजीकरण करवाने के क्या लाभ हैं?

उत्तर: वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के अंतर्गत पंजीकरण करवाना व्यवसाय को निम्नलिखित लाभ प्रदत्त करेगा:

- वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त होती है
- इनपुट वस्तुओं या सेवाओं के समुचित कर भुगतान के लेखा जिन्हें वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या व्यापार द्वारा दोनो पर देय जी.एस.टी. भुगतान के लिये प्रयोग किया जा सकता है।
- अपने खरीदारों से कानूनी तौर पर कर जमा करने और वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर खरीदार या प्राप्तकर्ताओं को देय करों को क्रेडिट करने के लिये अधिकृत किया है।

प्र 2. क्या बिना जी.एस.टी. पंजीकरण किया व्यक्ति आईटीसी और कर एकत्र कर सकता है?

उत्तर: नहीं। बिना जी.एस.टी. पंजीकरण के कोई भी व्यक्ति न तो अपने ग्राहकों से जी.एस.टी. एकत्र कर सकता है और न ही अपने द्वारा भुगतान किए गए जी.एस.टी. के किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है।

प्र 3. पंजीकरण की प्रभावी तिथि क्या होगी?

उत्तर: पंजीकरण के लिए जहां पर आवेदन किया गया है उसकी प्रस्तुति के 30 दिनों के भीतर व्यक्ति पंजीकरण करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, पंजीकरण की प्रभावी तिथि उसके पंजीकरण के अपने दायित्व की तिथि होगी।

जहाँ आवेदक द्वारा पंजीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है उसके 30 दिनों के बाद वह पंजीकरण का उत्तरदायी बन जाता है, पंजीकरण की प्रभावी तिथि उसे पंजीकरण प्रदान करने की तारीख होगी।

स्वतः पंजीकरण के मामले में, अर्थात् स्वेच्छा से पंजीकरण लेना जबकि कर भुगतान के लिए सीमा में छूट की सीमा के भीतर है, पंजीकरण की प्रभावी तिथि पंजीकरण के आदेश की तिथि होगी।

प्र 4. मॉडल जी.एस.टी. कानून के अंतर्गत कौन व्यक्ति पंजीकरण लेने के लिए उत्तरदायी हैं?

उत्तर: कोई भी आपूर्तिकर्ता जो भारत के किसी भी स्थान से व्यापार कर रहा है और जिसकी कुल बिक्री एक वित्तीय वर्ष में निर्धारित सीमा से अधिक है वह स्वयं पंजीकरण के लिये उत्तरदायी है। हालांकि, एम.जी.एल. अनुसूची III में उल्लिखित व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों को इस सीमा का ख्याल किये बिना पंजीकृत किया जा सकता है।

एक किसान को कराधीन व्यक्ति नहीं माना जायेगा और वह पंजीकरण करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (धारा 9 (1) के अनुसार)

प्र 5. कुल बिक्री क्या है?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 2(6) के अनुसार, कुल बिक्री में कुल मूल्य शामिल है:

- (i) सभी कर योग्य और गैर-कर योग्य आपूर्तियां,
- (ii) छूट प्राप्त आपूर्तियां, और
- (iii) एक ही पैन के व्यक्ति द्वारा वस्तुओं और/या सेवाओं का निर्यात

उपरोक्त की अखिल भारतीय स्तर पर संगणना की जायेगी और इसमें सी.जी.एस.टी. अधिनियम, एस.जी.एस.टी. अधिनियम और

आई.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत वसूल किये गये शुल्क शामिल नहीं होंगे।

कुल बिक्री में आपूर्तियों के वे मूल्य जिन पर रिवर्स शुल्क के आधार पर कर लगाया जाता है, और आवक का आपूर्ति मूल्य शामिल नहीं होंगे।

प्र 6. कौन सा मामलों में पंजीकरण अनिवार्य है?

उत्तर: एम.जी.एल. की अनुसूची III के पैरा 5 के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से निर्धारित सीमा की परवाह किए बिना पंजीकृत करवाना आवश्यक होगा;

- क) व्यक्ति जो किसी प्रकार की अंतर-राज्य कराधीन आपूर्ति कर रहे हैं;
- ख) आकस्मिक कराधीन व्यक्ति;
- ग) वे व्यक्ति जिन्हें रिवर्स प्रभार के अंतर्गत कर भुगतान करना आवश्यक है;
- घ) अनिवासी (एनआरआई) कराधीन व्यक्ति
- ङ) वे व्यक्ति जिन्हें धारा 37 के अंतर्गत कर की कटौती करना आवश्यक है;
- च) वे व्यक्ति जो अन्य पंजीकृत कराधीन व्यक्तियों की ओर से वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति करते हैं, चाहे अभिकर्ता या अन्य किसी रूप में;
- छ) इनपुट सेवा वितरक/डिस्ट्रीब्यूटर;
- ज) वे व्यक्ति जो ब्रांडेड सेवाओं को छोड़कर वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कामर्स ऑपरेटर के माध्यम से;
- झ) प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक कामर्स ऑपरेटर;
- ञ) एक एग्रीगेटर जो सेवाओं की आपूर्ति अपने ब्रांड नाम या ट्रेड नाम से प्रदान करता है; तथा

ट) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग जिन्हें परिषद की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

प्र 7. मॉडल जी.एस.टी. कानून के अंतर्गत पंजीकरण लेने के लिए क्या समय सीमा है?

उत्तर: कोई भी व्यक्ति जिस तिथि को वह पंजीकरण करने के लिये उत्तरदायी हो जाता है, उस तिथि के तीस दिनों के भीतर उसे पंजीकरण कर लेना चाहिये, इस विधि और इस तरह की शर्तों के अधीन जिस प्रकार वे निर्धारित की जा सकती हैं।

प्र 8. यदि एक व्यक्ति एक ही पैन नंबर के साथ अलग-अलग राज्यों में व्यवसाय संचालित कर रहा है, क्या वह एक ही पंजीकरण के साथ व्यवसाय संचालित कर सकता है?

उत्तर: नहीं। प्रत्येक वह व्यक्ति जो पंजीकरण लेने के लिए उत्तरदायी है उसे प्रत्येक उन राज्यों में अलग-अलग पंजीकरण लेना आवश्यक है जहां पर वह व्यवसाय संचालित कर रहा है और मॉडल जी.एस.टी. कानून की धारा 19 की उप-धारा (1) के अनुसार जी.एस.टी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

प्र 9. एक व्यक्ति जिसके एक राज्य में कई व्यापारिक व्यवसाय हैं क्या वह अलग पंजीकरण प्राप्त कर सकता है?

उत्तर: हाँ। धारा 19 की उप-धारा (2) के संदर्भ में, एक व्यक्ति को एक राज्य में कई व्यापार व्यवसाय/कार्यक्षेत्र के संचालन के लिये प्रत्येक का अलग पंजीकरण प्राप्त करना चाहिये, इन शर्तों के अधीन जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है।

प्र 10. क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से पंजीकृत करे हालांकि तब जब वह जी.एस.टी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं भी हो सकता है?

उत्तर: हाँ। धारा 19 की उप-धारा (3) के संदर्भ में, हालांकि, एक व्यक्ति अनुसूची III के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिये उत्तरदायी नहीं होते हुए भी, अपनी स्वेच्छा से स्वयं को पंजीकृत कर सकता है, और इस अधिनियम के सभी प्रावधानों के रूप में जो एक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति पर लागू होते हैं, उस व्यक्ति पर भी लागू होंगे।

प्र 11. क्या पंजीकरण प्राप्त करने के लिये स्थायी खाता संख्या (पैन) अनिवार्य है?

उत्तर: हाँ। प्रत्येक व्यक्ति के पास मॉडल जी.एस.टी. कानून की धारा 19 के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त करने की पात्रता के क्रम में आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी किया गया स्थायी खाता संख्या (पैन) रखना अनिवार्य होगा।

हालांकि एम.जी.एल. की धारा 19 (4ए) के अनुसार, अनिवासी/एनआरआई कराधीन व्यक्ति के लिये पैन रखना अनिवार्य नहीं है और उसे किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर पंजीकरण दिया जा सकता है, जिस रूप में उसे निर्धारित किया जा सकता है।

प्र 12. क्या सक्षम अधिकारी के माध्यम से विभाग, इस अधिनियम के अंतर्गत स्वतः एक व्यक्ति के पंजीकरण को आगे बढ़ा सकता है?

उत्तर: हाँ। धारा 19 की उप-धारा (5) के अनुसार, जहां एक व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किये जाने के लिये उत्तरदायी है और पंजीकृत करवाने में विफल रहता है, सक्षम अधिकारी, कोई भी कार्रवाई बिना पक्षपात किये कर सकता है अर्थात्, या एम.जी.एल. या किसी अन्य प्रचलित कानून के अंतर्गत की जा सकती है, ऐसे व्यक्ति को उस ढंग से पंजीकृत करने के लिए कार्यवाही कर सकता है जिसे निर्धारित किया जा सकता है।

प्र 13. क्या एक सक्षम अधिकारी पंजीकरण के लिये किये गये आवेदन को अस्वीकार कर सकता है?

उत्तर: हाँ। एम.जी.एल. की उप-धारा 7 के अनुसार, सक्षम अधिकारी विधिवत सत्यापन के बाद पंजीकरण के लिए किये गये आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। हालांकि, धारा 19 की उप-धारा 8 में यह प्रदान किया गया है कि सक्षम अधिकारी पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या के लिये किये गये आवेदन को कारण बताओ नोटिस और व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना अस्वीकार नहीं करेगा।

प्र 14. क्या किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया पंजीकरण स्थायी है?

उत्तर: हाँ, एक बार पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने पर वह स्थायी हो जाता है जब तक कि उसे अभ्यर्पण, रद्द, निलंबित या वापस नहीं ले लिया जाता।

प्र 15. क्या संयुक्त राष्ट्र निकायों के लिये एम.जी.एल. के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है?

उत्तर: संयुक्त राष्ट्र के सभी निकायों के वाणिज्य दूतावासों या विदेशी देशों के दूतावासों और किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्तियों को जिन्हें अधिसूचित किया गया है उन्हें जी.एस.टी. पोर्टल से एक विशिष्ट पहचान संख्या (यू.आई.एन.) प्राप्त करना आवश्यक होगा। कथित आईडी की संरचना जी.एस.टी.आई.एन. के अनुरूप सभी राज्यों में एक समान होगी और वह केंद्र और राज्यों के लिए भी एक समान होगी। इन यू.आई.एन. की जरूरत उनके द्वारा करों के भुगतान की वापसी का दावा करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिये होगी, जिसे जी.एस.टी. नियमों में निर्धारित किया जा सकता है।

प्र 16. संयुक्त राष्ट्र निकायों को आपूर्ति करने वाले कराधीन व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है?

उत्तर: इन संगठनों को आपूर्ति करने वाले कराधीन आपूर्तिकर्ता से चालान/बिल पर यू.आई.एन. उल्लिखित करने की अपेक्षा की जाती

है और ऐसी आपूर्ति को दूसरे पंजीकृत व्यक्ति (बी2बी) को की जाने वाली आपूर्ति माना जायेगा और इन बिलों को आपूर्तिकर्ता द्वारा अपलोड किया जाएगा।

प्र 17. क्या सरकारी संगठन के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है?

उत्तर: सरकारी प्राधिकरणों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) को जो जी.एस.टी. माल की आगे आपूर्ति नहीं कर रहे (और इसलिये जी.एस.टी. पंजीकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं है) लेकिन अंतर-राज्यीय खरीद कर रहे हैं, उन्हें संबंधित राज्य कर प्राधिकारियों द्वारा जी.एस.टी. पोर्टल के माध्यम से एक विशिष्ट पहचान संख्या (आई.डी.) प्रदान किया जाएगा।

प्र 18. एक आकस्मिक कराधीन व्यक्ति कौन है?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा (21)2 में एक आकस्मिक कराधीन व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति से है जो कभी कभार कर योग्य शासित प्रदेश में लेनदेन करता है जहां पर उसका व्यापार का निश्चित स्थान नहीं है।

प्र 19. अप्रवासी/एन.आर.आई. कराधीन व्यक्ति कौन है?

उत्तर: यह एक कराधीन व्यक्ति है जो भारत से बाहर निवास करता है और कभी कभार भारत में आकर देश में लेनदेन करता है लेकिन भारत में उसका कोई स्थायी व्यावसायिक स्थान नहीं है और इसे एम.जी.एल. की धारा 2(69) के अनुसार अप्रवासी कराधीन व्यक्ति कहा जायेगा।

प्र 20. एक आकस्मिक कराधीन व्यक्ति और अप्रवासी कराधीन व्यक्ति को जारी किये पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि क्या है?

उत्तर: पंजीकरण का प्रमाण पत्र एक "आकस्मिक कराधीन व्यक्ति" और "अप्रवासी कराधीन व्यक्ति" को जारी किये गये पंजीकरण

प्रमाण पत्र जारी करने की प्रभावी तिथि से नब्बे दिन की अवधि तक वैध होगी। हालांकि, सक्षम अधिकारी कथित कराधीन व्यक्ति के निवेदन पर, उपरोक्त अवधि की वैधता को नब्बे दिन की अवधि तक बढ़ा सकता है।

प्र 21. क्या इस विशेष श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त करने के समय एक "आकस्मिक कराधीन व्यक्ति" और "अप्रवासी कराधीन व्यक्ति" को कोई अग्रिम कर का भुगतान करने की आवश्यकता है?

उत्तर: हाँ। जबकि एक सामान्य कराधीन व्यक्ति को धारा 19 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने के समय पंजीकरण प्राप्त करने के लिए राशि जमा करना आवश्यक नहीं होता, लेकिन एक आकस्मिक कराधीन व्यक्ति या एक अप्रवासी कराधीन व्यक्ति, धारा 19 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन करने के समय उस अवधि के लिये अनुमानित कर देयता के बराबर की राशि में कर की अग्रिम राशि जमा करेंगे जिस अवधि के लिये उक्त व्यक्ति पंजीकरण की मांग करता है। यदि पंजीकरण की अवधि को प्रारम्भिक नब्बे दिनों की अवधि से आगे बढ़ाया जाता है, अनुमानित कर देयता के लिए अग्रिम कर की अतिरिक्त राशि के बराबर की उतनी रकम जमा की जायेगी जितने समय के लिये उस अवधि को नब्बे दिनों से आगे बढ़ाने की मांग की गई है।

प्र 22. क्या पंजीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन करने की अनुमति है?

उत्तर: हाँ। धारा 20 के अनुसार, सक्षम अधिकारी, इस तरह की जानकारी जो उसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दी गई है या उसने स्वयं उसका पता लगाया है, पंजीकरण विवरणों में इस ढंग से संशोधन स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है और उस अवधि के भीतर जैसा निर्धारित की जा सकती है। इस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि सक्षम अधिकारी द्वारा जानकारी के संशोधन की अनुमति केवल

कुछ प्रमुख क्षेत्रों के लिए ही आवश्यक होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए, पंजीकृत व्यक्ति स्वयं भी संशोधन कर सकता है।

प्र 23. क्या पंजीकरण प्रमाणपत्र के रद्दीकरण की अनुमति है?

उत्तर: हाँ। एम.जी.एल. की धारा 21 में व्यक्त स्थितियों में, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किये गये पंजीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है। सक्षम अधिकारी, या तो अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या आवेदन करने पर, निर्धारित तरीके से, पंजीकृत कराधीन व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति की मौत के मामले में उसके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा, पंजीकरण को इस तरीके और उस अवधि के भीतर रद्द कर सकता है, जिस रूप में वह निर्धारित किया जा सकता है।

प्र 24. क्या सी.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण रद्द करने का अर्थ एस.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत भी रद्द करना है?

उत्तर: हाँ। एक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण रद्द (जैसे सी.जी. एस.टी. अधिनियम) करना दूसरे अधिनियम (अर्थात् एस.जी.एस.टी. अधिनियम) के अंतर्गत भी रद्द माना जायेगा। (धारा 21(6))

प्र 25. क्या एक सक्षम अधिकारी स्वयं पंजीकरण रद्द कर सकता है?

उत्तर: हाँ, एम.जी.एल. की धारा 21(2) में उल्लिखित कुछ निश्चित परिस्थितियों में, सक्षम अधिकारी अपने स्वयं के विवेक पर पंजीकरण रद्द कर सकता है। इन परिस्थितियों में लगातार छह महीने की अवधि के लिये रिटर्न नहीं भरना (एक आम व्यक्ति के लिये) और तीन महीने (एक समझौता करदाता), पंजीकरण की तारीख से छह महीने के भीतर व्यापार शुरू नहीं करना शामिल है। हालांकि, पंजीकरण रद्द करने से पहले, सक्षम अधिकारी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होगा। (धारा 21(4))

प्र 26. क्या होगा जब पंजीकरण जानबूझकर गलत बयान, धोखाधड़ी या तथ्यों को दबाकर प्राप्त किया गया है?

उत्तर: ऐसे मामलों में, सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व प्रभाव से पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। धारा 21(3)।

प्र 27. क्या एम.जी.एल. के अंतर्गत सेवाओं के पंजीकरण के लिए केंद्रीकृत विकल्प उपलब्ध है?

उत्तर: नहीं।

प्र 28. यदि करदाता के एक राज्य में विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्षेत्र हैं, क्या उसे राज्य में इस तरह के प्रत्येक व्यावसायिक कार्यक्षेत्र के लिए अलग-अलग पंजीकरण प्राप्त करना होगा?

उत्तर: नहीं। हालांकि एम.जी.एल. की धारा 19(2) के अनुसार करदाता के पास इन व्यवसायों के लिये स्वतंत्र रूप से इस तरह के अलग अलग पंजीकरण प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध है।

प्र 29. एक आई.एस.डी. कौन है?

उत्तर: आई.एस.डी. आगत (इनपुट) सेवा वितरक/डिस्ट्रीब्यूटर से जाना जाता है और एम.जी.एल. की धारा 2(56) के अनुसार इस रूप में परिभाषित किया गया है। मूल रूप से यह एक कार्यालय है जिसका प्रमुख काम इनपुट सेवाओं की प्राप्ति की दिशा में कर चालान/बिल प्राप्त करना है और आगे आपूर्तिकर्ता को अनुपात में क्रेडिट वितरित करना है।

प्र 30. क्या आई.एस.डी. को मौजूदा करदाता पंजीकरण के अतिरिक्त पृथक पंजीकृत करना आवश्यक होगा?

उत्तर: हाँ। आई.एस.डी. पंजीकरण करदाता के एक कार्यालय के लिए है जो कि सामान्य पंजीकरण से अलग होगा।

प्र 31. क्या एक करदाता के बहुल आई.एस.डी. हो सकते हैं?

उत्तर: हाँ। एक करदाता के विभिन्न कार्यालय आई.एस.डी. के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्र 32. एक व्यवसाय के हस्तांतरण पर क्या दायित्व (जहां तक पंजीकरण का संबंध है) हो सकते हैं?

उत्तर: हस्तांतरिती या उत्तराधिकारी इस तरह के हस्तांतरण या उत्तराधिकार के प्रभाव से पंजीकृत करने के लिए उत्तरदायी हो जायेगा और उसे इस तारीख से प्रभावी नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा। (एम.जी.एल. की अनुसूची III)।

प्र 33. क्या वे सभी निर्धारिती/डीलरों जो पहले से ही मौजूदा केंद्रीय उत्पाद/सेवा कर/वैट कानून के अंतर्गत पंजीकृत हैं उन्हें नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा?

उत्तर: नहीं। जी.एस.टी.एन उन सभी निर्धारिती/डीलरों को जी.एस.टी.एन नेटवर्क पर स्थानांतरित कर देगा और उन्हें एक जी.एस.टी.आईएन संख्या और पासवर्ड जारी करेगा। उन्हें एक निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए आवश्यक सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने का परिणाम उनके जी.एस.टी.आईएन नंबर के रद्द में परिणत होगा।

सेवा कर निर्धारिती जिनके पास केंद्रीकृत पंजीकरण है उन्हें अपने संबंधित राज्यों में जहां से वे अपना व्यापार संचालित कर रहे हैं नये सिरे से पंजीकरण के लिये आवेदन करना होगा।

प्र 34. क्या जॉब वर्कर/कार्यकर्ताओं का पंजीकृत होना अनिवार्य होगा?

उत्तर: नहीं। एम.जी.एल. की धारा 43ए ऐसी किसी भी शर्त को निर्धारित नहीं करती।

प्र 35. क्या वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति जॉब कार्यकर्ता के व्यवसाय स्थल से दी जाएगी?

उत्तर: हाँ। लेकिन केवल उन मामलों में जहां जॉब कार्यकर्ता पंजीकृत है या व्यवसाय के प्रमुख द्वारा यह घोषित किया है कि जॉब कार्यकर्ताओं के कार्यस्थल उसका अपना अतिरिक्त व्यापारिक स्थल है।

प्र 36. पंजीकरण के समय क्या निर्धारिती को अपने सभी व्यवसायिक स्थल घोषित करने होंगे?

उत्तर: हाँ। एम.जी.एल. की धारा 2(78) और 2(75) में प्रमुख व्यवसायिक स्थल और व्यावसायिक स्थल को क्रमशः अलग अलग परिभाषित किया गया है। करदाता को पंजीकरण प्रपत्र में प्रमुख व्यवसायिक स्थल के साथ साथ अपने सारे अतिरिक्त व्यावसायिक स्थलों का ब्यौरा घोषित करना होगा।

प्र 37. क्या उन छोटे डीलरों या जिन डीलरों के पास कोई बुनियादी आईटी सुविधाएं नहीं हैं, उनकी सुविधा के लिये कोई प्रणाली है?

उत्तर: ऐसे करदाता जो आईटी-कुशल नहीं हैं, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी:—

टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर (टी.आर.पी): एक कराधीन व्यक्ति स्वयं अपना पंजीकरण आवेदन तैयार कर सकते हैं/ रिटर्न भर सकते हैं या टी.आर.पी. को संपर्क कर सकते हैं। टी.आर.पी. कथित पंजीकरण दस्तावेज/निर्धारित प्रारूप में रिटर्न कराधीन व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तैयार करेगा। टी.आर.पी. द्वारा तैयार किये प्रारूप में सम्मिलित जानकारियों की शुद्धता और कानूनी जिम्मेदारी केवल कराधीन व्यक्ति पर होगी और टी.आर.पी. किसी त्रुटि या गलत जानकारी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

सुविधा केंद्र (एफ.सी.): दस्तावेजों की विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित कराधीन व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत सारांश शीट सहित प्रारूपों और दस्तावेजों के डिजिटलीकरण और/या अपलोडिंग के लिए जिम्मेदार होंगे। एफसी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करते हुए आम एफसी पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के बाद, स्वीकृति/पावती का एक प्रिंट-आउट लेगा और एफसी द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद वह कराधीन व्यक्ति को उसके रिकार्ड के लिये सौंप दिया जायेगा। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर की गई सारांश शीट को एफसी स्कैन करने के बाद अपलोड कर देगा।

प्र 38. क्या जी.एस.टी.आई.एन पंजीकरण में डिजिटल हस्ताक्षर के लिए कोई सुविधा उपलब्ध है?

उत्तर: करदाताओं के पास प्रस्तुत किये गये आवेदन पर वैध डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग के साथ हस्ताक्षर करने का विकल्प होगा (यदि आवेदक को किसी अन्य प्रचलित कानून के अंतर्गत डीएससी प्राप्त करना आवश्यक है तब उसे उसी का उपयोग करते हुए अपने पंजीकरण आवेदन को प्रस्तुत करना होगा)। जिन व्यक्तियों के पास डिजिटल हस्ताक्षर नहीं है, पंजीकरण पर जी.एस.टी. नियमों में उन्हें वैकल्पिक तंत्र प्रदान किया जाएगा।

प्र 39. ऑनलाइन आवेदन पर निर्णय के लिए क्या समय सीमा होगी?

उत्तर: यदि सूचनाएं तथा अपलोड किये गये दस्तावेज सही क्रम में पाये जाते हैं, राज्य और केंद्रीय प्राधिकारी आवेदन को स्वीकृति दे देंगे और उस स्वीकृति को तीन सामान्य काम के दिनों के भीतर आम पोर्टल पर संचारित कर देंगे। पोर्टल उसके बाद अपने आप पंजीकरण प्रमाणपत्र उत्पन्न कर देगा। किसी मामले में यदि दोनों कर प्राधिकरणों द्वारा आवेदक को तीन सामान्य काम के दिनों के

भीतर किसी कमी के बारे में सूचित नहीं किया जाता तब पंजीकरण को स्वीकृत मान लिया जायेगा {एम.जी.एल. की धारा 19(9)}, और पोर्टल स्वचालित रूप से पंजीकरण प्रमाणपत्र उत्पन्न कर देगा।

प्र 40. यदि ऑनलाइन आवेदन में कोई प्रश्न उठाया जाता है तब आवेदक द्वारा उत्तर करने के लिये कितना समय होगा?

उत्तर: यदि सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान, कोई कर प्राधिकारी कोई प्रश्न उठाता है या कोई त्रुटि सूचित करता है, तो उसके बारे में तीन सामान्य कार्य दिवसों के भीतर जी.एस.टी. के आम पोर्टल के माध्यम से आवेदक और अन्य कर प्राधिकरणों को सूचित किया जाएगा। आवेदक को प्रश्नों के जवाब/त्रुटि को सुधारना/संबंधित कर अधिकारियों द्वारा सूचित अवधि के भीतर प्रश्नों के उत्तर देना होगा। (आम तौर पर यह अवधि सात दिन होगी)।

अतिरिक्त दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्राप्त करने पर, प्रासंगिक कर प्राधिकरण सात सामान्य कार्य दिवसों के भीतर अपने उत्तर देंगे।

प्र 41. पंजीकरण से इन्कार करने की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर: यदि पंजीकरण से इन्कार कर दिया जाता है, आवेदक को बोलने वाला आदेश (Speaking orders) के माध्यम से इस तरह के इन्कार करने के कारणों के बारे में सूचित किया जाएगा। आवेदक को प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार प्राप्त होगा। एम.जी.एल. की धारा 19 की उप-धारा (10) के अनुसार, एक प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण के लिए किये आवेदन की किसी भी अस्वीकृति को अन्य कर प्राधिकरण (अर्थात् एस.जी.एस.टी. अधिनियम/ सी.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत) द्वारा पंजीकरण के लिए किये आवेदन की अस्वीकृति समझा जाएगा।

प्र 42. क्या आवेदन निपटान से संबंधित किसी प्रकार का संचार हो सकता है?

उत्तर: आवेदक को जी.एस.टी. आम पोर्टल द्वारा ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से उसके पंजीकरण आवेदन की स्वीकृति देने या इन्कार करने के तथ्य के बारे में सूचित किया जाएगा। इस चरण पर आवेदक को क्षेत्राधिकारिक विवरण सूचित किये जाएंगे।

प्र 43. क्या जी.एस.टी.एन पोर्टल से पंजीकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड किया जा सकता है ?

उत्तर: यदि पंजीकरण प्रदान किया जाता है तो आवेदक जी.एस.टी. आम पोर्टल से पंजीकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

आपूर्ति का अर्थ तथा संभावना

4. आपूर्ति का अर्थ तथा संभावना

प्र 1. जी.एस.टी. के अंतर्गत कराधीन घटना क्या है?

उत्तर: जी.एस.टी. के अंतर्गत कराधीन घटना वस्तुओं और/या सेवाओं के लिये किसी प्रतिफल के प्रयोजन या व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये की गई आपूर्ति होगी। प्रचलित अप्रत्यक्ष कर कानूनों के अंतर्गत कराधीन घटनाएं जैसे विनिर्माण, बिक्री, या सेवाओं के प्रावधानों को कराधीन घटना जिसे आपूर्ति के रूप में कहा जाता है सम्मिलित किये जाएंगे।

प्र 2. 'आपूर्ति' का क्या अर्थ है?

उत्तर: शब्द 'आपूर्ति' बहुत व्यापक शब्द है और इसमें वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति के सभी रूप जैसे बिक्री, स्थानांतरण, वस्तु विनिमय, अदला-बदली, लाइसेंस, किराया, पट्टा या निपटान करना या करने के विचार पर एक व्यक्ति द्वारा उसके व्यापार को आगे बढ़ाने के प्रयोजन के लिये सहमति देना शामिल है। इसमें सेवाओं का आयात भी शामिल है। मॉडल जी.एस.टी. कानून आपूर्ति के दायरे के भीतर बिना प्रतिफल के कुछ लेनदेन को शामिल करने की भी व्यवस्था प्रदान करता है।

प्र 3. एक कराधीन आपूर्ति क्या है?

उत्तर: एक 'कराधीन आपूर्ति' का अर्थ वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति है जिसपर जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्गत कर देय होता है।

प्र 4. वे कौन से आवश्यक तत्व होते हैं जो एम.जी.एल. के अंतर्गत आपूर्ति का गठन करते हैं?

उत्तर: आदेश में एक 'आपूर्ति' का गठन करने के लिए, निम्न तत्वों को संतुष्ट करना आवश्यक है, यानि –

- (i) वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति;
- (ii) प्रतिफल के लिये की गई आपूर्ति;
- (iii) व्यापार के क्रम में या व्यापार को आगे बढ़ाने के प्रयोजन के लिये की गई आपूर्ति;
- (iv) आपूर्ति कराधीन क्षेत्र में की गई है;
- (v) आपूर्ति कराधीन आपूर्ति है; तथा
- (vi) आपूर्ति कराधीन व्यक्ति द्वारा की गई है।

प्र 5. क्या एक लेनदेन जिसमें एक या उससे अधिक उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं किया गया है, अभी भी जी.एस.टी. के अंतर्गत उसे आपूर्ति माना जा सकता है?

उत्तर: हाँ, कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत जैसे सेवाओं के आयात (धारा 3(1)(ख)) या बिना प्रतिफल के की गई आपूर्ति, एम.जी.एल. की अनुसूची-I के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई है, जहां प्रश्न 4 में पूछे गये उत्तर में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक सामग्री संतुष्ट नहीं हैं, इसे फिर भी जी.एस.टी. कानून के अंतर्गत आपूर्ति माना जायेगा।

प्र 6. धारा 3 की अनुपस्थिति में वस्तुओं का आयात सुस्पष्ट है। क्यों?

उत्तर: वस्तुओं के आयात को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत अलग से निपटा जाता है, जिसमें अतिरिक्त सीमा शुल्क के स्थान पर आई.जी.एस.टी. को बुनियादी सीमा शुल्क के साथ लगाया जाएगा।

प्र 7. क्या निजी-आपूर्ति जी.एस.टी. के अंतर्गत कराधीन है?

उत्तर: अंतर-राज्य निजी आपूर्ति जैसे माल का स्थानांतरण कराधीन होगा क्योंकि कराधीन व्यक्ति को अनुसूची 1(5) के अनुसार राज्य-वार पंजीकरण लेना पड़ता है। इस तरह के लेन-देन कराधीन होते हैं

बेशक उसमें प्रतिफल नहीं है। हालांकि, राज्य के भीतर निजी-आपूर्ति कराधीन नहीं हैं।

प्र 8. क्या माल की आपूर्ति गठित करने के लिए शीर्षक और/या कब्जे का हस्तांतरण एक लेनदेन के लिये आवश्यक है?

उत्तर: एक लेनदेन के लिये शीर्षक के साथ कब्जा दोनों को ही वस्तुओं की आपूर्ति के रूप में विचार किया जाना चाहिये। यदि नाम का हस्तांतरण नहीं किया गया है, लेनदेन को अनुसूची II (1) के अनुसार सेवाओं की आपूर्ति माना जायेगा। कुछ मामलों में, कब्जे को तुरन्त हस्तांतरित किया जा सकता है लेकिन नाम को भविष्य की तारीख में हस्तांतरित किया जा सकता है जैसे स्वीकृति के आधार पर बिक्री के मामले में या किराया खरीद व्यवस्था की तरह। ऐसे लेन-देनों को भी माल की आपूर्ति के रूप में कहा जाएगा।

प्र 9. “कार्यान्वित करने या व्यापार को आगे बढ़ाने के क्रम में की गई आपूर्ति” से क्या मतलब है?

उत्तर: क्या गतिविधि कार्यान्वित करने या व्यापार को आगे बढ़ाने के क्रम में की गई है इसकी एम.जी.एल. के अंतर्गत निर्दिष्ट कोई परिभाषा या परीक्षण नहीं किया गया है। हालांकि, निम्नलिखित व्यापारिक परीक्षण सामान्य रूप से इन निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये लागू किये जाते हैं कि क्या एक आपूर्ति कार्यान्वित करने या व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये की गई है:

1. क्या गतिविधि एक अहम कार्य है जिसका गंभीरतापूर्वक अनुसरण किया जा रहा है?
2. क्या गतिविधि तार्किक या मान्यता योग्य निरंतरता के साथ की गई है?
3. क्या गतिविधि को सही और मान्यता प्राप्त व्यावसायिक सिद्धांतों के आधार पर नियमित तरीके से आयोजित किया गया है?

4. क्या गतिविधि मुख्य रूप से प्रतिफल के लिये / लाभ के मकसद से की गई कराधीन आपूर्ति है?
5. परीक्षण सुनिश्चित कर सकते हैं कि आकस्मिक / कभी कभार की आपूर्ति, भले ही प्रतिफल के लिये की गई है, जी.एस.टी. के दायरे में नहीं आयेगी।

प्र 10. एक व्यक्ति निजी इस्तेमाल के लिए एक कार खरीदता है और एक साल के बाद उसे डीलर को बेच देता है। क्या वह लेनदेन एम.जी.एल. के अनुसार आपूर्ति होगा? उत्तर के लिये कारण बताएं।

उत्तर: नहीं, क्योंकि व्यक्ति द्वारा आपूर्ति व्यापार या व्यापार को आगे बढ़ाने के क्रम में नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, उक्त कार को अधिग्रहण करने पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि यह गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए किया गया था।

प्र 11. एक एयर कंडीशनर का व्यापारी अपने व्यापार के स्टॉक से अपने आवास पर निजी इस्तेमाल के लिए एक एयर कंडीशनर स्थानांतरित करता है। क्या वह लेन-देन आपूर्ति माना जाएगा?

उत्तर. जी हां। अनुसूची-1(1) के अनुसार बिना प्रतिफल के व्यापारिक परिसंपत्तियों का निजी या गैर-व्यावसायिक उपयोग आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।

प्र 12. क्या एक क्लब या संघ या सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों को सेवाओं या वस्तुओं की व्यवस्था करना आपूर्ति के रूप में माना जाएगा?

उत्तर: हाँ। एक क्लब, संघ, सोसाइटी या किसी भी ऐसे निकाय के द्वारा अपने सदस्यों को सुविधाओं की व्यवस्था करना एक आपूर्ति के रूप में माना जायेगा। इसे एम.जी.एल. की धारा 2(17) में 'व्यापार' की परिभाषा में शामिल किया गया है।

प्र 13. अंतर-राज्य आपूर्ति और राज्य के भीतर (राज्यान्तरिक) आपूर्ति क्या हैं?

उत्तर: अंतर-राज्य और राज्य के भीतर आपूर्ति को विशेष रूप से आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 3 और 3ए में कमशः परिभाषित किया गया है। सरल शब्दों में, जहां आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान एक ही राज्य में स्थित है उसे राज्य के भीतर और जहां यह अलग-अलग राज्यों में है इसे अंतर-राज्य आपूर्ति माना जायेगा।

प्र 14. क्या वस्तुओं के उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा? क्यों?

उत्तर: वस्तुओं के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण को सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा क्योंकि इस प्रकार के हस्तांतरण में वस्तुओं का शीर्षक/नाम हस्तांतरित नहीं हुआ। इस तरह के लेन-देन को विशेष रूप से एम.जी.एल. की अनुसूची-II में सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।

प्र 15. क्या काम के अनुबंधों और कंटेरिंग सेवाओं को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा? क्यों?

उत्तर: काम के अनुबंध और कंटेरिंग सेवाओं को एम.जी.एल. की अनुसूची-II में निर्दिष्ट किये अनुसार सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।

प्र 16. क्या किराया खरीद आधार पर वस्तुओं की आपूर्ति को वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति माना जायेगा? क्यों?

उत्तर: किराया खरीद पर की गई वस्तुओं की आपूर्ति को वस्तुओं की आपूर्ति माना जायेगा क्योंकि इसमें शीर्षक/नाम का हस्तांतरण हुआ है, हालांकि भविष्य की तारीख पर।

आपूर्ति का समय

5. आपूर्ति का समय

प्र 1. आपूर्ति का समय क्या है?

उत्तर: आपूर्ति का समय निर्धारित करता है कि कब जी.एस.टी. कर का दायित्व उत्पन्न होता है। यह भी इंगित करता है कि कब आपूर्ति पूर्ण कर दी गई समझी जायेगी। एमजीएल वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिये अलग-अलग समय प्रदान करता है।

प्र 2: कब वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में जी.एस.टी. करारोपण दायित्व उत्पन्न होता है?

उत्तर: एमजीएल की धारा 12 वस्तुओं की आपूर्ति का समय प्रदान करती है। वस्तुओं की आपूर्ति का समय निम्नलिखित में जल्द से जल्द होगा, अर्थात्

- (i) जिस तारीख पर आपूर्तिकर्ता द्वारा वस्तुओं को हटाया गया है, जहां वस्तुओं की आपूर्ति को हटाने की आवश्यकता है; या
- (ii) वह तारीख जब वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाता है जहां आपूर्ति में उन्हे को हटाने की आवश्यकता नहीं है; या
- (iii) वह तिथि जब आपूर्तिकर्ता आपूर्ति से संबंधित चालान/ बिल जारी करता है जहां उपरोक्त दोनो स्थितियां लागू नहीं होती; या
- (iv) वह तारीख जिस पर प्राप्तकर्ता अपनी लेखा पुस्तकों में माल प्राप्ति की रसीद दर्ज करता है।

प्र 3. वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति का क्या समय है?

उत्तर: वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति का समय है;

- क) जहां सिलसिलेवार खातों के विवरण या सिलसिलेवार भुगतान शामिल हैं, ऐसे सिलसिलेवार खातों के विवरण

या सिलसिलेवार भुगतान से संबंधित अवधि की समाप्ति की तारीख।

ख) जहाँ सिलसिलेवार खातों के विवरण या सिलसिलेवार भुगतान शामिल नहीं किये गये, चालान/बिल जारी करने की तिथि या भुगतान प्राप्त करने की तिथि जो भी पहले आती है।

प्र 4. स्वीकृति के आधार पर भेजी गई वस्तुओं की आपूर्ति का समय क्या है?

उत्तर: स्वीकृति के आधार पर आपूर्ति के मामले में, आपूर्ति का समय वह समय होगा जब यह पता चल जाता है कि आपूर्ति की जाने वाली है या आपूर्ति की तारीख से छह महीने, जो भी पहले पड़ता है।

प्र 5. एमजीएल की धारा 12 की उपधारा 2, 3, 5 या 6 या धारा 13 के अनुसार जहाँ आपूर्ति का समय निर्धारित करना संभव नहीं है, आपूर्ति का समय कैसे निर्धारित किया जाएगा?

उत्तर: वहाँ धारा 12(7) के साथ-साथ धारा 13(7) में एक अवशिष्ट प्रविष्टि है जो स्पष्ट करती है कि यदि आवधिक रिटर्न दर्ज किये जाने हैं, तब इन आवधिक रिटर्न भरने की देय तिथि आपूर्ति का समय होगा। अन्य मामलों में, यह वह तारीख होगी, जिस पर सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी./आईजी.एस.टी. का भुगतान किया गया है।

प्र 6. सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में जी.एस.टी. भुगतान का दायित्व कब उत्पन्न होता है?

उत्तर: वस्तुओं के विपरीत, सेवाओं के मामले में, आपूर्ति का समय इस तथ्य के आधार पर निर्धारित करता है कि क्या सेवाओं की आपूर्ति के लिए चालान/बिल निर्धारित अवधि के भीतर या निर्धारित अवधि के बाद जारी कर दिया गया है।

प्र 7. सेवाओं की आपूर्ति का समय क्या होगा जब चालान/बिल निर्धारित अवधि के भीतर जारी नहीं किया गया है?

उत्तर: ऐसे मामलों में सेवा की आपूर्ति का समय निम्नलिखित में से जल्द से जल्द होगा; या

- (i) सेवा प्रदान करने समाप्ति की तारीख; या
- (ii) भुगतान प्राप्त करने की तारीख

प्र 8. सेवा की आपूर्ति का समय क्या होगा जब चालान/बिल निर्धारित अवधि के भीतर जारी किया गया है?

उत्तर: ऐसे मामलों में सेवा की आपूर्ति का समय निम्नलिखित में से जल्द से जल्द होगा:

- (i) चालान जारी करने की तारीख; या
- (ii) भुगतान की प्राप्ति की तारीख।

प्र 9. "भुगतान की प्राप्ति की तारीख" का क्या मतलब है?

उत्तर: यह दोनों स्थितियों में सबसे पहले की वह तारीख है जिस पर आपूर्तिकर्ता द्वारा उसके लेखा खातों में भुगतान की तारीख दर्ज की गई है या वह तारीख जब भुगतान उसके बैंक खाते में जमा किया गया है।

प्र 10. मान लीजिए, चालान/बिल जारी नहीं किया गया है और भुगतान या सेवा प्रदान करने की तारीख का पता नहीं लगाया जा सकता, तब आपूर्ति का समय क्या होगा?

उत्तर: आपूर्ति का समय वह तारीख होगी, जिस पर आपूर्ति प्राप्तकर्ता अपने खाता बहियों में सेवाओं की प्राप्ति दिखाता है।

प्र 11. मान लीजिए आंशिक अग्रिम भुगतान कर दिया गया है या जारी किये गए चालान/बिल आंशिक भुगतान के लिये है, क्या आपूर्ति का समय पूर्ण आपूर्ति को कवर करेगा?

उत्तर: नहीं। आपूर्ति उस हद तक कर देय समझी जाएगी जिस हद तक वह चालान/बिल या आंशिक भुगतान को कवर करती है।

प्र 12. रिवर्स प्रभार के अंतर्गत करदेय के मामले में सेवा की आपूर्ति का समय क्या होगा?

उत्तर: आपूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों में जल्द से जल्द होगा;

- क) सेवाओं की प्राप्ति की तारीख;
- ख) जिस तारीख को भुगतान किया गया है;
- ग) चालान/बिल की प्राप्ति की तारीख;
- घ) आपूर्तिकर्ता द्वारा खाता बहियों में नामे की तारीख।

प्र 13. निरंतर सेवाओं की आपूर्ति का क्या समय होगा?

उत्तर: आपूर्ति का समय भुगतान की देय तिथि होगा, यदि अनुबंध में निश्चित है। यदि पता नहीं लगाया जा सकता तो, इन स्थितियों में से यह जल्द से जल्द की तारीख होगी— भुगतान प्राप्त करने की तारीख या चालान बिल जारी करने की तारीख या घटना के पूरा होने की तारीख जहां भुगतान घटना के पूरा होने से जुड़ा हुआ है।

प्र 14. आईये मान लेते हैं कि 1.6.2017 से प्रभावी कर की दर में 18 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। कर की क्या दर लागू होगी जब सेवाएं प्रदान करने और चालान/बिल जारी करने की तारीख दर में बदलाव से पहले अप्रैल 2017 में किया गया था, लेकिन भुगतान जून 2017 में दर में बदलाव करने के बाद प्राप्त होता है?

उत्तर: 18 प्रतिशत की पुरानी दर लागू होगी क्योंकि सेवाएं 1.6.2017 से पहले प्रदान की गई थी।

जी.एस.टी. में मूल्यांकन

6. जी.एस.टी. में मूल्यांकन

प्र 1. जी.एस.टी. करारोपण के लिए कराधीन आपूर्ति का अपनाये जाने वाला मूल्य क्या होता है?

उत्तर: वस्तुओं और सेवाओं की कराधीन आपूर्ति का मूल्य आमतौर पर 'लेनदेन का मूल्य' होगा जिस मूल्य पर वास्तव में भुगतान किया गया है या देय है, जब पार्टियां संबंधित नहीं हैं और कीमत एकमात्र प्रतिफल है। एमजीएल इसके आगे विभिन्न लेनदेन मूल्य के दायरे से संबंधित समावेशन और बहिष्करण स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए, लेनदेन के मूल्य में वापस/रिफंड जमा, आपूर्ति से पहले या आपूर्ति के समय पर छूट की अनुमति शामिल नहीं की जाएगी।

प्र 2. लेनदेन मूल्य क्या है?

उत्तर: लेनदेन मूल्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की वास्तव में भुगतान की गई या देय उस मूल्य को संदर्भित करता है जहां आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता आपस में संबंधित नहीं हैं और केवल कीमत आपूर्ति का एकमात्र प्रतिफल है। इसमें कोई भी राशि शामिल हो सकती है जिसके भुगतान के लिये आपूर्तिकर्ता उत्तरदायी है, लेकिन आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा उसके लिये खर्च वहन किया गया है।

प्र 3. क्या सी.जी.एस.टी., एस.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. और वस्तुओं और सेवाओं के लिये अलग मूल्यांकन का प्रावधान है?

उत्तर: नहीं, धारा 15 सभी तीन प्रकार के करों के लिये सामान्य है और यह वस्तुओं और सेवाओं के लिए भी सामान्य है।

प्र 4. क्या अनुबंधित मूल्य आपूर्ति के मूल्यांकन को निर्धारित करने के लिये पर्याप्त नहीं है?

उत्तर: अनुबंधित मूल्य अधिकतर विशेष रूप में "लेनदेन के मूल्य" को संदर्भित करती है और वह कर संगणना के लिए आधार है।

हालांकि, जब कीमत कुछ कारकों से प्रभावित होती हैं जैसे पक्षों का आपसी संबंध या कुछ लेनदेन आपूर्ति माने जाते हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं होती, लेनदेन के मूल्य को सही ढंग से निर्धारित करने के लिए इन कारकों से उबरना आवश्यक है।

प्र 5. क्या सभी मामलों में मूल्यांकन के नियमों का संदर्भ लेना आवश्यक है?

उत्तर: नहीं। मूल्यांकन नियम का संदर्भ केवल धारा 15(4) के अंतर्गत सूचीबद्ध मामलों में आवश्यक है अर्थात्, जहां देय प्रतिफल पैसा नहीं है, या लेन-देन के पक्ष आपस में संबंधित हैं।

प्र 6. ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिये यदि कुछ कारक कीमत को प्रभावित करते हैं जबकि धारा 15(4) द्वारा लेनदेन कवर नहीं किया गया?

उत्तर: धारा 15(2) समायोजनों की सूची प्रदान करती है जिन्हें करने के बाद आप देय कर का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए लेनदेन की कीमत को विश्वसनीय बना सकते हैं।

प्र 7. क्या धारा 15(1) के अंतर्गत घोषित लेनदेन की कीमत को स्वीकार किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ, इसे धारा 15(2) में समावेश करने के लिए जांच करने के बाद स्वीकार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, लेनदेन का मूल्य यहां तक कि आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति प्राप्तकर्ता के बीच संबंध होने के बावजूद भी स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते उनके आपसी संबंध के कारण मूल्य प्रभावित नहीं हुआ है (जी.एस.टी. मसौदा मूल्यांकन नियमों का नियम 3(4))।

प्र 8. क्या आपूर्ति-के-बाद छूट या प्रोत्साहनों को लेनदेन के मूल्य में शामिल किया जाना चाहिये?

उत्तर: हाँ। जब तक आपूर्ति-के-बाद की छूट अनुबंधों के रूप में

स्थापित नहीं की जाती और आपूर्ति के समय या उससे पहले उसका पता नहीं है और विशेष रूप से प्रासंगिक चालान/बिल से नहीं जुड़ी हुई है।

प्र 9. क्या आपूर्ति के समय या उससे पहले अनुमत आपूर्ति-पूर्व छूट को लेन देन के मूल्य में सम्मिलित किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं, बशर्ते उसकी सामान्य व्यापार के अभ्यास के क्रम में अनुमति दी गई है और विधिवत चालान/बिल में दर्ज किया गया है।

प्र 10. मूल्यांकन नियम कब लागू होते हैं?

उत्तर: मूल्यांकन के नियम तब लागू होते हैं जब (i) प्रतिफल पैसे के रूप में है; (ii) पक्ष आपस में संबंधित हैं या आपूर्ति किसी निर्दिष्ट वर्ग के आपूर्तिकर्ता की है; और (iii) घोषित किया गया लेनदेन का मूल्य विश्वसनीय नहीं है।

प्र 11. घोषित लेनदेन मूल्य पर संदेह करने के क्या कारण हैं?

उत्तर: जी.एस.टी. मसौदे के मूल्यांकन नियमों के नियम 7(बी) में वे कारण इंगित किये गये हैं। (वे इस प्रकार हैं:— (i) तुलनीय आपूर्ति की कीमत बहुत ज्यादा है; (ii) लेनदेन आपूर्ति के बाजार मूल्य की तुलना में विशेष रूप से कम या अधिक है, और (iii) मानकों का गलत घोषित करना जैसे विवरण, मात्रा, गुणवत्ता, उत्पाद का वर्ष इत्यादि। सूची सांकेतिक है लेकिन संपूर्ण नहीं है।

प्र 12. मसौदा जी.एस.टी. मूल्यांकन नियम के मामले में, मूल्य के निर्धारण करने के लिए कौन सी विधियां प्रदान की जाती हैं?

उत्तर: लेनदेन मूल्य निर्धारित करने के लिये जी.एस.टी. मूल्यांकन नियमों के अंतर्गत तीन विधियां निर्धारित की गई हैं अर्थात्, तुलनात्मक विधि, गणना विधि और अवशिष्ट विधि, जिनका अनुसरण क्रमिक रूप से किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, कुछ विशिष्ट

मूल्यांकन विधियों को निर्दिष्ट किया गया है जैसे शुद्ध एजेंटों और पैसे परिवर्तकों/मनी चेंजरों के मामले में। इसके अतिरिक्त विशिष्ट नियमों को बाद में अधिसूचित किया जा सकता है जैसे बीमा कंपनियां, हवाई यात्रा एजेंट और वितरक या लॉटरी के विक्रेता एजेंट।

प्र 13. धारा 15(2) में निर्दिष्ट कौन से समावेशन हैं जिन्हें लेनदेन के मूल्य में जोड़ा जा सकता है?

उत्तर: धारा 15(2) में निर्दिष्ट वे समावेशन जिन्हें लेनदेन के मूल्य में जोड़ा जा सकता है वह निम्न प्रकार से हैं:

- क) आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा किया गया कोई भुगतान जिसके भुगतान का दायित्व आपूर्तिकर्ता का है;
- ख) आपूर्तिकर्ता द्वारा मुफ्त या रियायत पर उपलब्ध की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मूल्य राशि;
- ग) आपूर्ति की एक शर्त के रूप में प्राप्तकर्ता द्वारा देय रॉयल्टी और लाइसेंस फीस;
- घ) अन्य किसी कानून(नों) के अंतर्गत करारोपण (एस.जी.एस. टी./ सी.जी.एस.टी. या आई.जी.एस.टी. के अतिरिक्त);
- ङ) आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति पूर्व किया गया खर्च एवं अलग से वसूला गया;
- च) आपूर्ति पर आपूर्तिकर्ता द्वारा सब्सिडी प्राप्त करना;
- छ) आपूर्तिकर्ता द्वारा अलग से प्रतिपूर्ति का दावा करना;
- ज) आपूर्ति के बाद छूट की अनुमति देना केवल जब आपूर्ति से पहले उसके बारे में जानकारी होती है;(छूट की सामान्य व्यापारिक व्यवहार के रूप में अनुमति देना और चालान/बिल पर परिलक्षित करना शामिल किया जाएगा)।

कर का जी.एस.टी. भुगतान

7. कर का जी.एस.टी. भुगतान

प्र 1. जी.एस.टी. व्यवस्था में किया जाने वाला भुगतान क्या होगा?

उत्तर: जी.एस.टी. व्यवस्था में, किसी भी राज्यांतरिक (राज्य के भीतर) आपूर्ति के लिए, किया जाने वाला करों का भुगतान केंद्रीय जी.एस.टी. (सी.जी.एस.टी., केन्द्र सरकार के खाते में जमा होगा) और राज्य जी.एस.टी. (एस.जी.एस.टी., संबंधित राज्य सरकार के खाते में जमा होगा)। किसी भी अंतर-राज्य आपूर्ति के लिए, किया जाने वाला कर भुगतान एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) है जिसमें दोनों सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. के घटक सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त, पंजीकृत व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों को कर स्रोत पर कटौती (टी.डी.एस.) और कर स्रोत पर एकत्रित (टी.सी.एस.) सरकारी खाते में भुगतान करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, जहां लागू हो, ब्याज, जुर्माना, फीस और कोई भी अन्य भुगतान करना आवश्यक होगा।

प्र 2. जी.एस.टी. का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी है?

उत्तर. आमतौर पर जी.एस.टी. भुगतान का दायित्व वस्तुओं या सेवा आपूर्तिकर्ता का है। हालांकि कई निर्दिष्ट मामलों में जैसे आयात और अन्य अधिसूचित आपूर्तियों के लिये, रिवर्स प्रभार व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्तकर्ता पर यह दायित्व डाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में, भुगतान करने का दायित्व तीसरे व्यक्ति पर होता है उदाहरणार्थ (टी.सी.एस. के मामले के लिये ई-कॉमर्स ऑपरेटर जिम्मेदार है या टी.डी.एस. के लिये सरकारी विभाग जिम्मेदार हैं)।

प्र 3. कब कराधीन व्यक्ति द्वारा जी.एस.टी. भुगतान किया जाना चाहिये ?

उत्तर. जैसा कि धारा 12 में स्पष्ट किया गया है वस्तुओं की आपूर्ति के समय और धारा 13 में सेवाओं की आपूर्ति के समय किया जाना

चाहिये। समय आम तौर पर इन तीन में से सबसे पहले का समय होगा, अर्थात् भुगतान की प्राप्ति पर, चालान/बिल जारी करने पर या आपूर्ति पूरा हो जाने के बाद का समय। उपरोक्त धाराओं में विभिन्न स्थितियों की परिकल्पना और अलग-अलग कर केंद्र स्पष्ट किये गये हैं।

प्र 4. जी.एस.टी. भुगतान प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर. प्रस्तावित जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत भुगतान प्रक्रियाओं की निम्नलिखित विशेषताएं होंगी:

- भुगतान के सभी माध्यमों में जी.एस.टी.एन. आम पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक उत्पन्न चालान/बिल और मैनुअल/हाथ से भरे चालान का उपयोग नहीं होगा;
- करदाताओं को परेशानी मुक्त, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर कर के भुगतान की सुविधाएं प्रदान करना;
- आसानी से ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा;
- इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में तर्कसंगत कर संग्रह के आंकड़े/डाटा;
- सरकारी खातों में कर राजस्व का तेजी से प्रेषण;
- बिना कागज़ लेनदेन;
- तीव्र लेखांकन और रिपोर्टिंग;
- सभी प्राप्तियों के इलेक्ट्रॉनिक मिलान;
- बैंकों के लिए सरलीकृत प्रक्रियाएं;
- डिजिटल चालान का भण्डारण

प्र 5. भुगतान कैसे किया जा सकता है?

उत्तर. भुगतान निम्न विधियों द्वारा किया जा सकता है:

- (i) आम पोर्टल पर अनुरक्षित करदाता के ऋण खाता बही में नामे के माध्यम से – केवल कर का भुगतान किया

जा सकता है। ऋण खाता बही में ब्याज, जुर्माना और शुल्क का भुगतान नामे द्वारा नहीं किया जा सकता।

करदाताओं को (इनपुट टैक्स क्रेडिट) इनपुट/आदानों पर भुगतान का क्रेडिट लेने और उसका उपयोग आउटपुट कर के भुगतान करने के लिए अनुमति दी जायेगी। हालांकि, सी.जी.एस.टी. के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट को एस.जी.एस.टी. के भुगतान के लिये उपयोग नहीं किया जायेगा और विलोमतः। आई.जी.एस.टी. के क्रेडिट को आई.जी.एस.टी., सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. के भुगतान के लिए उस अनुक्रम में उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

- (ii) आम पोर्टल पर अनुरक्षित करदाता के नकद खाता बही के नामे द्वारा नकद रूप में। विभिन्न माध्यमों से नकद खाता बही में राशि जमा की जा सकती है, अर्थात, ई-भुगतान (इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड); पैसा भेजने का सबसे तेज तरीका/रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आर.टी.जी.एस.)/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एन.ई.एफ.टी.); जी.एस.टी. जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत बैंकों की शाखाओं में काउंटर्स पर भुगतान।

प्र 6. आपूर्तिकर्ता द्वारा करों के भुगतान कब किये जाने चाहिये?

उत्तर. एक आम करदाता द्वारा करों का भुगतान आगामी महीने की 20 तारीख तक मासिक आधार पर किया जाना चाहिये। नकद भुगतान सबसे पहले नकदी खाता बही में जमा किया जाएगा और करदाता मासिक रिटर्न के भुगतान के समय खाता बही को डेबिट करेगा और अपने रिटर्न पर प्रासंगिक डेबिट प्रविष्टि संख्या दर्ज करेगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भुगतान क्रेडिट

खाता बही से डेबिट किया जा सकता है। मार्च महीने के लिए करों का भुगतान 20 अप्रैल तक किया जाएगा। संरचना करदाताओं को तिमाही आधार पर कर का भुगतान करना आवश्यक होगा। भुगतान का समय 00.00 बजे से 20.00 बजे के बीच होगा।

प्र 7. क्या कर के भुगतान की समय सीमा को बढ़ाया या मासिक किश्तों में भुगतान किया जा सकता है?

उत्तर. नहीं, स्वयं मूल्यांकन दायित्व (self-assessed liability) के मामले में इसकी अनुमति नहीं है। अन्य मामलों में, सक्षम प्राधिकारी को समयावधि बढ़ाने या किश्तों में भुगतान की अनुमति देने के अधिकार से सशक्त किया गया है। (एम.जी.एल. की धारा 55)।

प्र 8. उस स्थिति में क्या होगा जब कराधीन व्यक्ति रिटर्न तो भरता है, लेकिन कर की रकम जमा नहीं करता?

उत्तर. ऐसे मामलों में, रिटर्न एक वैध रिटर्न के रूप में नहीं माना जाता। एम.जी.एल. की धारा 27(3) प्रदान करती है कि कराधीन व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिटर्न तब तक वैध रिटर्न नहीं माना जायेगा जब तक कथित रिटर्न पर देय कर की कुल राशि को जमा नहीं कर दिया जाता। यह केवल वही वैध रिटर्न होगा जिसे उपयोग कर प्राप्तकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) की अनुमति दी जायेगी। दूसरे शब्दों में, जब तक आपूर्तिकर्ता अपने द्वारा – मूल्यांकन किये गये सारे कर का भुगतान और रिटर्न दर्ज नहीं कर देता और प्राप्तकर्ता अपना भी रिटर्न दर्ज कर देता है, प्राप्तकर्ता की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) की पुष्टि नहीं की जाएगी।

धारा 28 के अनुसार, एक कराधीन व्यक्ति जिसने एक वैध रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है उसे उक्त क्रेडिट का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक वह अपने आप द्वारा मूल्यांकित कर दायित्व का निर्वहन नहीं करता।

प्र 9. कौन सी तारीख को कर जमा करने की देय-तिथि के रूप में माना जाता है चैक प्रस्तुति या देय तिथि या सरकारी खाते में राशि जमा करने की तारीख?

उत्तर. यह सरकार के खाते में जमा की तारीख है।

प्र 10. ई-बहीखाते क्या हैं?

उत्तर. इलेक्ट्रॉनिक बहीखाते या ई-बहीखाते प्रत्येक पंजीकृत करदाता से संबंधित नकदी और इनपुट टैक्स क्रेडिट के विवरण हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक करदाता के पास एक इलेक्ट्रॉनिक कर देयता रजिस्टर भी होगा। एक बार जब एक करदाता आम पोर्टल (जी.एस. टी.एन.) पर पंजीकृत हो जाता है, 2 ई-खाते (नकद और इनपुट टैक्स क्रेडिट) और एक इलेक्ट्रॉनिक कर देयता रजिस्टर स्वचालित रूप से खुल जाएगा और उसके अपने डैशबोर्ड पर प्रदर्शित हो जाता है।

प्र 11. कर देयता रजिस्टर क्या है?

उत्तर. कर देयता रजिस्टर एक करदाता की किसी विशेष महीने की कुल कर देनदारी (शुद्ध करने के बाद) प्रतिबिंबित करेगा।

प्र 12. नकद खाता बही क्या है?

उत्तर. नकद खाता बही करदाता के खाते पर सभी जमा नकद और टी.डी.एस./ टी.सी.एस. प्रतिबिंबित करेगा। जानकारी वास्तविक समय के आधार पर परिलक्षित होगी। यह खाता बही जी.एस.टी. के खाते में होने वाले किसी भी भुगतान के लिये प्रयोग की जा सकती है।

प्र 13. एक आई.टी.सी. खाता बही क्या है?

उत्तर. अपने आप मूल्यांकन किये गये मासिक रिटर्न के रूप में इनपुट टैक्स क्रेडिट आई.टी.सी. खाता बही में दर्शाये जाएंगे। इस खाता बही में क्रेडिट/जमा को कर के भुगतान के लिये प्रयोग किया

जा सकता है न कि ब्याज, जुर्माना, फीस आदि के रूप में अन्य कोई राशि।

14. जी.एस.टी.एन. और अधिकृत बैंकों के बीच क्या संपर्क/कड़ी है?

उत्तर. वहाँ जी.एस.टी.एन और बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सी.बी.एस.) के बीच वास्तविक समय दोतरफा कड़ी होगी। सी.पी.आई.एन. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिंग के माध्यम के साथ सत्यापन और भुगतान प्राप्त करने और चालान पहचान संख्या (सी.आई.एन.) बैंक द्वारा आम पोर्टल पर स्वचालित रूप से भुगतान प्राप्ति की पुष्टि के लिए भेज दिये जाएंगे। इस प्रक्रिया में बैंक के कैंशियर या टेलर या करदाता सहित किसी के द्वारा भी कोई मैनुअल हस्तक्षेप शामिल नहीं किया जाएगा।

प्र 15. क्या करदाता कई बैठकों में चालान उत्पन्न कर सकते हैं?

उत्तर: हाँ, करदाता आंशिक रूप से चालान को भर सकते हैं और अस्थायी रूप में चालान को बाद में पूरा करने के लिये सुरक्षित “save” रख सकते हैं। एक सुरक्षित चालान को अंतिम रूप देने से पहले एडिट “edit” किया जा सकता है। करदाता द्वारा चालान को अंतिम रूप देने के बाद, वह करों के भुगतान के उपयोग के लिए, चालान उत्पन्न करेगा। प्रेषक को अपने रिकॉर्ड के लिए चालान प्रिंट करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

प्र 16. एक ऑनलाइन उत्पन्न किये गये चालान को संशोधित किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं। चालान उत्पन्न करने के लिये जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर लॉगिंग करने के बाद, करदाता या उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा भुगतान के विवरण को भरना होगा। वह भविष्य में अद्यतन करने के लिए चालान को प्रक्रिया के बीच “save” सुरक्षित कर सकता है।

यदपि एक बार जब चालान को अंतिम रूप दे दिया जाता है और सी.पी.आई.एन. उत्पन्न हो जाता है, करदाता द्वारा उसमें आगे कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

प्र 17. क्या चालान वैधता की कोई अवधि है?

उत्तर: हाँ, चालान उसके उत्पन्न होने के बाद पंद्रह दिनों के लिए वैध होगा और उसके बाद उसे सिस्टम से हटा दिया जायेगा। हालांकि, करदाता अपनी सुविधा के लिए एक अन्य चालान भी उत्पन्न कर सकता है।

प्र 18. सीपीआईएन क्या है?

उत्तर: सी.पी.आई.एन. को एक आम पोर्टल पहचान संख्या (सी.पी.आई.एन.) से जाना जाता है जिसे चालान उत्पन्न करने के समय दिया जाता है। यह चालान की पहचान करने के लिए 14 अंकों की एक अद्वितीय संख्या है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, सी.पी.आई.एन. 15 दिनों की अवधि के लिए मान्य रहता है।

प्र 19. एक सी.आई.एन. क्या है और इसका क्या औचित्य है?

उत्तर: सी.आई.एन. चालान पहचान संख्या व्यक्त करता है। यह एक 17 अंकों की संख्या है अर्थात् सी.पी.आई.एन. के 14 अंक और बैंक कोड के 3-अंक। सी.आई.एन. अधिकृत बैंकों/भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा उत्पन्न किया जाता है जब कथित बैंकों या आर.बी.आई. द्वारा भुगतान वास्तव में प्राप्त हो जाता है उनके द्वारा आयोजित प्रासंगिक सरकारी खाते में जमा किया जाता है। यह इंगित करता है कि भुगतान प्राप्त हो चुका है और उचित सरकारी खाते में जमा हो गया है। सी.आई.एन. अधिकृत बैंकों द्वारा उत्पन्न होता है। सी.आई.एन. अधिकृत बैंक द्वारा करदाता के साथ साथ जी.एस.टी.एन को भेजा जाता है।

प्र 20. कर के भुगतान का क्या क्रम होगा जहां करदाता की पिछले महीनों की देनदारियां बेश हैं?

उत्तर: धारा 35(8) भुगतान का आदेश निर्धारित करती है जहां करदाता की वर्तमान रिटर्न की अवधि के अतिरिक्त भी कर भुगतान का दायित्व बाकी है। ऐसी स्थिति में, भुगतान के आदेश का पालन किया जाना चाहिये: सबसे पहले पिछली अवधि का अपने आप किये मूल्यांकन का कर और ब्याज; उसके बाद वर्तमान अवधि के लिये अपने आप किये मूल्यांकन किये कर और ब्याज; और उसके बाद कोई भी अन्य देय राशि जिसमें धारा 51 के अंतर्गत किसी मांग की पुष्टि की गई है।

प्र 21 ई-एफ.पी.बी. क्या है?

उत्तर: ई-एफ.पी.बी. इलेक्ट्रॉनिक फोकल प्वाइंट शाखा व्यक्त करता है। ये अधिकृत बैंकों की शाखाएं हैं जो जी.एस.टी. का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत की गई हैं। प्रत्येक अधिकृत बैंक अखिल भारत के लेनदेन के लिये अपनी केवल एक ई-एफपीबी के रूप में एक शाखा को नामांकित करेगा। ई-एफ.पी.बी. को सभी सरकारों के लिए प्रत्येक प्रमुख मद के नीचे खाते खोलने होंगे। कुल 38 खातों (सी.जी.एस.टी., आई.जी.एस.टी. लिए एक-एक तथा प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के लिए एक-एक एस.जी.एस.टी.) खोलना होगा। जी.एस.टी. के लिये कथित ई-एफपीबी द्वारा प्राप्त की गई कोई भी राशि कथित ई-एफ.पी.बी. द्वारा आयोजित उचित खाते में जमा कर दी जाएगी।

एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. लेनदेन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ई-एफ.पी.बी. के रूप में कार्य करेगा।

प्र 22. टी.डी.एस. क्या है?

उत्तर: टी.डी.एस. स्रोत पर कटौती किया गया कर (टी.डी.एस.) है। धारा 37 के अनुसार, यह प्रावधान सरकारी और सरकारी उपक्रमों और

अन्य अधिसूचित संस्थाओं के लिये किया गया है जो आपूर्तिकर्ताओं को 10 लाख रुपये से अधिक का अनुबंधात्मक भुगतान करते हैं। ऐसे भुगतान करते समय, संबंधित सरकार/प्राधिकारी कुल देय राशि का 1 प्रतिशत घटा कर और उचित जी.एस.टी. खाते में प्रेषित कर देंगे।

प्र 23. अपने रिटर्न भरने के समय आपूर्तिकर्ता कैसे इस टी.डी.एस. को हिसाब में दिखाएगा?

उत्तर: टी.डी.एस. के रूप में दिखायी गई कोई भी राशि संबंधित आपूर्तिकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाता बही में दर्शायी जायेगी। वह इस रकम को कर, ब्याज की फीस और किसी भी अन्य राशि के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने की दिशा में उपयोग कर सकता है।

प्र 24. टी.डी.एस. कटौतिकर्ता उक्त टी.डी.एस. के लिये कैसे उत्तरदायी होगा?

उत्तर: टी.डी.एस. कटौतिकर्ता निम्न तरीकों से इस तरह के टी.डी.एस. के लिये उत्तरदायी होगा:

1. इस तरह के कटौतिकर्ताओं को एम.जी.एल. की धारा 19 की अनुसूची III के साथ पठनीय के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है।
2. उन्हें जिस तारीख को टी.डी.एस. एकत्रित और जी.एस.टी.आर. 7 में सूचित किया है उसकी आगामी महीने की 10 तारीख को कथित एकत्रित किये गये टी.डी.एस. को प्रेषित करना आवश्यक है।
3. टी.डी.एस. के रूप में जमा राशि को आपूर्तिकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाता बही में दर्शाया जाएगा।
4. उन्हें टी.डी.एस. की कटौती करने के 5 दिनों के भीतर ऐसे करदाता को टी.डी.एस. प्रमाणपत्र जारी करना होगा

जिसमें विफल रहने पर कटौतीकर्ता द्वारा प्रतिदिन 100 रुपये की फीस जो अधिकतम 5000/- रुपये तक हो सकती है – कथित कटौतीकर्ता द्वारा देय होगी।

प्र 25. स्रोत पर एकत्रित कर (टी.सी.एस.) क्या है?

उत्तर: यह प्रावधान केवल एम.जी.एल. की धारा 43सी के अंतर्गत ई-वाणिज्य ऑपरेटर के लिए लागू है। प्रत्येक ई-वाणिज्य ऑपरेटर को उस राशि का एक प्रतिशत रोकना आवश्यक है जो आपूर्तिकर्ता को वास्तविक भुगतान करने के समय उस पर देय है। (जी.एस.टी. परिषद की सिफारिश पर बाद में अधिसूचित किया जाएगा) ऐसी रोकी गई कथित राशि कथित ई-वाणिज्य ऑपरेटर द्वारा आगामी महीने की 10 तारीख तक उचित जी.एस.टी. खाते में जमा कर दी जायेगी। टीसीएस के रूप में राशि के रूप में जमा टी.सी.एस. आपूर्तिकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाता बही में दर्शायी जायेगी।

प्र 26. जी.एस.टी. भुगतान के लिए जी.एस.टी.एन. पोर्टल में क्रेडिट कार्ड का पूर्व पंजीकरण करना आवश्यक है?

उत्तर: हाँ। करदाता जिस क्रेडिट कार्ड से कर का भुगतान करना चाहता है उसे जी.एस.टी.एन. पर अनुरक्षित आम पोर्टल के साथ उसका पूर्व-पंजीकरण करना आवश्यक है। जी.एस.टी.एन. क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदाता से कार्ड के सत्यापन की पुष्टि प्राप्त करने के लिये बैंक के साथ समन्वय कर सकता है। क्रेडिट कार्ड के प्रयोग द्वारा व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिये बिना मौद्रिक सीमा भुगतान की अनुमति दी जा सकती।

इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स

8. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स

प्र 1. ई-कॉमर्स क्या है?

उत्तर: एमजीएल की धारा 43बी(डी) इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को परिभाषित करती है जिसका अर्थ वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की प्राप्ति, या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर मुख्य रूप से इंटरनेट के माध्यम से कोष या डाटा का प्रसारण, इंटरनेट का कोई अनुप्रयोग करते हुए जो मुख्य रूप से इंटरनेट पर निर्भर करता है, जैसे ई-मेल, तत्काल संदेश भेजना, शॉपिंग कार्ट, वेब सेवाएं, यूनिवर्सल डिस्क्रीप्शन डिस्कवरी और इंटरग्रेशन (यू.डी.डी.आई.), फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल (एफ.टी.पी.) और इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ई.डी.आई.) तक सीमित नहीं है बेशक भुगतान ऑनलाइन किया गया है या नहीं किया गया है या चाहे ऑपरेटर द्वारा वस्तुओं और/या सेवाओं की अंतिम डिलीवरी पूरी कर ली गई है या नहीं।

प्र 2. ई-कॉमर्स ऑपरेटर कौन है?

उत्तर: एमजीएल की धारा 43बी(ई) इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर (ऑपरेटर) को प्रत्येक उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, इलेक्ट्रॉनिक मंच पर स्वामित्व, संचालन या प्रबंधन कर रहा है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो कोई भी जानकारी या इन वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ी हुई अन्य सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक मंच के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं उन पर ऑपरेटर के रूप में विचार किया जाएगा। एक व्यक्ति अपने स्वयं के खाते पर वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति कर रहा है, हालांकि, उसे एक ऑपरेटर के रूप में नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए, अमेज़ान और फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैं क्योंकि वे अपने मंच के माध्यम से वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए वास्तविक आपूर्तिकर्ताओं को सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं (आमतौर पर इसे मार्केट प्लेस

मॉडल कहा जाता है) कर रहे हैं। हालांकि, टाइटन अपनी स्वयं की वेबसाइट के माध्यम से घड़ियों और आभूषणों की आपूर्ति करती है, इसलिये इस पर इन प्रयोजन के लिये एक ई-कॉमर्स के ऑपरेटर के रूप में विचार नहीं किया जाएगा। इसी तरह अमेज़ान और फिलपकार्ट को उन आपूर्तियों के लिये ऑपरेटर नहीं कहा जाएगा जो वे अपने स्वयं के खाते (आमतौर पर इसे इनवेंटरी मॉडल कहते हैं) के लिये करते हैं।

प्र 3. क्या ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है?

उत्तर: हाँ। एम.जी.एल. की धारा 19 आर/डब्ल्यू अनुसूची III, यह प्रदान करती है कि ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए सीमा रेखा छूट उपलब्ध नहीं है और वे आपूर्ति मूल्य का विचार किए बिना पंजीकृत कराने लिए उत्तरदायी होंगे।

प्र 4. क्या ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति करने वाला आपूर्तिकर्ता सीमा में छूट पाने का हकदार होगा या नहीं?

उत्तर: नहीं। एम.जी.एल. की धारा 19 आर/डब्ल्यू अनुसूची III, प्रदान करती है कि ऐसे आपूर्तिकर्ता को सीमा में छूट पाने की अनुमति नहीं है और वे आपूर्ति मूल्य की परवाह किए बिना पंजीकृत किये जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

प्र 5. एक एग्रीगेटर (समूहक) कौन है?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 43बी(ए) एक एग्रीगेटर को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है, जो इलेक्ट्रॉनिक मंच का स्वामित्व और प्रबंधन करता है, और अनुप्रयोगों और संचार उपकरण के माध्यम से, संभावित ग्राहक को ब्रांड नाम या कथित एग्रीगेटर के ट्रेड नाम के अंतर्गत विशेष प्रकार की सेवाएं प्रदान करने में सक्षम

बनाता है और व्यक्तियों के मध्य एक विशेष प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिये जोड़ने में सक्षम करता है। उदाहरण के लिए, ओला कैब एक एग्रीगेटर होगा।

प्र 6. क्या एक एग्रीगेटर को जी.एस.टी. के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है?

उत्तर: हाँ। एम.जी.एल. की धारा 19 आर/डब्ल्यू अनुसूची III, यह प्रदान करती है कि एग्रीगेटर्स के पास सीमा छूट उपलब्ध नहीं होगी और वे आपूर्ति के मूल्य की विचार किए बिना पंजीकृत करवाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

प्र 7. स्रोत पर कर संग्रह (टी.सी.एस.) क्या है?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 43सी(1) के अनुसार, ई-कॉमर्स ऑपरेटर को वस्तुओं या सेवाओं के वास्तविक आपूर्तिकर्ता को कथित ऑपरेटर के माध्यम से की गई वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में प्रतिफल में से भुगतान की गई या देय भुगतान की राशि को एकत्र (अर्थात् घटाना) करना आवश्यक है। इस प्रकार जो राशि कटौती/एकत्र की जाती है उसे स्रोत पर कर संग्रह (टी.सी.एस.) के रूप में कहा जाता है।

प्र 8. किस समय/अंतराल पर ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा ऐसी कटौती की जानी चाहिए?

उत्तर: इस तरह के संग्रह/कटौती के लिए समय दो घटनाओं में होने वाली पहली घटना होगी:

- (i) वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक आपूर्तिकर्ता के खाते में जमा की गई किसी राशि का समय;
- (ii) कथित आपूर्तिकर्ता को नकद या अन्य किसी माध्यम से किये गये भुगतान का समय

प्र 9. ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा कितने समय के भीतर कथित टी.सी.एस. सरकार के खाते में प्रेषित किया जाना चाहिये? क्या ऑपरेटर को इस उद्देश्य के लिए कोई रिटर्न भरने की आवश्यकता है?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 43सी(3) के अनुसार, ऑपरेटर द्वारा जिस महीने में उक्त राशि को एकत्र किया गया था उस महीने की समाप्ति 10 दिनों के भीतर उचित सरकार के उस खाते में जमा करने के लिये भुगतान की जानी चाहिये है जिसमें से वह एकत्र की गई थी। इसके अतिरिक्त, एम.जी.एल. की धारा 43सी(4) के अनुसार, ऑपरेटर को एक इलेक्ट्रॉनिक विवरण फाइल करना आवश्यक है, जिसमें उसके पोर्टल के माध्यम से की जावक आपूर्ति के लिए एकत्र की गई सारी राशियां सम्मिलित होंगी, उस कैलेंडर महीने की समाप्ति 10 दिनों के भीतर जिससे उक्त विवरण संबंधित हैं। कथित विवरणों में वास्तविक आपूर्तिकर्ताओं के नाम, उनके द्वारा की गई संबंधित आपूर्ति के विवरण और उनकी ओर से एकत्र की गई राशि शामिल होंगी। कथित विवरण का प्रारूप और विधि जीएसटी नियमों में निर्धारित की जाएगी।

प्र 10. इस टी.सी.एस. को जमा करने का दावा वास्तविक आपूर्तिकर्ता किस प्रकार कर सकते हैं?

उत्तर: ऐसे टी.सी.एस. जिन्हें ऑपरेटर द्वारा सरकारी खाते में जमा किया जाता है वे ऑपरेटर द्वारा दायर किये विवरण के आधार पर वास्तविक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता (जिसके खाते में कथित राशि एकत्र की गई है) के नकद खाता बही में दर्शाये जाएंगे। और उन्हें वास्तविक आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति के संबंध में कर दायित्व के निर्वहन के समय प्रयोग किया जा सकता है।

प्र 11. क्या ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा सरकार को जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है?

उत्तर: हाँ। धारा 43सी(10) के अनुसार, एक अधिकारी जो संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे नहीं है ऑपरेटर द्वारा निम्न संबंधित विवरण प्रस्तुत करने हेतु आदेश कर सकता है:

- (i) ऑपरेटर द्वारा किसी भी अवधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की की गई आपूर्ति;
- (ii) वास्तविक आपूर्तिकर्ता द्वारा रखा गया माल जिसे कथित ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करने के लिये मालगोदाम या वेअरहाउस पर रखा गया था जो ऑपरेटर से संबंधित है और वास्तविक आपूर्तिकर्ता द्वारा अतिरिक्त व्यापारिक स्थान के रूप में पंजीकृत किया गया है।

ऑपरेटर को 5 कार्य दिवसों के भीतर उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है जिस तारीख को उक्त जानकारी पूछे जाने का नोटिस दिया गया था। ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की विफलता के मामले में, जुर्माना 25,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

प्र 12. क्या ई-कॉमर्स ऑपरेटर को कोई विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है? वे कौन सी विस्तृत जानकारियां हैं जिन्हें विवरण में प्रस्तुत करना आवश्यक है?

उत्तर: हाँ, धारा 43सी(4) के अनुसार, प्रत्येक ऑपरेटर को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, उसके माध्यम से की गई वस्तुओं और/या सेवाओं की जावक आपूर्तियों से संबंधित टीसीएस के रूप में एकत्र की गई सारी राशियों के विवरण उक्त कैलेंडर महीने की समाप्ति के बाद दस दिनों के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है। विवरण में, अन्य बातों के साथ, ऑपरेटर द्वारा प्रत्येक आपूर्तिकर्ता की ओर से वस्तुओं और सेवाओं की जावक आपूर्तियों से संबंधित एकत्र की गई सारी राशियों के विवरण और कथित कैलेंडर महीने के दौरान की गई आपूर्तियों के विवरण शामिल करने होंगे।

प्र 13. ई-कॉमर्स के प्रावधानों में मिलान की अवधारणा क्या है और यह कैसे काम करती है?

उत्तर: धारा 43सी(6) के अनुसार, प्रत्येक ऑपरेटर द्वारा एक कैलेंडर महीने के दौरान की गई आपूर्ति के विवरण और एकत्रित राशि, और उसके विवरण की प्रस्तुति के साथ संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा धारा 27 के अंतर्गत दायर किये वैध रिटर्न के साथ प्रस्तुत की गई जावक आपूर्ति के समरूपी विवरण उसी कैलेंडर महीने या उसके पूर्व कैलेंडर महीने के साथ मिलान किये जाएंगे। ऐसी स्थिति में जहां जावक आपूर्ति के विवरण, जिस पर ऑपरेटर द्वारा उसकी अपने विवरण में कर एकत्र करने की घोषणा की है आपूर्तिकर्ता की समरूपी घोषित विवरण से मिलान नहीं हो पाती तब ऐसी विसंगति को दोनो पक्षों/व्यक्तियों को सूचित कर दिया जाएगा।

प्र 14. यदि विवरण का मिलान नहीं हो पाता तब क्या होगा?

उत्तर: धारा 43सी(8) के अनुसार, भुगतान से संबंधित आपूर्ति का मूल्य जिसके संबंध में किसी विसंगति को सूचित किया गया है और आपूर्तिकर्ता द्वारा उसके वैध रिटर्न पर उस महीने जब विसंगति को सूचित किया गया था सुधार नहीं किया गया है तब इसे कथित आपूर्तिकर्ता के आउटपुट दायित्व में जोड़ दिया जाएगा, आगामी कैलेंडर महीने के लिये जिस कैलेंडर महीने में विसंगति को सूचित किया गया था। संबंधित आपूर्तिकर्ता, जिसके आउटपुट/उत्पादन कर देयता में किसी राशि को जोड़ दिया जाता है, तब वह ब्याज सहित इस तरह की आपूर्ति के संबंध में देय कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, धारा 36 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट दर पर उस राशि पर जब उसे ऐसी तारीख को देय भुगतान की तारीख पर जोड़ा गया था।

जॉब वर्क

9. जॉब वर्क

प्र 1. जॉब-वर्क क्या है?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 2(62) प्रदान करती है कि "जॉब-वर्क" का मतलब किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा उपचार या प्रक्रिया करने से है जो किसी दूसरे पंजीकृत कराधीन व्यक्ति के लिये माल से संबंधित है और "जॉब-वर्कर" की अभिव्यक्ति का अर्थ उसी अनुसार समझा जाएगा।

यह परिभाषा इससे भी अधिक व्यापक है जैसा अधिसूचना संख्या 214/86 – सीई दिनांक 23 मार्च, 1986, यथा संशोधित में दी गई है, जिसमें जॉब-वर्क को इस तरह से परिभाषित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जॉब-वर्क की गतिविधि को विनिर्माण/उत्पादन के समतुल्य माना जाना चाहिये। इस प्रकार जॉब-वर्क स्वतः प्रस्तावित जी.एस.टी. में जॉब-वर्क से संबंधित कराधान की बुनियादी योजना में परिवर्तन को दर्शाता है।

प्र 2. क्या एक कराधीन व्यक्ति द्वारा एक जॉब-वर्कर को भेजे गये माल को आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और उस पर जी.एस.टी. दायित्व होगा? क्यों?

उत्तर: नहीं, इसे आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। एम.जी.एल. की अनुसूची 1 के पैरा 5 के प्रावधान के अनुसार, एक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति (प्रिंसिपल) द्वारा जॉब-वर्कर के पास भेजे गये माल की आपूर्ति, धारा 43ए के अनुसार, आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। इसलिए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पंजीकृत प्रिंसिपल द्वारा एक जॉब-वर्कर को आपूर्ति किये गये माल पर जी.एस.टी. लागू नहीं होगा।

प्र 3. क्या एक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति अपने जॉब-वर्कर को बिना कर भुगतान किये माल भेजा सकता है?

उत्तर: हाँ। एम.जी.एल. की धारा 43ए यह प्रदान करती है कि पंजीकृत कराधीन व्यक्ति (प्रिंसिपल) बिना कर का भुगतान किये कराधीन माल अपने जॉब-वर्कर के पास भेज सकते हैं। वह इसके आगे भी अपने एक जॉब-वर्कर से दूसरे जॉब-वर्कर के पास माल भेज सकता है और इसी तरह कुछ शर्तों के अधीन। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि धारा 43ए के प्रावधानों उन पर लागू नहीं होंगे यदि गैर-कराधीन या छूट प्राप्त माल को जॉब-वर्क पर भेजने के लिये प्रस्तावित किया जाता है।

प्र 4. क्या एक जॉब-वर्कर को पंजीकरण कराना आवश्यक है?

उत्तर: हाँ, जैसा कि एक जॉब-वर्कर सेवाओं की आपूर्ति करता है, उसे पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक होगा यदि उसका सकल कारोबार निर्धारित सीमा से अधिक है।

प्र 5. क्या जॉब-वर्कर के परिसर से प्रिंसिपल के माल की सीधा आपूर्ति करने पर उसे जॉब-वर्कर के कुल कारोबार में सम्मिलित किया जाएगा?

उत्तर: नहीं, यह प्रिंसिपल के सकल कारोबार में शामिल की जाएगी।

प्र 6. क्या प्रिंसिपल अपने ही परिसर में लाये बगैर जॉब-वर्कर के परिसर से सीधा माल की आपूर्ति कर सकता है?

उत्तर: हाँ, लेकिन एक शर्त यह है कि प्रिंसिपल द्वारा कथित जॉब-वर्कर के परिसर को अपने व्यापार के अतिरिक्त स्थल के रूप में घोषित किया जाना चाहिये या जहाँ जॉब-वर्क एक पंजीकृत व्यक्ति है या जहाँ पर माल को अधिसूचित किया गया है।

प्र 7. किन परिस्थितियों में प्रिंसिपल जॉब-वर्कर के परिसर से सीधे माल की आपूर्ति कर सकता है?

उत्तर: माल/वस्तुओं की जॉब-वर्कर के व्यावसायिक स्थल से सीधे आपूर्ति अतिरिक्त व्यापारिक स्थल के रूप में घोषणा किये बिना

दो परिस्थितियों में की जा सकती है अर्थात् जहां जॉब-वर्कर एक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति है या जहां प्रिंसिपल ऐसे माल की आपूर्ति में संलग्न है जिसे उस संबंध में अधिसूचित किया जा सकता है।

प्र 8. जॉब-वर्कर को भेजे गये कच्चे माल/पूँजीगत माल के संबंध में आईटीसी प्राप्त करने के क्या प्रावधान हैं?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 16ए में, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के पहलुओं के संबंध में जॉब-वर्कर के लिये भेजे गये इनपुट/पूँजीगत वस्तुओं को विशेष रूप से संबोधित किया गया है, जिसमें प्रदान किया गया है कि इनपुट या पूँजीगत वस्तुओं पर टैक्स क्रेडिट निम्न तरीकों से लिया जा सकता है:

प्रिंसिपल जॉब-वर्कर को भेजी गई इनपुट का क्रेडिट प्राप्त करने का हकदार होगा यदि कथित आदान, जॉब-वर्कर पूरा हो जाने के बाद उसके भेजे जाने के 180 दिनों के भीतर वापस प्राप्त कर ली जाती हैं। किसी मामले में आदानें जॉब-वर्कर को सीधा भेजी जाती हैं, तब वह तारीख गिनी जाएगी जिस तारीख को जॉब-वर्कर द्वारा वह प्राप्त की गई थी। इसके अतिरिक्त इस तरह के इनपुट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिये ब्याज सहित उसके समतुल्य क्रेडिट के बराबर की राशि का भुगतान किया जाना चाहिये, किसी मामले में यदि इनपुट निर्धारित समय के भीतर वापस प्राप्त नहीं कर ली जाती। क्रेडिट का दावा तब किया जा सकता है जब वास्तव में इनपुट वापस प्राप्त कर ली जाती है।

प्र 9. क्या जॉब-वर्कर के प्रावधान सभी वस्तुओं की श्रेणी पर लागू होते हैं?

उत्तर: नहीं। जॉब-वर्कर के प्रावधान केवल तब लागू होते हैं जब पंजीकृत कराधीन व्यक्ति कराधीन माल भेजना चाहता है। दूसरे शब्दों में, ये प्रावधान उन पर लागू नहीं होते जिन्हें छूट प्राप्त या गैर-कराधीन माल/वस्तुओं या भेजने वाला व्यक्ति पंजीकृत कराधीन व्यक्ति नहीं है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट

10. इनपुट टैक्स क्रेडिट

प्र 1. इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है?

उत्तर: "इनपुट टैक्स" को एम.जी.एल. की धारा 2(57) और आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 2(1)(डी) में परिभाषित किया गया है। एक कराधीन व्यक्ति के संबंध में, इनपुट टैक्स, का मतलब सी.जी.एस.टी. अधिनियम से संबंधित [आई.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी.] है और एस.जी.एस.टी. अधिनियम के संबंध में [आई.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी.] है, जिसे किसी भी वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है जिसका उपयोग किया गया है, या उपयोग करने का इरादा है, व्यापार के लिये या व्यापार को आगे बढ़ाने में और धारा 7 की उपधारा (3) के अंतर्गत देय कर शामिल है।

आई.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत, इनपुट टैक्स को आई.जी.एस.टी., सी.जी.एस.टी. या एस.जी.एस.टी. के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे किसी भी वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया है।

प्र 2. तीन अधिनियमों अर्थात् सी.जी.एस.टी., एस.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. अधिनियमों में "इनपुट टैक्स" की अलग अलग परिभाषायें क्या हैं?

उत्तर: यह संकेत करता है कि सी.जी.एस.टी. अधिनियम में इनपुट टैक्स में आई.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. तथा एस.जी.एस.टी. अधिनियम में आई.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. सम्मिलित होते हैं। आई.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत, इनपुट टैक्स में तीन कर सम्मिलित होते हैं अर्थात्, आई.जी.एस.टी., सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी.।

आगे यह भी संकेत करता है कि इन तीनों का क्रेडिट आई.जी.एस.

टी. दायित्व के निर्वहन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जबकि आई.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. का क्रेडिट केवल सी.जी.एस.टी. अधिनियम में लिया जा सकता है तथा इसी प्रकार आई.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. का क्रेडिट एस.जी.एस.टी. अधिनियम में लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. के क्रेडिट का उपयोग एक दूसरे के प्रतिकूल नहीं किया जा सकता।

प्र 3. क्या रिवर्स प्रभार पर भुगतान किये गये जीएसटी को इनपुट कर के रूप में माना जा सकता है?

उत्तर: हाँ। इनपुट कर की परिभाषा में धारा 7 की उप-धारा (3) के अंतर्गत (रिवर्स प्रभार) देय कर शामिल है। इसके क्रेडिट का लाभ उठाया जा सकता है अगर व्यापारिक प्रयोजन या व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये ऐसी वस्तुओं और/या सेवाओं का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग किये जाने का इरादा है।

प्र 4. क्या इनपुट कर में इनपुट माल, इनपुट सेवाओं और/या पूंजीगत माल पर भुगतान किये कर (सी.जी.एस.टी./आई.जी.एस.टी./ एस.जी.एस.टी.) शामिल है?

उत्तर: हाँ, क्रमशः एम.जी.एल. की धारा 2(54), 2(55) और 2(20) के संदर्भ में। इस पर ध्यान दिया जा सकता है कि पूंजीगत वस्तुओं पर भी भुगतान किये कर के क्रेडिट का लाभ एक किस्त में उठाने की अनुमति दी जाती है।

प्र 5. एक व्यक्ति की आई.टी.सी. की पात्रता क्या है जिसने अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण करने की उत्तरदायी तिथि से तीस दिनों के भीतर पंजीकरण का आवेदन किया है और उसे कथित पंजीकरण प्रदत्त कर दिया गया है? (धारा 16(2))

उत्तर: वह उसके पास रखे स्टॉक और अर्ध-निर्मित माल या स्टॉक में रखे तैयार माल पर इनपुट कर का क्रेडिट प्राप्त करने का हकदार

तुरन्त उस तिथि की एक दिन पूर्व तिथि पर हो जाएगा जिस तारीख को अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत वह कर के भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हो जाता है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि पंजीकरण करने से पहले रखे स्टॉक पर क्रेडिट स्वीकार्य नहीं होगा यदि जिस तारीख से वह पंजीकरण के लिये उत्तरदायी हो जाता है उसके 30 दिनों की अवधि के भीतर वह पंजीकरण प्राप्त नहीं कर लेता।

प्र 6. एक व्यक्ति 1 अगस्त, 2017 को कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है और उसे 15 अगस्त, 2017 को पंजीकरण प्राप्त हुआ है। ऐसा व्यक्ति दिनांक को स्टॉक में पड़े इनपुट के इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने का हकदार है?

उत्तर: 31 जुलाई, 2017

प्र 7. एक व्यक्ति की स्टॉक में रखे कच्चे माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की क्या पात्रता है जिसने स्वेच्छा से पंजीकरण प्राप्त किया है?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 16(2) के अनुसार, एक व्यक्ति जो स्वैच्छिक पंजीकरण प्राप्त करता है उसे पंजीकरण की तारीख से तुरन्त पहले की तारीख पर स्टॉक में रखे कच्चे माल, स्टॉक में अर्ध-निर्मित माल और स्टॉक में रखे तैयार माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की पात्रता प्राप्त होगी।

प्र 8. जहां एक कराधीन व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई वस्तुएं और/या सेवाओं का प्रयोग कराधीन और गैर-कराधीन आपूर्तियों के लिये किया जाता है, क्या पंजीकृत कराधीन व्यक्ति को इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध हैं?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 16(6) के अनुसार, वस्तुओं और/या सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल कराधीन आपूर्तियों पर आरोप्य है और केवल पंजीकृत कराधीन व्यक्ति द्वारा लिया जा सकता है।

है और केवल पंजीकृत कराधीन व्यक्ति द्वारा लिया जा सकता है। पात्र के ऋण की राशि की गणना इस तरीके से निर्धारित की जाएगी जैसा एम.जी.एल. की धारा 16(7) के साथ जीएसटी आई.टी.सी. नियमों (अभी भी जारी करना बाकी) में पढ़ी जा सकती है। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि अब पूंजीगत माल पर क्रेडिट को भी आनुपातिक आधार पर अनुमति दी जाएगी।

प्र 9. जहां कराधीन व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और/या सेवाओं का उपयोग व्यापारिक और गैर-व्यापारिक आपूर्तियों के उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, क्या पंजीकृत कराधीन व्यक्ति को इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध हैं?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 16(5) के अनुसार, वस्तुओं और/या सेवाओं का इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल उन आपूर्तियों पर आरोप्य होगा जिन्हें व्यापारिक उद्देश्य के लिए पंजीकृत कराधीन व्यक्ति द्वारा लिया जा सकता है। पात्र ऋण की राशि की गणना उस तरीके से की जाएगी जैसी एम.जी.एल. की धारा 16(7) के साथ जीएसटी आई.टी.सी. नियमों (अभी भी जारी करना बाकी) में पढ़ी जा सकती है। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि अब पूंजीगत माल पर क्रेडिट को भी आनुपातिक आधार पर अनुमति दी जाएगी।

प्र 10. उन मामलों में इनपुट कर की पात्रता क्या होगी जहां एक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति के संस्थापन में कोई परिवर्तन होता है?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 16(8) के अनुसार, हस्तांतरणकर्ता को ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाएगी जो उसके खाता बहियों में प्रयोग नहीं किये गये बशर्ते यह कि वहां देनदारियों के हस्तांतरण के लिए विशिष्ट प्रावधान होने चाहिये।

प्र 11. उस मामले में इनपुट टैक्स की पात्रता क्या होगी जहां वस्तुओं और/या सेवाओं के लिए पंजीकृत कराधीन व्यक्ति द्वारा आपूर्ति पूरी तरह से छूट प्राप्त हैं?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 16(12) के अनुसार, एक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति जो उन वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति करता है जिनपर पूरी तरह छूट दी गई है, उसे उसके स्टॉक में रखे कच्चे माल और अर्ध-निर्मित माल या तैयार माल पर छूट देने की तारीख से तुरन्त एक दिन पहले की तारीख पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के समतुल्य राशि का भुगतान करना होगा है। यह भी प्रावधान किया गया है कि इस तरह के वस्तुओं पर राशि के भुगतान के बाद, शेष राशि, यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में उपलब्ध है वह रद्द हो जाएगा। राशि, जिसका भुगतान किया जाना आवश्यक है, एम.जी.एल. की धारा 16(13) के अनुसार उसकी गणना जीएएपी के रूप में की जाएगी।

प्र 12. उन मामलों में इनपुट टैक्स की पात्रता क्या होगी जहां कराधीन व्यक्ति धारा 7 के अंतर्गत कर का भुगतान करता है और धारा 8 के अंतर्गत संयुक्त योजना (Compounding Scheme) के अंतर्गत कर के भुगतान का विकल्प चयन करता है?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 16(12) के अनुसार, एक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति, जो धारा 7 के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा था अब वह धारा 8 के अंतर्गत संयुक्त योजना के अंतर्गत कर के भुगतान का विकल्प चुनता है, उसे उसके स्टॉक में रखे कच्चे माल और अर्ध-निर्मित माल या स्टॉक में तैयार माल के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट के समतुल्य राशि का भुगतान उक्त तारीख से तुरन्त एक दिन पहले की तारीख पर करना होगा जिस तारीख पर वह कर भुगतान के विकल्प में बदलाव करता है। यह भी प्रावधान किया गया है कि इस तरह के वस्तुओं पर राशि के भुगतान के बाद, शेष राशि, यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में उपलब्ध है, वह रद्द हो जाएगी। राशि, जिसका भुगतान किया जाना आवश्यक है, एम.जी.एल. की धारा 16(13) के अनुसार उसकी गणना जीएएपी के रूप में की जाएगी।

प्र 13. एक विक्रेता जो संयुक्त आधार पर कर का भुगतान कर रहा है और संयुक्त सीमा रेखा पार कर लेता है और नियमित कराधीन बन जाता है। क्या वह आई.टी.सी. का लाभ उठा सकता है और यदि ऐसा है किस तारीख से?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 16(3) के अनुसार, वह अपने पास स्टॉक में रखे कच्चे माल और अर्ध-निर्मित माल या तैयार माल से संबंधित आई.टी.सी. का लाभ धारा 7 के अंतर्गत उस तारीख से एक दिन पहले की तारीख पर उठा सकता है जिस तारीख पर वह कर के भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हो जाता है

प्र 14. श्रीमान बी, एक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति है जो 30 जुलाई, 2017 तक संरचना दर के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहे थे। हालांकि, 31 जुलाई, 2017 से प्रभावी, श्रीमान बी. नियमित योजना के अंतर्गत कर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी जाते हैं। क्या वह आई.टी.सी. के लिए पात्र हैं?

उत्तर: श्रीमान बी. 30 जुलाई, 2017 के अनुसार उनके पास स्टॉक में रखे कच्चे माल और अर्ध-निर्मित माल या तैयार माल के लिये इनपुट टैक्स क्रेडिट के पात्र हैं।

प्र 15. श्रीमान ए. 5 जून 2017 को स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं और उन्हें 22 जून, 2017 को पंजीकरण प्राप्त हो जाता है। श्रीमान ए दिनांक..... को उनके पास रखे स्टॉक के इनपुट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र हैं।

उत्तर: श्रीमान ए. 21 जून, 2017 के अनुसार उनके पास स्टॉक में रखे कच्चे माल और अर्ध-निर्मित माल या तैयार माल के लिये इनपुट टैक्स क्रेडिट के पात्र हैं।

प्र 16. एक कराधीन व्यक्ति कब वस्तुओं और/या सेवाओं के लिये उसे की गई किसी भी आपूर्ति के संबंध में धारा 16 की उपधारा (2),

(2ए) या उपधारा (3) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का पात्र नहीं होगा?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 16(4) के अनुसार, वह इस तरह की आपूर्ति से संबंधित कर चालान/बिल जारी होने की तिथि के एक वर्ष की समाप्ति के बाद आई.टी.सी. का लाभ नहीं उठा सकता।

प्र 17. क्या प्रिंसिपल जॉब वर्कर को जॉब वर्क के लिये भेजे माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने का पात्र है?

उत्तर: हाँ, एम.जी.एल. की धारा 16ए(2) के अनुसार प्रिंसिपल जॉब वर्कर को जॉब वर्क पर भेजे गये माल के लिये इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने का पात्र है।

प्र 18. प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्क के लिये भेजे गये माल को वापस प्राप्त करने की क्या समय अवधि है?

उत्तर: 180 दिन

प्र 19. क्या प्रिंसिपल को उक्त इनपुट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा जिसे जॉब वर्कर से 180 दिनों के भीतर वापस प्राप्त नहीं किया गया है?

उत्तर: हाँ, प्रिंसिपल को ब्याज सहित उक्त इनपुट जिसे 180 दिनों के भीतर जॉब वर्कर से वापस प्राप्त नहीं किया गया है इनपुट क्रेडिट को रिवर्स करना होगा लेकिन वह इनपुट प्राप्त करने के बाद दुबारा क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं।

प्र 20. क्रेडिट का लाभ उठाने के उद्देश्य के लिए निम्न में से कराधीन आपूर्ति की गणना के लिए क्या शामिल किया गया है?

(क) शून्य-दर पर की गई आपूर्तियां;

(ख) छूट प्राप्त आपूर्तियां;

(ग) दोनों?

उत्तर: शून्य—दर पर की गई आपूर्तियां

प्र 21. प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्क के लिये भेजे गये पूंजीगत माल को वापस प्राप्त करने की क्या समयावधि है ?

उत्तर: दो साल

प्र 22. यदि जॉब वर्कर को भेजा गया पूंजीगत माल भेजे जाने की तारीख से 2 साल के भीतर वापस नहीं भेजा जाता तब प्रिंसिपल का क्या दायित्व है?

उत्तर: प्रिंसिपल को कथित पूंजीगत माल पर क्रेडिट प्राप्त की गई राशि के समतुल्य राशि के साथ ब्याज का भुगतान करना होगा। लेकिन वह इनपुट प्राप्त करने के बाद दुबारा क्रेडिट प्राप्त कर सकता है।

प्र 23. एक कराधीन व्यक्ति सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय में संलग्न है। वह अपने कार्यकारी निदेशक के उपयोग के लिए एक मोटर वाहन खरीदता है। क्या वह इस तरह के मोटर वाहन की खरीद पर किये जीएसटी भुगतान पर आई.टी.सी. का लाभ उठा सकता?

उत्तर: नहीं। एम.जी.एल. की धारा 16(9)(ए) के अनुसार, मोटर वाहनों पर आई.टी.सी. का लाभ केवल तब उठाया जा सकता है यदि कराधीन व्यक्ति यात्रियों या वस्तुओं के परिवहन के कारोबार में संलग्न है या मोटर वाहनों पर प्रशिक्षण देने की सेवाएं प्रदान कर रहा है।

प्र 24. जहां एक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुओं की लागत पर कर घटक पर मूल्यह्रास का दावा किया है, क्या ऐसे मामलों में आई.टी.सी. की अनुमति दी जाएगी?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 16(10) के अनुसार, कथित कर घटक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्र 25. आई.टी.सी. प्राप्त करने के लिए क्या शर्तें आवश्यक हैं?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 16(11) के अनुसार, निम्नलिखित चार शर्तें निर्दिष्ट की गई हैं:

- (क) पंजीकृत कराधीन व्यक्ति के कब्जे में आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किये गए भुगतान संबंधी दस्तावेज़ होने चाहिये;
- (ख) कराधीन व्यक्ति द्वारा वस्तुएं और/या सेवायें प्राप्त करना आवश्यक है;
- (ग) इस तरह की आपूर्ति पर लगाया गया कर वास्तव में सरकार को या तो नकद या इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के माध्यम से भुगतान किया गया है; और
- (घ) कराधीन व्यक्ति द्वारा धारा 27 के अंतर्गत रिटर्न प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

प्र 26. जहाँ एक चालान/बिल पर वस्तुएं/माल एक समूह या किशतों में प्राप्त किया जाता है, एक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति किस प्रकार आई.टी.सी. का लाभ पाने का पात्र होगा?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 16(11) के प्रावधान के रूप में, पंजीकृत कराधीन व्यक्ति माल का अंतिम समूह या किशत प्राप्त करने के बाद क्रेडिट पाने का हकदार होगा ।

प्र 27. यदि माल किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा गया है जो कराधीन नहीं है तब ऐसी स्थिति में किसे आई.टी.सी. का फायदा मिलेगा (बिल प्राप्तकर्ता – प्राप्तकर्ता परिदृश्य)?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 16(11) के स्पष्टीकरण खंड के अनुसार, माल प्राप्त करने के इस उद्देश्य के लिए, जब माल कथित कराधीन व्यक्ति के निर्देश पर किसी तीसरे पक्ष के पास भेजा जाता है तब यह समझा जाएगा कि माल कथित कराधीन व्यक्ति को प्राप्त हुआ है । इसलिये आई.टी.सी. का फायदा उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जिसके निर्देश पर तीसरे पक्ष को भेजा गया है ।

प्र 28. आई.टी.सी. का लाभ लेने की क्या समय सीमा है?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 16(15) के अनुसार, आई.टी.सी. का लाभ, आगामी वित्तीय वर्ष के सितम्बर महीने के बाद जिससे चालान सम्बंधित है या वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तारीख जो भी पहले आती है, के बाद नहीं लिया जा सकता है।

इस प्रतिबंध के लिए बुनियादी तर्क यह है कि अगले वित्त वर्ष के सितंबर महीने के बाद रिटर्न में किसी तरह का बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वार्षिक रिटर्न सितंबर के महीने से पहले दायर किया जाता है तब रिटर्न दायर करने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।

प्र 29. क्या वहाँ कोई नकारात्मक सूची है जिसमें आई.टी.सी. की अनुमति नहीं है?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 16(9) आई.टी.सी. की स्वीकार्यता के संबंध में नकारात्मक सूची प्रदान करती है। यह प्रावधान किया गया है कि आई.टी.सी. का फायदा निम्नलिखित मदों पर नहीं उठाया जा सकता:

- (क) मोटर वाहनों पर, सिवाय जब उनके व्यापार के सामान्य क्रम में आपूर्ति की जाती है या निम्न कराधीन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं –
 - (i) यात्रियों का परिवहन, या
 - (ii) वस्तुओं की ढुलाई, या
 - (iii) मोटर ड्राइविंग कौशल पर प्रशिक्षण देना;
- (ख) खाद्य और पेय पदार्थ, आउटडोर कैटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, क्लब की सदस्यता, स्वास्थ्य और फिटनेस सेंटर की सदस्यता, जीवन बीमा, कर्मचारियों को छुट्टियों पर स्वास्थ्य बीमा और ट्रेवल के लाभ जैसे अवकाश या एचटीसी के संबंध

में वस्तुएं और/या सेवाएं प्रदान करना, जब इस तरह की वस्तुओं और/या सेवाओं का मुख्य रूप से निजी इस्तेमाल के लिये या कर्मचारियों के उपभोग के लिये प्रदान किया जाता है।

- (ग) प्रिंसिपल द्वारा काम के अनुबंध के निष्पादन के लिये इन वस्तुओं और/या सेवाओं को हासिल करना जब कथित अनुबंध संयंत्र और मशीनरी को छोड़कर अचल संपत्ति के निर्माण में परिणत होते हैं;
- (घ) प्रिंसिपल द्वारा वस्तुओं/माल का अधिग्रहण करना, संपत्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित (चाहे वह वस्तुओं के रूप में या किसी अन्य रूप में है) नहीं की गई, जिसे अचल संपत्ति के निर्माण में संयंत्र और मशीनरी छोड़कर प्रयोग किया जाता है,
- (ङ) वस्तुएं और/या सेवाएं जिन पर धारा 8 के अंतर्गत कर का भुगतान कर दिया गया है; और
- (च) वस्तुएं और/या सेवाएं जिन्हें निजी या व्यक्तिगत उपभोग के लिये इस्तेमाल किया गया था, इस हद तक कि वे उपयोग की जा सकें।

प्र 30. एम.जी.एल. की धारा 29 यह प्रदान करती है कि आई.टी.सी. की पुष्टि केवल तभी की जाएगी जब प्राप्तकर्ता द्वारा दायर किये आवक/इनवर्ड विवरण आपूर्तिकर्ता के वैध रिटर्न पर जावक/आउटवर्ड विवरणों से मिलान हो जाएंगे। यदि उनका मिलान नहीं होता तब क्या होगा?

उत्तर: आवक और जावक के विवरण के बीच मिलान नहीं होने के मामले में, आपूर्तिकर्ता को दो महीने की अवधि के भीतर बेमेल विवरण में सुधार करना आवश्यक होगा और फिर भी यदि त्रुटि बनी रहती है, प्राप्तकर्ता द्वारा आई.टी.सी. को रिवर्स/उलटना होगा।

प्र 31. जब एक कराधीन व्यक्ति द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर आई.टी. सी. का फायदा लिया गया है उसका कर कैसे प्रभावित होगा?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 16(15) के अनुसार, पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति के मामलों में जिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है, पंजीकृत कराधीन व्यक्ति कथित पूंजीगत वस्तुओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के समतुल्य राशि से कम का भुगतान करेगा और उसकी प्रतिशत दर में कितनी कम होगी जैसे इस संबंध में वह निर्दिष्ट की जा सकती है या इस तरह की पूंजीगत वस्तुओं/माल के लेनदेन मूल्य पर लगाया गया कर जो भी अधिक है।

प्र 32. गलत तरीके से प्राप्त किये क्रेडिट की वसूली के लिये क्या तंत्र है?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 16(16) के अनुसार, गलत तरीके से क्रेडिट का लाभ प्राप्त करने पर एम.जी.एल. की धारा 51 के अनुसार पंजीकृत कराधीन व्यक्ति से वसूल किया जाएगा।

जी.एस.टी. में इनपुट सेवा
वितरक की अवधारणा

11. जी.एस.टी. में इनपुट सेवा वितरक की अवधारणा

प्र 1. इनपुट सेवा वितरक (आई.एस.डी.) क्या है?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 2(56) के अनुसार, आई.एस.डी. वस्तुओं और/या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का कार्यालय है जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति पर धारा 23 के अंतर्गत जारी किये कर चालान/बिल प्राप्त करता है और कर चालान/वस्तुओं और/या सेवाओं के कराधीन आपूर्तिकर्ता को कथित सेवाओं की आपूर्ति के लिये बिल या इस प्रकार के अन्य दस्तावेज जारी करता है या अन्य दस्तावेज जैसा सी.जी.एस.टी. (राज्य अधिनियमों में एस.जी.एस.टी.) क्रेडिट वितरण के प्रयोजन के लिए निर्धारित किया गया है और/या आई.जी.एस.टी. जिन्हें इन सेवाओं के लिये कराधीन आपूर्तिकर्ता के क्रेडिट वितरण के प्रयोजन के लिए, आईएसडी सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में माना जाता है। और/या कथित सेवाओं के कराधीन वस्तुओं और/या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता जिसका वैसा ही पी.ए.एन. है जैसा ऊपर उल्लेख किया है। क्रेडिट वितरण के प्रयोजन के लिए, आई.एस.डी. को सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में माना जाता है।

प्र 2. आई.एस.डी. के रूप में पंजीकरण के लिए क्या आवश्यकताएं हैं?

उत्तर: एक आई.एस.डी. को एक डीमड सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। (धारा 19 अनुसूची III के पैरा 5 (vii) के साथ पढ़ें)। आई.एस.डी. पर पंजीकरण की सीमा लागू नहीं होती। मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत आई.एस.डी. का पंजीकरण (अर्थात् सर्विस कर) जीएसटी व्यवस्था में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा। सभी मौजूदा आई.एस.डी. यदि वे आई.एस.डी. के रूप में संचालन करना चाहते हैं तो उन्हें नई व्यवस्था के अंतर्गत नए सिरे

से पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है।

प्र 3. क्रेडिट के वितरण की क्या शर्तें/प्रतिबंध हैं?

उत्तर: क्रेडिट का वितरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाएगा:

- क. क्रेडिट कर चालान/बिलों या अन्य दस्तावेजों के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए जैसा निर्धारित किया गया है;
- ख. वितरित क्रेडिट की राशि उपलब्ध क्रेडिट की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- ग. क्रेडिट केवल उन्हीं आपूर्तिकर्ताओं को वितरित किया जाना चाहिए जिन्हें कथित सेवाओं के लिये निश्चित किया गया है;
- घ. एक से अधिक सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के संबंध में क्रेडिट पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित आपूर्तिकर्ता के टर्नओवर/कुल बिक्री के आधार पर उसी अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए।

प्र 4. क्या आई.एस.डी. को रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है?

उत्तर: हाँ, एम.जी.एल. की धारा 27 (6) के अनुसार, आई.एस.डी. को अगले महीने की 13 तारीख तक जी.एस.टी.आर.-6 प्रपत्र में मासिक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।

प्र 5. क्या एक कंपनी के कई आई.एस.डी. हो सकते हैं?

उत्तर: हाँ, विभिन्न कार्यालयों में जैसे विपणन प्रभाग, सुरक्षा विभाग, आदि अलग-अलग आई.एस.डी. के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्र 6. आई.एस.डी. द्वारा वितरित किए गए अतिरिक्त/गलत क्रेडिट

की वसूली के लिए क्या प्रावधान हैं?

उत्तर: धारा 18(1) और 18(2) आई.एस.डी. के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर आई.एस.डी. से वितरित किए गए अतिरिक्त/गलत क्रेडिट की वसूली के प्रावधान करती है या इस प्रकार वितरित किये गये क्रेडिट प्राप्तकर्ता के विरुद्ध मॉडल जी.एस.टी. कानून की धारा 51 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करके।

प्र 7. क्या आई.एस.डी. द्वारा सी.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. क्रेडिट विभिन्न राज्यों में स्थित इकाइयों को आई.जी.एस.टी. के रूप में वितरित किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ। सी.जी.एस.टी. क्रेडिट आई.जी.एस.टी. के रूप में और आई.जी.एस.टी. क्रेडिट आई.जी.एस.टी. के रूप में आई.एस.डी. द्वारा विभिन्न राज्यों में स्थित इकाइयों को वितरित किया जा सकता है। (धारा 17(1))

प्र 8. क्या आई.एस.डी. द्वारा एस.जी.एस.टी. क्रेडिट आई.जी.एस.टी. क्रेडिट के रूप में विभिन्न राज्यों में स्थित इकाइयों को वितरित किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ, एक आई.एस.डी. एस.जी.एस.टी. क्रेडिट को आई.जी.एस.टी. क्रेडिट के रूप में विभिन्न राज्यों में स्थित इकाइयों को वितरित कर सकता है (धारा 17(2))।

प्र 9. क्या आई.एस.डी. सी.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. क्रेडिट को सी.जी.एस.टी. क्रेडिट के रूप में वितरित कर सकता है?

उत्तर: हाँ, सी.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. क्रेडिट को आई.एस.डी. द्वारा सी.जी.एस.टी. के रूप में एक ही राज्य में स्थित इकाइयों के लिये वितरित किया जा सकता है ?

प्र 10. क्या एस.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. क्रेडिट को एस.जी.

एस.टी. क्रेडिट के रूप में वितरित किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ, आई.एस.डी. एक ही राज्य में स्थित इकाइयों के लिए एस.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. क्रेडिट वितरित कर सकते हैं।

प्र 11. वे कौन से दस्तावेज़ हैं जिनके माध्यम से आई.एस.डी. द्वारा क्रेडिट एक वितरित किया जा सकता है?

उत्तर: वे दस्तावेज़ जिनके अंतर्गत क्रेडिट वितरित किया जा सकता है अभी निर्धारित किये जाने बाकी हैं। अधिनियम यह प्रदान करता है कि क्रेडिट केवल निर्धारित दस्तावेज़ के माध्यम से वितरित किये जा सकते हैं।

प्र 12. आई.एस.डी. की सभी इकाइयों के बीच कैसे समान क्रेडिट वितरित किया जाना चाहिए?

उत्तर: सभी इकाइयों द्वारा इस्तेमाल किया गया समान क्रेडिट आई.एस.डी. द्वारा यथानुपात आधार पर वितरित किया जा सकता है अर्थात् प्रत्येक ईकार्ड के टर्नओवर/कुल बिक्री और उन इकाइयों की सकल टर्नओवर के आधार पर जिन्हें क्रेडिट वितरित किया गया है।

प्र 13. आई.एस.डी. राज्यों के बाहर प्राप्तकर्ताओं को सी.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. वितरित कर सकते हैं जैसे

(क) आई.जी.एस.टी.

(ख) सी.जी.एस.टी.

(ग) एस.जी.एस.टी.

उत्तर: (क) आई.जी.एस.टी.

प्र 14. आई.एस.डी. राज्य के भीतर सी.जी.एस.टी. क्रेडिट वितरित कर सकते हैं जैसे

(क) आई.जी.एस.टी.

- (ख) सी.जी.एस.टी.
- (ग) एस.जी.एस.टी.
- (घ) उपरोक्त में से कोई एक

उत्तर: (ख) सीजीएसटी

प्र 15. एक से अधिक आपूर्तिकर्ता द्वारा इस्तेमाल इनपुट सेवा कर के भुगतान पर क्रेडिट होगा।

- (क) उन आपूर्तिकर्ताओं में उस राज्य की टर्नओवर के यथानुपात आधार पर वितरित किया जाएगा जो कथित इनपुट सेवाओं का प्रयोग करते हैं।
- (ख) समान रूप से सभी आपूर्तिकर्ताओं के बीच वितरित किया है।
- (ग) केवल एक आपूर्तिकर्ता को वितरित किया गया है।
- (घ) वितरित नहीं किया जा सकता।

उत्तर: (क) उन आपूर्तिकर्ताओं में उस राज्य की टर्नओवर के यथानुपात आधार पर वितरित किया जाएगा जो कथित इनपुट सेवाओं का प्रयोग करते हैं।

प्र 16. क्या विभाग द्वारा अतिरिक्त वितरित क्रेडिट को वसूल किया जा सकता है ?

उत्तर: हाँ, अतिरिक्त वितरित किये गये क्रेडिट को ब्याज के साथ आई.एस.डी. से विभाग द्वारा वसूल किया जा सकता है।

प्र 17. अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में वितरित क्रेडिट के क्या दृशपरिणाम हो सकते हैं?

उत्तर: अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में वितरित क्रेडिट उस इकाई से ब्याज सहित वसूले जा सकते हैं जिसने वितरित किया है।

रिटर्न की प्रक्रिया और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान

12. रिटर्न की प्रक्रिया और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान

प्र 1. रिटर्न का क्या उद्देश्य है?

उत्तर: क) कर प्रशासन सूचना के हस्तांतरण के लिये साधन है

ख) कर प्रशासन के अनुपालन का सत्यापन कार्यक्रम है

ग) निर्धारित सीमित अवधि के भीतर करदाता की कर देनदारियों को अंतिम रूप देना; एक निश्चित अवधि के लिए कर देनदारी की घोषणा करना;

घ) नीतिगत निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारियां प्रदान करना;

ङ) कर प्रशासन के लेखा परीक्षा और करचोरी विरोधी कार्यक्रमों का प्रबंधन।

प्र 2. जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत किसे रिटर्न भरने की आवश्यकता है?

उत्तर: प्रत्येक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति – जिसने करों के भुगतान की सीमारेखा पार कर ली है। एक आपूर्तिकर्ता का सकल कारोबार/बिक्री नौ लाख रुपये पार कर जाता है लेकिन वह कराधीन व्यक्ति केवल तब बनता है जब उसका सकल कारोबार/बिक्री दस लाख रुपये पार करता है। अतः उसे दस लाख रुपये की सीमारेखा पार करने पर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक होगा। वहां कुछ अन्य वर्गों के लोग भी हैं जिन्हें पंजीकृत करने की आवश्यकता है और इसलिए उन्हें अंतर-राज्य आपूर्तिकर्ताओं, टीडीएस कटौतिकर्ताओं, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों आदि के माध्यम से वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं की तरह रिटर्न फाइल करना होगा। (अनुसूची-III और पंजीकरण अध्याय के प्रश्न 6 का संदर्भ लें)।

प्र 3. रिटर्न में किस प्रकार की जावक आपूर्ति के विवरण दाखिल करने होंगे?

उत्तर: एक सामान्य पंजीकृत करदाता को एक महीने में की गई विभिन्न प्रकार की जावक आपूर्तियों के संबंध में आपूर्ति के विवरण जी.एस.टी.आर.-1 में दाखिल करने होंगे, यथा पंजीकृत व्यक्तियों को की गई जावक आपूर्तियां, गैर-पंजीकृत व्यक्तियों (उपभोक्ताओं) को की गई जावक आपूर्तियां, क्रेडिट/डेबिट नोट्स के विवरण, शून्य मूल्यांकित, छूट प्राप्त और गैर-जी.एस.टी. आपूर्तियां, निर्यात, और भविष्य की आपूर्ति के संबंध में प्राप्त अग्रिम राशि।

प्र 4. क्या चालान/बिलों की स्कैन की गई प्रतिलिपी जी.एस.टी.आर.-1 के साथ अपलोड की जाएगी?

उत्तर: नहीं। चालान/बिलों की स्कैन की गई प्रतिलिपी को अपलोड नहीं किया जाएगा। चालान/बिलों के केवल कुछ पूर्व निर्धारित हिस्सों को अपलोड करने की आवश्यकता है।

प्र 5. क्या सभी चालान/बिलों को अपलोड करना होगा?

उत्तर: नहीं। यह इस पर निर्भर करता है कि क्या बी2बी या बी2सी और क्या वह अंतर-राज्य या राज्य के भीतर की गई आपूर्तियां हैं।

बी2बी की आपूर्तियां, सभी बिलों/चालानों, चाहे वह अंतर-राज्य या राज्य के भीतर की आपूर्तियां हैं, उन्हें अपलोड करना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आईटीसी प्राप्तकर्ताओं द्वारा लिया जाएगा, जिसके लिये चालान/बिलों का मिलान किया जाना आवश्यक है।

बी2सी आपूर्तियां, इसके अंतर्गत आमतौर पर अपलोडिंग करना आवश्यक नहीं हो सकता क्योंकि खरीदार आईटीसी प्राप्त नहीं करेगा। हालांकि गंतव्य आधारित सिद्धांत लागू करने के क्रम में, अंतर-राज्य बी2बी की आपूर्ति में 2.5 लाख रुपये से अधिक मूल्य के

चालान/बिल अपलोड करने होंगे। राज्य के भीतर चालानों/बिलों के लिए 2.5 लाख रुपये और सभी राज्यों के भीतर राज्य चालान/बिलों के, राज्यवार सारांश प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा।

प्र 6. क्या चालान/बिल में दिये गये प्रत्येक मद के विवरण अपलोड करने होंगे?

उत्तर: नहीं। वास्तव में विवरण अपलोड करना आवश्यक नहीं होगा। वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में केवल एचएसएन कोड सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में लेखा कोड भरना पड़ेगा। रिटर्न दायर करने वाला व्यक्ति द्वारा कितने न्यूनतम अंक अपलोड करने होंगे यह उसके पिछले साल के कारोबार पर निर्भर करेगा:

प्र 7. क्या प्रत्येक लेनदेन का मूल्य भरना होगा? यदि कोई प्रतिफल (Consideration) नहीं है तब क्या होगा?

उत्तर: हाँ। न केवल मूल्य बल्कि कराधीन मूल्य भी भरना होगा। कुछ मामलों में दोनों अलग-अलग हो सकते हैं।

किसी मामले में यदि कोई प्रतिफल नहीं है, लेकिन यह अनुसूची 1 के आधार पर आपूर्ति है, कराधीन मूल्य को अपलोड करना होगा।

प्र 8. क्या एक प्राप्तकर्ता अपने जी.एस.टी.आर.-2 में जानकारी भर सकता है जो आपूर्तिकर्ता द्वारा छूट गई है?

उत्तर: हाँ, प्राप्तकर्ता अपने आप चालान/बिलों को भर सकता है यदि उसके आपूर्तिकर्ता द्वारा उन्हें अपलोड नहीं किया गया। ऐसे चालानों/बिलों पर भी अस्थायी क्रेडिट (प्रोविजनल क्रेडिट) प्रावधिक क्रेडिट दिया जाएगा लेकिन उनका मिलान होना आवश्यक है। मिलान हो जाने पर, यदि चालान/बिल आपूर्तिकर्ता द्वारा अपलोड नहीं किया है, उन दोनों को सूचित कर दिया जाएगा। यदि त्रुटि को सुधारा गया है, अस्थायी क्रेडिट (प्रोविजनल क्रेडिट) की पुष्टि कर दी जाएगी। यदि सूचना के बाद भी त्रुटि को सुधारा नहीं गया,

अस्थाई क्रेडिट (प्रोविजनल क्रेडिट) की अनुमति रद्द/उलट कर दी जाएगी।

प्र 9. क्या कराधीन व्यक्ति को जी.एस.टी.आर.-2 में कुछ भरना होगा या जी.एस.टी.आर.-1 में रखे (auto-populated) सारे विवरण स्वतः ले लिये जाएंगे?

उत्तर: जबकि जी.एस.टी.आर.-2 के एक बड़े हिस्से में विवरण स्वतः ले लिये जाएंगे, वहाँ कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें केवल प्राप्तकर्ता ही भर सकता है जैसे आयात के विवरण, गैर-पंजीकृत व्यक्ति से खरीदारी के विवरण या संरचना आपूर्तिकर्ता (*composition suppliers*) और छूट प्राप्त/गैर-जी.एस.टी./शून्य जी.एस.टी. आपूर्तिकर्ता आदि।

प्र 10. क्या होगा यदि चालान/बिल का मिलान नहीं होता? क्या आईटीसी दिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा ? यदि इन्कार किया गया है, आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी है?

उत्तर: अगर जी.एस.टी.आर.-2 में चालान/बिल विपरीत पक्ष के जी.एस.टी.आर.-1 के चालान/बिल के साथ मिलान नहीं खाता और दोनों पक्ष को सूचित करने के बाद भी अगर त्रुटि/बेमेल में सुधार नहीं किया गया तो आई.टी.सी. को उलट दिया जाएगा। बेमेल दो कारणों से हो सकता है। सबसे पहले, यह प्राप्तकर्ता के पक्ष में गलती की वजह से हो सकता है, और इस तरह के मामले में, आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। दूसरे, इसकी संभावना हो सकती है कि कथित आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान/बिल जारी किया गया था लेकिन उसने वह अपलोड नहीं किया और उसपर कर का भुगतान नहीं किया है। ऐसे मामले में, आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई की जाएगी। संक्षेप में, यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई है लेकिन उसने कर का भुगतान नहीं किया है तब सभी बेमेल, कार्यवाही में परिणत होंगे।

प्र 11. यदि एक आपूर्तिकर्ता को बाद में गलती का पता चलता है और वह जानकारी भर देता है, ऐसी स्थिति में रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में कानूनी स्थिति क्या होगी?

उत्तर: किसी भी चरण पर, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष की सितंबर से पहले, आपूर्तिकर्ता अपने जी.एस.टी.आर.-3 के उस महीने जब वह बिल/चालान को अपलोड करने के बाद इस तरह के छूट गये चालान/बिल पर शुल्क और ब्याज का भुगतान कर सकता है। इस प्रकार प्राप्तकर्ता को उस चालान/बिल पर स्वचालित रूप से आईटीसी का लाभ प्राप्त हो जाएगा। व्युत्क्रमण (*reversal*) के समय जी.एस.टी.एन. के स्वचालित प्रणाली के माध्यम से प्राप्तकर्ता द्वारा ब्याज के भुगतान की राशि को भी वापस लौटा दिया जाएगा।

प्र 12. जी.एस.टी.आर.-2 की खास विशेषता क्या है?

उत्तर: जी.एस.टी.आर.-2 की खास विशेषता यह है कि एक प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त की गई आपूर्ति के विवरण स्वचालित आधार पर विपरीत पक्ष द्वारा जी.एस.टी.आर.-1 में अपलोड करने के बाद भर जाता है।

प्र 13. क्या इन्कार किया गया आईटीसी दुबारा प्राप्त किया जा सकता है?

उत्तर: यदि एक आपूर्तिकर्ता व्युत्क्रमण (*reversal*) के बाद किसी भी समय लेकिन अगले वित्त वर्ष की सितंबर तक चालान/बिल अपलोड करता है, तब पहले उलट दिये गये क्रेडिट को व्युत्क्रमण के दौरान किये ब्याज के भुगतान के साथ वापस लौटा कर प्राप्त किया जा सकता है।

प्र 14. क्या संरचना योजना (*composition scheme*) के अंतर्गत करदाताओं को भी जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-2 दायर करना आवश्यक है?

उत्तर: नहीं। संरचना करदाताओं को जावक या आवक आपूर्ति के किसी भी विवरण को दर्ज करना आवश्यक नहीं है। उन्हें जी.एस.टी. आर.-4 प्रारूप में तिमाही के अंत के बाद महीने की पहली तारीख को त्रैमासिक रिटर्न भरना होगा। चूंकि वे किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के पात्र नहीं हैं, उनके लिये जी.एस.टी.आर.-2 की कोई प्रासंगिकता नहीं है और जैसा कि वे अपने प्राप्तकर्ता को कोई क्रेडिट पारित नहीं करते, वहाँ उनके लिए जी.एस.टी.आर.-1 की भी कोई प्रासंगिकता नहीं है। अपने रिटर्न में, उन्हें कर के भुगतान के साथ जावक आपूर्तियों के विवरणों के सारांश घोषित करने होंगे। उन्हें अपनी तिमाही रिटर्न पर अपनी खरीदारी के विवरण भी देने होंगे, उनमें से अधिकांश स्वचालित रूप से सिस्टम पर प्राप्त हो जाएंगे।

प्र 15. क्या इनपुट सेवा वितरक/कों (आई.एस.डी.) को अपने रिटर्न के साथ जावक और आवक आपूर्तियों के अलग-अलग विवरण दाखिल करना आवश्यक है?

उत्तर: नहीं, आई.एस.डी. को केवल जी.एस.टी.आर.-6 में एक रिटर्न दायर करना आवश्यक है और रिटर्न में उन्हें सेवा प्रदाताओं से प्राप्त क्रेडिट और सहायक कंपनियों को उनके द्वारा वितरित क्रेडिट के विवरण उपलब्ध हैं। चूंकि उनके रिटर्न में इन पहलुओं को शामिल किया गया है, इसलिये वहाँ आवक और जावक आपूर्ति के अलग विवरणों को दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्र 16. कैसे एक करदाता उसकी ओर से स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) का क्रेडिट प्राप्त करता है? क्या उसे क्रेडिट प्राप्त करने के लिये कटौतीकर्ता से प्राप्त टीडीएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है?

उत्तर: जी.एस.टी. के अंतर्गत, कटौतीकर्ता जी.एस.टी.आर.-7 प्रारूप में अपने रिटर्न में दर्शायी गई उन सभी कटौतियों के कटौतीवार विवरण प्रस्तुत करेगा जो उसे कटौती की तारीख के आगामी महीने

की 10 तारीख को दाखिल करनी होगी । कटौतीकर्ता द्वारा कटौती के विवरण स्वचालित रूप से जी.एस.टी.आर.-2 में अपलोड हो जाएंगे। करदाता को जी.एस.टी.आर.-2 में उसकी ओर से की गई कटौती पर क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए इन विवरणों की पुष्टि करना आवश्यक होगा। इस क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए वह भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र केवल करदाता के रिकॉर्ड के लिए रखा जाएगा और आम पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्र 17. किन सभी को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है?

उत्तर: आकस्मिक और संरचना योजना के अंतर्गत आने वाले करदाताओं को छोड़कर सभी करदाता जो जी.एस.टी.आर.-1 से 3 में रिटर्न दाखिल करते हैं उन्हें वार्षिक रिटर्न फाइल करना आवश्यक है। आकस्मिक करदाताओं, अनिवासी करदाताओं, आई.एस.डी. और स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

प्र 18. क्या एक वार्षिक रिटर्न और अंतिम रिटर्न एक ही है?

उत्तर: नहीं, वार्षिक रिटर्न प्रत्येक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति द्वारा दाखिल करना होगा जो सामान्य रूप में कर का भुगतान करता है या संयुक्त करदाता (*compounding taxpayer*) है अंतिम रिटर्न केवल उन पंजीकृत कराधीन व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जाएगा जिन्होंने पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन किया है। इसे रद्द करने की तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर दाखिल करना होगा।

प्र 19. यदि रिटर्न दाखिल कर दिया गया है, यदि कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है तब उस कैसे संशोधित किया जा सकता है?

उत्तर: जी.एस.टी. में चूंकि रिटर्न व्यक्तिगत लेन-देन के विवरणों में से बनाया जाता है, वहाँ संशोधित रिटर्न की कोई आवश्यकता नहीं है। रिटर्न संशोधित करने की जरूरत तभी उत्पन्न हो सकती है जब चालान/बिलों के समूह या डेबिट/क्रेडिट नोट में बदलाव करना आवश्यक है। पहले से ही प्रस्तुत किये रिटर्न को बदलने के बजाय, प्रणाली उन लेनदेन (चालान/बिलों या डेबिट/क्रेडिट नोट्स) के विवरणों में बदलाव करने की अनुमति देगी जिनमें संशोधन करना आवश्यक है। पूर्व में घोषित विवरणों का संशोधन भविष्य में किसी भी जी.एस.टी.आर-1/2 में, संशोधन हेतु दिये गए विशेष कोष्ठकों (tables) में जानकारी भर कर किया जा सकता है।

प्र 20. करदाता कैसे अपने रिटर्न दाखिल कर सकते हैं?

उत्तर: करदाताओं के पास विवरणों और रिटर्न दाखिल करने के विभिन्न साधन उपलब्ध होंगे। सबसे पहले, वे अपने विवरण और रिटर्न सीधे आम पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, यह करदाताओं के लिये चालान/बिलों की ज्यादा संख्या के कारण जटिल और ज्यादा समय खर्च करने वाला हो सकता है। ऐसे करदाताओं के लिए, स्वचालित उपलब्ध (*auto populated*) विवरण डाउनलोड करने के बाद ऑफलाइन प्रयोग द्वारा विवरण तैयार करने के बाद उन्हें आम पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। जी.एस.टी.एन. ने जी.एस.टी. सुविधा प्रदाता (जीएसपी) का एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है जो आम पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा।

प्र 21. जी.एस.टी. के अंतर्गत परेशानी मुक्त अनुपालन के लिए एक सावधान करदाता को क्या सुनिश्चित करना चाहिए?

उत्तर: जी.एस.टी. के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक, अगले महीने की 10 तारीख तक जी.एस.टी.आर-1 में जावक आपूर्ति के विवरण को समय से अपलोड किया जाना है। यह कैसे सबसे अच्छा

हो वह करदाता द्वारा जारी किये गए बी 2 बी चालानों की संख्या पर निर्भर करेगा। अगर यह संख्या कम है तो करदाता एक ही बार में सारी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। अगर इन चालानों की संख्या ज्यादा है तो चालान (या डेबिट, क्रेडिट नोट्स) एक नियमित आधार पर अपलोड किया जाना चाहिए। जी.एस.टी.एन एक वास्तविक समय के आधार पर (Real time basis) चालान को नियमित रूप से अपलोड की अनुमति देगा। जब तक कि बयान (स्टेटमेंट) वास्तविक रूप से जमा न हो जाए, यह प्रणाली करदाता को अपलोड किये गए चालान को संशोधित करने की अनुमति देगा। अतः करदाताओं द्वारा नियमित रूप से चालान अपलोड करना हमेशा फायदेमंद होगा। आखिरी समय की भीड़ अपलोडिंग को मुश्किल कर सकती है और संभावित विफलता और डिफॉल्ट का खतरा उत्पन्न हो सकता है। दूसरी बात, आपूर्तिकर्ताओं के चालान को अपलोड करवाने को करदाताओं द्वारा सुनिश्चित करना चाहिए। यह इनपुट टैक्स क्रेडिट की बिना किसी परेशानी और देरी से उपलब्धता सुनिश्चित करवाने में मददगार होगा। प्राप्तकर्ता भी नियत तारीख के निकट चालान अपलोड करने की बजाए अपने आपूर्तिकर्ताओं को नियमित आधार पर चालान अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह प्रणाली प्राप्तकर्ताओं को यह देखने की अनुमति भी देगा कि क्या आपूर्तिकर्ता ने उनसे संबद्ध चालान को अपलोड किया है या नहीं। जी.एस.टी.एन. प्रणाली किसी करदाता के अनुपालन के स्तर के बाने में ट्रैक रिकार्ड (Track Record) भी प्रदान करेगा खासकर आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने चालानों का समय पर अपलोड किए जाने का ट्रैक रिकार्ड (Track Record) जिसमें जारी चालानों में ऑटो रिवर्सल का विस्तृत विवरण हो। जी.एस.टी. के आम पोर्टल में एक ही जगह पर पूरे भारत के आंकड़े और डाटा उपलब्ध होंगे जो करदाता हेतु एक बहुमूल्य सेवा होगी। चालानों के नियमित अपलोड करने की व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु प्रयास चल रहे हैं और आशा की जाती है कि इस दिशा में एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित

हो जाएगा। करदाताओं को जी.एस.टी. के दायरे में आसान और परेशानीमुक्त अनुपालन के लिए इस पारिस्थितिकी तंत्र का कुशल उपयोग करना चाहिए।

प्र 22. क्या करदाता द्वारा स्वयं रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है?

उत्तर: नहीं, एक पंजीकृत करदाता व्यक्ति अपने रिटर्न विधिवत केन्द्रीय या राज्य कर प्रशासन द्वारा स्वीकृत एक कर रिटर्न प्रिपेयरर (Tax Return Preparer) के माध्यम से भी दाखिल कर सकता है।

प्र 23. निर्धारित तिथि के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं करने के क्या दुष्परिणाम हैं?

उत्तर: एक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति जो निर्धारित तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करता है उसे प्रति दिन सौ रुपये विलंब शुल्क देना होगा जो अधिकतम पांच हजार रुपये तक हो सकता है।

आंकलन और लेखा-परीक्षण

13. आंकलन और लेखा-परीक्षण

प्र 1. अधिनियम के अंतर्गत देय करों का आंकलन करने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है?

उत्तर: अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति एक कर अवधि के लिये स्वयं अपने देय कर का आंकलन करने के लिये जिम्मेदार होगा और इस तरह मूल्यांकन के बाद उसे धारा 27 के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करना आवश्यक होगा।

प्र 2. क्या एम.जी.एल. में प्राप्तकर्ता द्वारा लौटाई गई वस्तुओं की कर व्यवस्था का कोई प्रावधान है?

उत्तर: हाँ, एम.जी.एल. की धारा 44 के स्पष्टीकरण में इस तरह के प्रावधान हैं। यह प्रावधान किया जाता है कि जहां आवक आपूर्ति के रूप में वस्तुएं/माल प्राप्त किया गया है और आपूर्तिकर्ता को प्रासंगिक चालान/बिल की तारीख से छह महीने के भीतर प्राप्तकर्ता द्वारा वापस लौटा दिया जाए तो, कथित आपूर्ति पर देय कर उसके द्वारा पूर्व में उक्त आवक आपूर्ति पर प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट के बराबर होगा। यह प्रावधान अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करता है कि यदि प्राप्तकर्ता अपने पास मूल आपूर्ति की तारीख से छह महीने के भीतर आपूर्तिकर्ता को माल/वस्तुएं वापस लौटा देता है तो, ऐसे लौटाई गई वस्तुओं/माल पर उसके कर की देनदारी उतनी ही होगी जो मूल आपूर्ति के समय पर थी। यदि वस्तुओं/माल की आपूर्ति को मूल चालान/बिल की तारीख से छह महीने के बाद वापस लौटाते हैं, तो देय कर की दर उस लौटाई गई कथित तारीख पर प्रचलित दर पर लागू होगी।

प्र 3. अप्रैल 2017 में 'ए', 'बी' को वस्तुओं/माल की आपूर्ति करता है, यह वस्तुएं/माल बी, ए को जून 2017 में वापस लौटा देता है। ए द्वारा ऐसी वस्तुओं/माल पर 18 प्रतिशत की दर से प्रभार लगाया

गया था। मई 2017 में, दर में 18.5 प्रतिशत करने के लिए संशोधन किया गया। बी द्वारा ए को कथित आवक आपूर्ति लौटाने के लिये क्या कर देय है?

उत्तर. 18 प्रतिशत

प्र 4. अस्थायी (प्रोविजनल) आधार पर एक कराधीन व्यक्ति कर का कब भुगतान कर सकता है?

उत्तर: चूंकि एक करदाता को अपने स्वयं मूल्यांकन आधार पर कर का भुगतान करना पड़ता है, अस्थायी आधार पर कर के भुगतान का अनुरोध करदाता से प्राप्त होना चाहिये जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी। दूसरे शब्दों में, कोई भी कर अधिकारी स्वप्रेरणा से अस्थायी आधार पर कर भुगतान के आदेश नहीं दे सकता। यह एम.जी.एल. की धारा 44 द्वारा संचालित है। अस्थायी आधार पर कर का भुगतान तभी किया जा सकता है जब सक्षम अधिकारी उसे एक आदेश के माध्यम से इसकी अनुमति दे देता है। इस उद्देश्य के लिए, कराधीन व्यक्ति को सक्षम अधिकारी को लिखित अनुरोध देना होगा, जिसमें वह अस्थायी आधार पर कर भुगतान करने का कारण बताएगा। कराधीन व्यक्ति द्वारा इस तरह के अनुरोध केवल ऐसे मामलों में किये जा सकते हैं जहां जहां वह निम्न निर्धारित करने में असमर्थ है:

- क) उसके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य, या
- ख) उसके द्वारा आपूर्ति किये जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के कर की दर।

ऐसे मामलों में कराधीन व्यक्ति को एक निर्धारित प्रपत्र में एक प्रतिज्ञापत्र निष्पादित करना होगा, और इस तरह की जमानत या सुरक्षा सहित जैसा सक्षम अधिकारी उचित समझता है।

प्र 5. वह आखिरी समय क्या होगा जिसमें अंतिम आंकलन किया जाना आवश्यक है ?

उत्तर: अंतिम आंकलन का आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा अस्थायी आंकलन आदेश के सूचना की तारीख से छह महीने के भीतर पारित किया जाएगा। हालांकि, पर्याप्त कारण दिखाये जाने पर और उनके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, उपरोक्त छह महीने की अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है:

- क) संयुक्त/अपर आयुक्त द्वारा, आगे छह महीने आगे की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, और
- ख) आयुक्त द्वारा, उस अवधि के लिये जैसी वह उचित समझता है।

प्र 6. जहां अंतिम आंकलन के अनुसार कर देयता का दायित्व अस्थायी आंकलन की तुलना में अधिक है, क्या कराधीन व्यक्ति ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा?

उत्तर: हाँ, वह मूल देय कर की तारीख से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

प्र 7. यदि एम.जी.एल. की धारा 45 के अंतर्गत दाखिल रिटर्न में किसी विसंगति पाए जाने के मामले में उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता तब ऐसी स्थिति में अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की जा सकती है?

उत्तर: यदि कराधीन व्यक्ति सूचित किये जाने के 30 दिनों के भीतर (संबंधित अधिकारी द्वारा बढ़ाई जाने योग्य) संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता या विसंगतियों को स्वीकार करने के बाद भी उचित अवधि के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करता, तब सक्षम अधिकारी निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी एक का आश्रय ले सकता है:

- (क) अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत लेखा-परीक्षण/ऑडिट आयोजित करने की कार्यवाही करेगा;
- (ख) धारा 50 के अंतर्गत एक विशेष लेखा-परीक्षण के आयोजन का निर्देश देगा जो कि इस उद्देश्य हेतु, आयुक्त द्वारा मनोनीत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार द्वारा किया जाएगा; या
- (ग) अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत निरीक्षण, तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा; या
- (घ) धारा 51 के अंतर्गत कर निर्धारण के लिए कार्यवाही को आगे बढ़ायेगा।

प्र 8. क्या एक सक्षम अधिकारी को धारा 46 के अंतर्गत आंकलन पूरा करने से पहले कराधीन व्यक्ति को नोटिस देना आवश्यक है?

उत्तर: जैसा कि यह प्रावधान 'आंकलन के सबसे अच्छे निर्णय' (बेस्ट जजमेंट एसेसमेंट) से संबंधित है, कराधीन व्यक्ति को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।

प्र 9. एक कराधीन व्यक्ति कानून के अंतर्गत (धारा 27 या 31 के अंतर्गत) अपेक्षित रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तब कर अधिकारी के पास क्या कानूनी उपाय उपलब्ध है?

उत्तर: सक्षम अधिकारी को सबसे पहले एम.जी.एल. की धारा 32 के अंतर्गत दोषी कराधीन व्यक्ति को एक नोटिस जारी करना होगा जिसमें एक निश्चित समय अवधि के भीतर उसे रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जो एम.जी.एल. की धारा 46 के अनुसार कम से कम पंद्रह दिन होगी। यदि कराधीन व्यक्ति निश्चित समय के भीतर रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है, तब सक्षम अधिकारी उसके पास उपलब्ध सभी प्रासंगिक सामग्री का संदर्भ लेकर अपना सबसे

बेहतर फैसला (बेस्ट जजमेंट ऑर्डर) लेकर दोषी कराधीन व्यक्ति के खाते में कर देयता का आंकलन करेगा। यह शक्ति एम.जी.एल. की धारा 46 के अंतर्गत प्रदत्त की गई है।

प्र 10. किन स्थितियों में धारा 46 के अंतर्गत जारी किये गये सबसे अच्छे फैसले का आंकलन (बेस्ट जजमेंट एसेसमेंट) आदेश वापस लिया जा सकता है?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 46 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा पारित सबसे अच्छे फैसले का आदेश स्वचालित रूप से वापस ले लिया जाएगा यदि कराधीन व्यक्ति चूक अवधि के लिए वैध रिटर्न (यानी रिटर्न दाखिल कर देता है और उसके द्वारा आंकलन कर का भुगतान कर देता है) प्रस्तुत कर देता है, सबसे अच्छे निर्णय के आंकलन आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर।

प्र 11. धारा 46 और 47 के अंतर्गत पारित आदेश के लिए समय सीमा क्या है?

उत्तर: धारा 46 या 47 के अंतर्गत आंकलन आदेश पारित करने के लिए समय सीमा वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित तारीख से तीन या पांच वर्ष है।

प्र 12. ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या कानूनी आश्रय है जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन वह पंजीकरण प्राप्त करने में विफल हो गया है?

उत्तर: ऐसे मामले में एम.जी.एल. की धारा 47 प्रदान करती है कि, सक्षम अधिकारी कर देनदारी का आंकलन और प्रासंगिक कर अवधि के लिए उसका सबसे अच्छे निर्णय (बेस्ट जजमेंट ऑर्डर) पर आदेश पारित कर सकता है। हालांकि, इस तरह का आदेश वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की देय तिथि से उस वित्तीय वर्ष में अदेय

कर के भुगतान के पांच वर्ष की अवधि के भीतर पारित किया जाना चाहिए।

प्र 13. किन परिस्थितियों में कर अधिकारी सारांश आंकलन आरंभ कर सकते हैं?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 48 के अनुसार, सारांश आंकलन राजस्व हितों की सुरक्षा के लिए तब शुरू किया जा सकता है जब:

- क) सक्षम अधिकारी के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं कि एक कराधीन व्यक्ति ने अधिनियम के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए दायित्व वहन किया है, और
- ख) सक्षम अधिकारी ऐसा मानता है कि आंकलन आदेश पारित करने में देरी करने से राजस्व हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इस तरह के आदेश अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त से अनुमति प्राप्त करने के बाद पारित किये जा सकते हैं:

प्र 14. अपीलीय उपाय के अतिरिक्त, क्या सारांश आंकलन आदेश कि विरुद्ध करदाता के लिए कोई अन्य आश्रय/सहारा उपलब्ध है?

उत्तर: एक करदाता के विरुद्ध जो सारांश आंकलन आदेश पारित किया गया है वह इसे वापस लेने के लिये अपर/संयुक्त आयुक्त के न्यायाधिकार में इस आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर आवेदन कर सकता है। यदि कथित अधिकारी आदेश को गलत पाता है, तब वह इसे वापस ले सकता है और सक्षम अधिकारी को एम.जी.एल. की धारा 51 के संदर्भ अनुसार कर देयता के आंकलन करने के लिये निर्देशित कर सकता है। अपर/संयुक्त आयुक्त यदि सारांश आंकलन आदेश गलत पाता है तब वह अपने स्वयं की

प्रेरणा से ऐसी ही कार्यवाही स्वयं भी कर सकता है (एम.जी.एल. की धारा 48)

प्र 15. क्या सारांश आंकलन आदेश कराधीन व्यक्ति के विरुद्ध पारित किया जाना आवश्यक है?

उत्तर: नहीं, कुछ मामलों में जैसे जब वस्तुएं/माल परिवहन में है या मालगोदाम में भंडारण किया गया है, और ऐसी वस्तुओं/माल के संबंध में कराधीन व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता, तब उस समय कथित वस्तुओं/माल का प्रभारी को कराधीन व्यक्ति माना जाएगा और उसे कर के लिये आंकलन किया जाएगा। (एम.जी.एल. की धारा 48)

प्र 16. करदाताओं की लेखा-परीक्षण कौन कर सकते हैं?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 49 के अनुसार, आयुक्त के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत सीजीएसटी या एसजीएसटी का कोई भी अधिकारी करदाता का लेखा-परीक्षण कर सकता है। लेखा-परीक्षण की आवृत्ति और विधि यथाक्रम में निर्धारित की जाएगी।

प्र 17. क्या लेखा-परीक्षण आयोजित करने से पहले कोई पूर्व सूचना आवश्यक है?

उत्तर: हाँ, पूर्व सूचना आवश्यक है और कराधीन व्यक्ति को लेखा-परीक्षण के संचालन करने से कम से कम 15 दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए।

प्र 18. कितनी अवधि के भीतर लेखा-परीक्षण पूरा किया जाता है?

उत्तर: लेखा-परीक्षण प्रारंभ होने की तारीख से 3 महीने या आयुक्त के अनुमोदन के अधीन अधिकतम 6 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है।

प्र 19. लेखा-परीक्षण शुरू करने का क्या मतलब है?

उत्तर: शब्द 'लेखा-परीक्षण का प्रारंभ' महत्वपूर्ण है क्योंकि लेखा-परीक्षण प्रारंभ होने की तारीख के संदर्भ में एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना है। लेखा-परीक्षण के प्रारंभ का अर्थ आगे निम्न में से एक है:

- क) जिस तारीख को लेखा-परीक्षण अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड/खातों के लेखा-परीक्षण के लिये मांग करने पर उन्हें उपलब्ध कराया जाता है, या
- ख) करदाता के व्यापारिक स्थान लेखा-परीक्षण की वास्तविक शुरुआत/स्थापना ।

प्र 20. जब एक कराधीन व्यक्ति लेखा-परीक्षण के नोटिस प्राप्त करता है तब उसके क्या दायित्व हैं?

उत्तर: कराधीन व्यक्ति के लिए निम्न आवश्यक हैं:

- क) उपलब्ध खातों/रिकार्डों या अधिकारी द्वारा मांगे गए खाते/रिकार्डों के सत्यापन की सुविधा प्रदान करना ।
- ख) लेखा-परीक्षण के संचालन के लिए आवश्यक ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने, और
- ग) समय पर लेखा-परीक्षण पूरा करने के लिए सहायता प्रदान ।

प्र 21. लेखा-परीक्षण के समापन पर सक्षम अधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी ?

उत्तर: सक्षम अधिकारी बिना कोई देरी किये अपने निष्कर्षों, इन निष्कर्षों के कारण और कथित निष्कर्षों के संबंध में कराधीन व्यक्ति को उसके अधिकारों और दायित्वों के बारे में सूचित करेंगे।

प्र 22. किन परिस्थितियों के अंतर्गत एक विशेष लेखा-परीक्षण स्थापित किया जा सकता है?

उत्तर: कुछ सीमित परिस्थितियों में ही विशेष लेखा-परीक्षण स्थापित किया जा सकता है जहां छानबीन, जांच, आदि के दौरान, यह पता लगता है कि मामला जटिल है या राजस्व का जोखिम/हिस्सा बहुत अधिक है। यह शक्ति एम.जी.एल. की धारा 50 में दी गई है।

प्र 23. विशेष लेखा-परीक्षण के लिए कौन नोटिस दे सकता है?

उत्तर: विशेष लेखा-परीक्षण के लिए सहायक/उपायुक्त केवल आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बाद नोटिस दे सकता है।

प्र 24. विशेष लेखा-परीक्षण कौन करेगा?

उत्तर: आयुक्त द्वारा नामित चार्टर्ड एकाउंटेंट या लागत लेखाकार लेखा-परीक्षण शुरू कर सकते हैं।

प्र 25. लेखा-परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए क्या समय सीमा है?

उत्तर: लेखा परीक्षक को 90 दिनों के भीतर या 90 दिनों के लिये आगे विस्तारित अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

प्र 26. विशेष लेखा-परीक्षण की लागत कौन वहन करेगा?

उत्तर: लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक सहित परीक्षण और लेखा-परीक्षण के खर्च को आयुक्त द्वारा निर्धारित और वहन किया जाएगा।

प्र 27. विशेष लेखा-परीक्षण करने के बाद कर प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की जा सकती है?

उत्तर: निष्कर्षों/विशेष लेखा-परीक्षण की टिप्पणियों के आधार पर, एम.जी.एल. की धारा 51 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

प्रतिदाय / रिफंड

14. प्रतिदाय / रिफंड

प्र 1. प्रतिदाय / रिफंड क्या है?

उत्तर: प्रतिदाय / रिफंड के बारे में एम.जी.एल. की धारा 38 में चर्चा की गई है। प्रतिदाय / रिफंड में भारत से बाहर विदेशों में निर्यात की गई वस्तुओं और / या सेवाओं पर कर की वापसी या भारत से बाहर विदेशों में निर्यात की गई वस्तुओं और / या सेवाओं में प्रयोग किया गया कच्चा माल / इनपुट या इनपुट सेवाएं, या उन वस्तुओं और / या सेवाओं पर कर की वापसी जिन्हें निर्यात माना गया है, या धारा 38(2) के अंतर्गत प्रदान किये अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट शामिल हैं।

प्र 2. क्या अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में प्रतिदाय / रिफंड की अनुमति दी जा सकती है?

उत्तर: हाँ, लेकिन केवल निम्नलिखित मामलों में जैसा धारा 38 की उप-धारा (2) में दिया गया है:—

- (i) वस्तुओं का निर्यात जिस पर निर्यात शुल्क देय नहीं है;
- (ii) सेवाओं का निर्यात;
- (iii) जहां आदानों / इनपुट की दर के कारण संचित किया गया क्रेडिट आउटपुट करों की दर से अधिक है।

प्र 3. क्या अप्रयुक्त आई.टी.सी. पर प्रतिदाय / रिफंड दिया जा सकता है, उन मामलों में जहां भारत के बाहर वस्तुओं के निर्यात निर्यात शुल्क के अधीन हैं?

उत्तर: नहीं (एम.जी.एल. की धारा 38(2) के दूसरे प्रावधान के अंतर्गत)।

प्र 4. क्या वित्त वर्ष के अंत में स्टॉक में रखी वस्तुओं पर आई.टी.सी.

(जी.एस.टी. लागू होने के बाद) प्रतिदाय/रिफंड किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं, इसे आगे ले जाना प्रस्तावित किया गया है।

प्र 5. मान लीजिए कि एक कराधीन व्यक्ति ने गलती से आई.जी.एस.टी./सी.जी.एस.टी. को अंतर-राज्य/राज्य के भीतर की आपूर्ति के रूप में भुगतान किया है, लेकिन उसकी प्रकृति को बाद में स्पष्ट कर दिया है। क्या गलत तरीके से भुगतान किये सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. को आई.जी.एस.टी. के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है या उसके विपरीत?

उत्तर: नहीं, उसे उपयुक्त कर का भुगतान करना होगा और गलत तरीके से भुगतान किये कर के प्रतिदाय/रिफंड के लिये दावा प्रस्तुत करना होगा। (आई.जी.एस.टी. की धारा 30 और धारा 53)।

प्र 6. क्या दूतावासों या संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई खरीदारी पर कर लगेगा या छूट दी जा सकती है?

उत्तर: उस पर कर लगाया जाएगा, जिसे बाद में उनके द्वारा प्रतिदाय/रिफंड का दावा किया जा सकता है।

{संयुक्त राष्ट्र संघ और वाणिज्य दूतावास या दूतावासों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करना आवश्यक है और उनके द्वारा की गई खरीद उनकी विशिष्ट पहचान संख्या उसके आपूर्तिकर्ता की जावक आपूर्ति में परिलक्षित होगी और करों के प्रतिदाय/रिफंड प्रदत्त किये जा सकते हैं। एक अलग प्रक्रिया नियमों में अधिसूचित कर दी जाएगी। जी.एस.टी. धारा 19(6)}

प्र 7. प्रतिदाय/रिफंड प्राप्त करने की समय सीमा क्या है?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 38 के स्पष्टीकरण में दिए अनुसार संबंधित व्यक्ति को प्रासंगिक तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के भीतर आवेदन दाखिल करना आवश्यक है।

प्र 8. क्या न्यायविरुद्ध संवर्धन का सिद्धांत प्रतिदाय/रिफंड पर लागू होगा?

उत्तर: हाँ, निर्यात और अप्रयुक्त आई.टी.सी. के प्रतिदाय/रिफंड के मामलों को छोड़कर, जैसा धारा 38 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किया गया है (इसके साथ उपरोक्त प्रश्न संख्या 2 का संदर्भ भी लें)।

प्र 9. किसी मामले में यदि कर उपभोक्ता को पारित कर दिया गया है, क्या प्रतिदाय/रिफंड स्वीकृत हो जाएगा?

उत्तर: हाँ, हालांकि, निर्धारित राशि उपभोक्ता के कल्याण कोष में जमा की जाएगी।

प्र 10. क्या प्रतिदाय/रिफंड स्वीकृत करने की कोई समय सीमा है?

उत्तर: हाँ, यह सभी मामलों में 90 दिन है, सिवाय उन मामलों के जो, कुछ निर्यात का श्रेणियों के लिए है, जैसे कि धारा 38 की उप-धारा (4ए) में निर्दिष्ट किया गया है और उनके प्रतिदाय/रिफंड का दावा 80 प्रतिशत की हद तक लौटाने योग्य है। यदि प्रतिदाय/रिफंड तीन महीने के भीतर स्वीकृत नहीं किया जाता, तब ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान होगा।

प्र 11. क्या प्रतिदाय/रिफंड पर विभाग द्वारा रोक लगाई जा सकती है?

उत्तर: हाँ, प्रतिदाय/रिफंड पर निम्न परिस्थितियों में रोक लगाई जा सकती है:

- यदि पंजीकृत विक्रेता द्वारा रिटर्न(नें) प्रस्तुत नहीं की गई है, जब तक वह रिटर्न(नें) दाखिल नहीं कर देता;
- यदि एक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति को कोई कर, ब्याज या जुर्माने का भुगतान करना अनिवार्य है जिसे अपीलीय प्राधिकारी/ट्रिब्यूनल/अदालत द्वारा स्थगित नहीं किया

गया है, जब तक वह इस तरह के कर, ब्याज या जुर्माने का भुगतान नहीं कर देता;

- (सक्षम अधिकारी भी बकाया करों को, यदि कोई है, विक्रेता की वापस लौटाने योग्य राशि से घटा सकता है।)
- आयुक्त/बोर्ड, प्रतिदाय/रिफंड पर रोक लगा सकते हैं, यदि, प्रतिदाय/रिफंड के आदेश अपील के अधीन है और उसकी राय में इस तरह की प्रतिदाय/रिफंड के अनुदान राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा – (एम.जी. एल. की धारा 38(9))।

प्र 12. जहाँ प्रतिदाय/रिफंड पर धारा 38(9) के अंतर्गत रोक लगाई गई है, जैसा कि ऊपर 11(सी) में चर्चा की गई है, क्या कराधीन व्यक्ति को ब्याज दिया जाएगा?

उत्तर: यदि अपील के परिणामस्वरूप या आगे की कार्यवाही पर कराधीन व्यक्ति प्रतिदाय/रिफंड के लिए हकदार हो जाता है, तब वह ब्याज पाने का भी हकदार होगा।

प्र 13. क्या प्रतिदाय/रिफंड के लिए कोई न्यूनतम सीमा है?

उत्तर: यदि प्रतिदाय रिफंड की राशि 1000/ रु. से कम है तो प्रतिदाय/रिफंड प्रदान नहीं किया जाएगा।

प्र 14. पुराने कानून से उत्पन्न प्रतिदाय/रिफंड का भुगतान कैसे किया जाएगा?

उत्तर: पुराने कानून से उत्पन्न प्रतिदाय/रिफंड का भुगतान पुराने कानून के अनुसार किया जाएगा और नकद (सी.जी.एस.टी. के अंतर्गत) रूप में भुगतान किया जाएगा या पुराने कानून (एस.जी.एस. टी. के अंतर्गत) के प्रावधानों के अनुसार और आई.टी.सी. (एम.जी. एल. की धारा 156, 157 और 158) के रूप में उपलब्ध/देय नहीं होगा

प्र 15. क्या प्रतिदाय/रिफंड का भुगतान दस्तावेजों के सत्यापन से पहले किया जा सकता है?

उत्तर: अधिसूचित श्रेणी के विक्रेताओं के लिए निर्यात प्रतिदाय/रिफंड, सत्यापन से पहले कुछ विशेष शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन जिस रूप में धारा 38(4ए) में निर्धारित किया जा सकता है, 80 प्रतिशत प्रतिदाय प्रदत्त किया जा सकता है ।

प्र 16. निर्यात के अंतर्गत प्रतिदाय/रिफंड के मामले में, क्या प्रतिदाय/रिफंड प्रदत्त करने के लिये बी.आर.सी. अनिवार्य है?

उत्तर: चूंकि निर्यातक के पास निर्यात आय प्रेषित करने के लिए निर्यात करने की तारीख से एक वर्ष की समय अवधि है, बी.आर.सी. प्रतिदाय/रिफंड क आवेदन के समय उपलब्ध नहीं भी हो सकती। यदि निर्यात की आय अग्रिम में प्राप्त हो चुकी है तब बी.आर.सी. उपलब्ध हो सकता है। इस प्रकार, प्रतिदाय/रिफंड बी.आर.सी. विवरण की प्रस्तुति के अधीन होना चाहिए अधिकतम एक वर्ष की अवधि के भीतर या जैसा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित किया गया हो। डी.जी.एफ.टी. का ई-बी.आर.सी. मॉड्यूल जी.एस.टी. मॉड्यूल के साथ एकीकृत किया जाएगा।

हालांकि सेवाओं के निर्यात के लिए प्रतिदाय/रिफंड की स्वीकृति से पहले बीआरसी का होना आवश्यक होगा।

प्र 17. क्या न्यायविरुद्ध संवर्धन का सिद्धांत निर्यात या माने गये निर्यात (*deemed exports*) पर लागू होंगे ?

उत्तर: न्यायविरुद्ध संवर्धन के सिद्धांत वस्तुओं या सेवाओं के वास्तविक निर्यात के मामलों में लागू नहीं होंगे क्योंकि प्राप्तकर्ता कराधीन क्षेत्र के बाहर स्थित है। हालांकि, माने गये निर्यात (*deemed exports*) के मामले में वह अवश्य लागू होंगे।

प्र 18. एक व्यक्ति यह कैसे साबित करेगा कि न्यायविरुद्ध संवर्धन के सिद्धांत उसके मामले में लागू नहीं होते हैं?

उत्तर: संबंधित व्यक्ति अपने आवेदन के साथ ऐसे दस्तावेज(जों) या साक्ष्य(यों) को प्रस्तुत करके स्थापित कर सकते हैं कि कर और ब्याज की राशि, यदि कोई है, ऐसे कर के लिये भुगतान किया गया है या जिस प्रतिदाय/रिफंड के संबंध में दावा किया है उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है – धारा 38(3)(बी)।

इसके अतिरिक्त, करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए ऊपरोक्त उपधारा यह भी प्रावधान करती है कि जहां प्रतिदाय/रिफंड की राशि का दावा किया गया है, 5 लाख रुपये से कम है उसके लिये केवल आत्म-घोषणा करना ही आवश्यक होगा।

प्र 19. मौजूदा समय में वैट/सी.एस.टी. व्यापार के अंतर्गत निर्यातक घोषणा पत्र प्रस्तुत कर बिना कर के भुगतान किये वस्तुएं खरीद सकते हैं। क्या जी.एस.टी. में भी यह प्रणाली अस्तित्व में रहेगी?

उत्तर: नहीं, जी.एस.टी. में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा। उन्हें कर का भुगतान करने के बाद वस्तुएं खरीदनी होंगी और संचित की गई आई.टी.सी. का दावा करना होगा जैसा कि धारा 38(2) में चर्चा की गई है।

प्र 20. केंद्रीय कानून के अंतर्गत वर्तमान में, निर्यातकों को शुल्क के भुगतान की गई इनपुट/आदानों प्राप्त करने की अनुमति है, उस पर आई.टी.सी. ले सकते हैं और शुल्क का भुगतान करने के बाद वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं (आई.टी.सी. का उपयोग करने के बाद) और तत्पश्चात निर्यात पर भुगतान शुल्क का प्रतिदाय/रिफंड का दावा कर सकते हैं। क्या जी.एस.टी. में भी यह प्रणाली जारी रहेगी?

उत्तर: जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत निर्यात शून्य दरों पर किया जाएगा जिसका अर्थ यह है कि निर्यात की गई वस्तुओं पर कोई भी वास्तविक कर देनदारी नहीं होगी हालांकि इस तरह के निर्यात के इनपुट/आदानों के लिये कर का भुगतान किया जाएगा। जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत, प्रतिदाय/रिफंड संचित की गई इनपुट/आदानों तथा तैयार निर्यात वस्तुओं पर स्वीकार्य होगा।

मांग और वसूली

15. मांग और वसूली

प्र 1. कम भुगतान या भुगतान नहीं करने या गलती से राशि वापस लौटाने या गलत तरीके से इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाने या प्रयोग करने पर कर की वसूली के प्रयोजन के लिए क्या धारा लागू होती है?

उत्तर: धारा 51ए उन मामलों में जहां धोखाधड़ी/दमन/झूठे बयान आदि नहीं हैं और धारा 51बी जहां धोखाधड़ी/दमन/झूठे बयान आदि तत्व पाए जाते हैं।

प्र 2. क्या धारा 51-ए के अंतर्गत किसी व्यक्ति को नोटिस जारी करने से पहले वह ब्याज सहित कर राशि के भुगतान का उत्तरदायी हो सकता है?

उत्तर: हाँ। ऐसे मामलों में सक्षम अधिकारी द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सकता।

प्र 3. यदि धारा 51ए के अंतर्गत नोटिस जारी करने के बाद नोटिस प्राप्तकर्ता भुगतान कर देता है, क्या ऐसे मामले में न्यायिक निर्णय की आवश्यकता है?

उत्तर: जहां एक व्यक्ति जिसे धारा 51ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है, नोटिस जारी होने के 30 दिनों के भीतर ब्याज तथा कर का भुगतान कर देता है, उस पर कोई जुर्माना देय नहीं होगा और इस तरह के नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाही पूरी हो गई हैं ऐसा मान लिया जाएगा।

प्र 4. धारा 51ए/बी के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रासंगिक तारीख क्या है?

उत्तर: प्रासंगिक तारीख वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तारीख है

जिस तारीख को कथित रिटर्न वास्तव में भरा या नहीं भरा गया था, अर्थात् वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की देय तिथि।

प्र 5. क्या धारा 51ए/बी के अंतर्गत मामलों में एस.सी.एन. या न्यायिक निर्णय जारी करने की कोई समय सीमा है?

उत्तर: वहां एस.सी.एन. जारी करने की कोई समय सीमा नहीं है। हालांकि एस.सी.एन. जारी करने और मामले का न्यायिक निर्णय 3 वर्ष (धारा 51-ए के मामलों के लिए) और 5 वर्षों (धारा 51बी के मामलों के लिए) में पूरा हो जाना चाहिये।

प्र 6. क्या धारा 51ए/बी के अंतर्गत नोटिस जारी करने से पहले एक व्यक्ति ब्याज सहित कर की मांग का भुगतान कर सकता है?

उत्तर: हाँ। उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अंतर्गत नोटिस जारी करने से पहले, एक व्यक्ति कर के भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है, उसके पास कर की राशि के साथ ब्याज सहित 15 प्रतिशत जुर्माने का भुगतान करने का विकल्प होगा, चाहे उसने स्वयं निर्धारित किया है या सक्षम अधिकारी द्वारा सूचित किया गया है, और उक्त राशि पर, इस संबंध में भुगतान किये कर के संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।

प्र 7. यदि धारा 51बी के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाता है और नोटिस प्राप्तकर्ता भुगतान कर देता है, क्या इस मामले में किसी न्यायिक निर्णय की आवश्यकता है?

उत्तर: नहीं, यदि कर/ब्याज और जुर्माने का भुगतान की दिया गया है। जहां उप-धारा(1) के अंतर्गत एक व्यक्ति को नोटिस दिया गया है, नोटिस जारी होने के 30 दिनों के भीतर वह व्यक्ति ब्याज सहित कर और 25 प्रतिशत जुर्माने का भुगतान कर देता है तब इस नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाही पूरी हो गई मानी जाएंगी।

प्र 8. यदि किसी मामले में धारा 51बी के अंतर्गत नोटिस देने का निर्णय लिया गया है और जारी किये आदेश में कर की मांग और जुर्माने की पुश्ति की गई है, क्या नोटिस प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास कम जुर्माने का भुगतान करने के लिए कोई विकल्प है?

उत्तर: हाँ। उसे आदेश संचार प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर कर/ब्याज और जुर्माने के 50 प्रतिशत का भुगतान करने की आवश्यकता है। जहां कोई व्यक्ति को धारा 51बी की उपधारा (6) के अंतर्गत जारी आदेश प्राप्त करने के बाद ब्याज सहित कर और जुर्माने का 50 प्रतिशत भुगतान आदेश संचार प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर कर देता है, तब कथित कर से संबंध में सभी कार्यवाहियां पूरी मान ली जाएंगी।

प्र 9. ऐसे मामलों (दोनों धाराएं 51ए और बी के अंतर्गत) में क्या होगा जब नोटिस जारी कर दिया गया है लेकिन 3 वर्षों (51ए)/5 साल (51बी) के भीतर आदेश पारित नहीं किया गया?

उत्तर: यदि आदेश धारा 51-(7) के तहत तीन सालों के भीतर या धारा 51-बी (7) में पांच साल के भीतर जारी नहीं किया गया मॉडल जीएसटी कानून प्रावधान करता है कि अंतिम न्यायिक निर्णय की कार्यवाही के परिणामों को पूरा मान लिया जाएगा?

प्र 10. जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कर तो एकत्रित करता है लेकिन सरकारी खाते में जमा नहीं करता है तब उस स्थिति में क्या होता है ?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 52 के अनुसार, प्रत्येक वह व्यक्ति जिसने किसी अन्य व्यक्ति से इस अधिनियम के अंतर्गत कर के प्रतिनिधित्व रूप में कोई भी राशि एकत्र किया है, वह व्यक्ति कथित राशि केंद्रीय या राज्य सरकार के खातों में जमा करेगा, बिना इस बात की परवाह किये कि क्या आपूर्तियां जिसके संबंध में वह कथित राशि एकत्र की गई है वह कराधीन हैं या नहीं।

प्र 11. किसी मामले में यदि कोई व्यक्ति धारा 52 के उल्लंघन में एकत्रित कर जमा नहीं करता, ऐसी स्थिति में उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है?

उत्तर: नोटिस जारी किया जाना चाहिये। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन और आदेश जारी किया जाना चाहिये। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि कथित आदेश निरपवाद रूप से नोटिस जारी होने की तारीख से 1 साल के भीतर जारी होने चाहिये। हालांकि वहाँ कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। इस प्रकार, इस तरह के मामलों में दस वर्षों के बाद भी शुल्क वसूल किया जा सकता है।

प्र 12. यदि कर एकत्र करने के बाद भुगतान नहीं किया गया है क्या इन मामलों में धारा 52 के अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए कोई समय सीमा है?

उत्तर: नहीं। इसके लिये कोई समय सीमा नहीं है। इस तरह के मामलों का जब कभी पता लगता है उसी समय नोटिस जारी किया जा सकता है। जब एक बार नोटिस जारी कर दिया जाता है, तब नोटिस जारी करने की तारीख से 1 साल के भीतर आदेश पारित करना अनिवार्य है।

प्र 13. सक्षम अधिकारी के पास कर की वसूली के क्या तरीके उपलब्ध हैं?

उत्तर: सक्षम अधिकारी के पास निम्न विकल्प उपलब्ध हैं:

- क) सक्षम अधिकारी उक्त रकम की कटौती कर सकता है या आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य अधिकारी को ऐसे व्यक्ति द्वारा देय रकम की कटौती करने के लिये निर्दिष्ट कर सकता है जो कथित व्यक्ति पर देय है;
- ख) सक्षम अधिकारी कर वसूल कर सकता है या आवश्यकता

पड़ने पर किसी अन्य अधिकारी को देय रकम वसूलने के लिये कथित व्यक्ति से संबंधित किसी भी वस्तुओं को जब्त कर और उसे बेचने के लिये निर्दिष्ट कर सकता है ;

- ग) सक्षम अधिकारी लिखित रूप में नोटिस दे सकता है, किसी अन्य व्यक्ति जिस पर रकम देय है या उस व्यक्ति पर रकम देय हो सकती है या कथित व्यक्ति की ओर से उसके पास रकम रखी है या कथित व्यक्ति द्वारा दी रकम रखी हो सकती है, केंद्रीय या राज्य सरकार के खाते में जमा करने की आवश्यकता हो सकती है।
- घ) सक्षम अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई प्राधिकृति पर, कथित व्यक्ति से संबंधित या उसके द्वारा नियंत्रित किसी भी चल या अचल संपत्ति की कूर्की करवा सकता है, और तब तक उसे अपने कब्जे में रखेगा जब तक देय रकम का भुगतान नहीं कर दिया गया; यदि देय राशि इस तरह के संकट के बाद भी तीस दिन की अवधि तक भुगतान नहीं की जाती, वह कथित संपत्ति को बिकवा सकता है और उक्त बिक्री की आय के साथ, देय राशि और बिक्री की लागत के बाद बाकी अधिशेष राशि, यदि कोई बचती है, कथित व्यक्ति को सौंप देगा;
- ङ) सक्षम अधिकारी उसके द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र तैयार करेगा जिसमें कथित व्यक्ति पर देय रकम निर्दिष्ट की जा सकती है और उस जिले के जिलाधीश के पास भेज देगा जिसमें कथित व्यक्ति किसी भी संपत्ति का मालिक है या निवासी है या अपना व्यवसाय संचालित कर रहा है और इस तरह के प्रमाण पत्र की

प्राप्ति पर, जिलाधीश ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार निर्दिष्ट राशि वसूल करने के लिये कार्यवाही करेगा जिस प्रकार वह भू-राजस्व का बकाया होगा।

प्र 14. क्या सक्षम अधिकारी देय कर भुगतान की राशि की किश्तों में अनुमति दे सकता है?

उत्तर: हाँ, स्वयं मूल्यांकित कर के अतिरिक्त किश्तों में भी अनुमति दी जा सकती है। आयुक्त/मुख्य आयुक्त भुगतान के लिए समय बढ़ाने या अधिनियम के अंतर्गत किसी भी देय राशि के भुगतान की अनुमति दे सकता है। इसमें वह देय रकम शामिल नहीं होगी जिसका उस व्यक्ति द्वारा किसी दायित्व के रिटर्न पर स्वयं-मूल्यांकन किया गया है और किश्तों की अवधि 24 महीनों से अधिक की नहीं होगी, और उस तरह के प्रतिबंधों और शर्तों के साथ जिन्हें धारा 36 के अंतर्गत ब्याज का भुगतान करने के लिये निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि, जहां किश्तों की देय तिथि पर किसी भी एक किश्त के भुगतान में चूक हो जाने पर है, पूरी बकाया राशि उक्त देय तिथि पर देय हो जाएगी और उसका तुरन्त भुगतान किया जाना होगा और बिना पूर्व नोटिस दिये उसे वसूल किया जा सकता है।

प्र 15. ऐसे मामलों में क्या होता है जब अपील/संशोधन की कार्यवाही में कर की पुष्टि की गई मांग (कन्फर्म डिमांड) को बढ़ा दिया जाता है?

उत्तर: मांग का नोटिस केवल उस संबंध में किया जाना आवश्यक है जहां देय कर राशि में वृद्धि की जाती है। जहां तक कि राशि की पुष्टि अपील/संशोधन के निपटान से पहले ही हो गई है, तब कर वसूली की कार्यवाही उसी चरण से जारी हो सकती है जहां से कथित कार्यवाही ऐसे निपटान करने से तुरन्त पहले हो चुकी थी।

प्र 16. यदि कोई व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है और उसके कुछ निश्चित कर दायित्व हैं और इस बीच वह अपने व्यापार को किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानान्तरित कर देता है, उसकी मौजूदा कर देयता के बारे में क्या होता है?

उत्तर: जहां कोई व्यक्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, अपना व्यापार पूरे/आंशिक रूप से बिक्री, उपहार, पट्टे पर, (*leave and license*), किराये पर, या किसी अन्य तरीके से, स्थानान्तरित कर देता है, तब स्थानान्तरण करने वाला व्यक्ति और प्राप्तकर्ता जिसे व्यापार स्थानान्तरित किया गया है वह संयुक्त और पृथक रूप से कर, ब्याज या जुर्माने का भुगतान करने के लिए कथित हस्तांतरण के समय से उत्तरदायी हो जाएगा चाहे इस तरह के हस्तांतरण के समय कराधीन व्यक्ति द्वारा देय राशि निर्धारित की गई थी, लेकिन दी नहीं जा सकी या बाद में निर्धारित की गई।

प्र 17. जब एक कंपनी (कराधीन व्यक्ति) दिवालिया हो जाती/जाता है तब देय कर की राशि का क्या होता है?

उत्तर: जब कोई भी कंपनी परिसमाप्त हो जाती है और परिसमापन से पहले या बाद में उसके द्वारा भुगतान किये जाने वाले कर या अन्य देय राशि तय की जाती है चाहे वह वसूल नहीं की जा सकती, जिस अवधि के दौरान वह कर देय था कंपनी का वह प्रत्येक निदेशक, संयुक्त और पृथक रूप में उक्त देय राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जब तक वह आयुक्त की संतुष्टि में यह साबित नहीं कर देता कि कथित गैर-वसूली कंपनी के मामलों के संबंध में उसे किसी प्रकार की सकल उपेक्षा, अपकरण *misfeasance* या कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

प्र 18. देय कर के भुगतान के लिए साझेदारी प्रतिष्ठान (कराधीन व्यक्ति) के भागीदारों के क्या दायित्व हैं?

उत्तर: किसी भी प्रतिष्ठान के साझेदार संयुक्त और पृथक रूप से किसी भी कर, ब्याज या जुर्माने के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रतिष्ठान/साझेदार साझेदारी अपने किसी भी साझेदार की सेवानिवृत्ति की सूचना आयुक्त को लिखित नोटिस के रूप में देंगे— इस सेवानिवृत्ति अवधि तक कर देयता, ब्याज या जुर्माने का उत्तरदायित्व कथित साझेदार पर होगा, चाहे वह उस तारीख को निर्धारित किया गया है या उसके बाद। यदि सेवानिवृत्ति की तारीख के एक महीने के भीतर कोई सूचना नहीं दी गई, ऐसे साझेदार की देयता तारीख तब तक जारी रहेगी जब तक आयुक्त द्वारा कथित सूचना प्राप्त नहीं हो जाती।

प्र 19. एक कराधीन व्यक्ति की कर देयता का क्या होता है, जिसका व्यापार किसी अभिभावक/न्यासी या एक नाबालिग के एजेंट द्वारा किया जाता है?

उत्तर: जहाँ एक कराधीन व्यक्ति के संबंध में उसके व्यवसाय का संचालन किसी अभिभावक/न्यासी/अव्यस्क या अन्य विवश/अक्षम व्यक्ति के एजेंट द्वारा कथित अव्यस्क/अक्षम व्यक्ति के लाभ के लिए या उसकी ओर से एक किया जाता है, तब ऐसे कर, ब्याज या जुर्माना ऐसे अभिभावक/न्यासी/एजेंट पर लगाया जाता है और उनसे वसूल किया जाएगा।

प्र 20. जब एक कराधीन व्यक्ति की संपत्ति वार्ड न्यायालय के नियंत्रण में आ जाती है तब क्या होता है?

उत्तर: जब एक व्यवसाय के कराधीन स्वामी की संपत्ति जिसके संबंध में कर, ब्याज या जुर्माना देय हो वार्ड के न्यायालय/प्रशासक जनरल/सरकारी न्यासी/रिसेवर या प्रबंधक जिसे न्यायालय द्वारा किसी आदेश के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, तब ऐसे लगाये गये कर, ब्याज या जुर्माने को वार्ड के न्यायालय/प्रशासक जनरल/सरकारी न्यासी/रिसेवर या प्रबंधक से उस हद तक वसूल किया जाएगा जैसा कराधीन व्यक्ति पर निर्धारित किया और वसूल किया जाएगा।

जी.एस.टी. में अपील,
समीक्षा और संशोधन

16. जी.एस.टी. में अपील, समीक्षा और संशोधन

प्र 1. कोई व्यक्ति किसी आदेश या उसके विरुद्ध पारित किये गये किसी फैसले से असंतुष्ट है क्या उसे अपील करने का अधिकार है?

उत्तर: हाँ। कोई भी व्यक्ति जो किसी आदेश या विरुद्ध पारित किये गये किसी फैसले से असंतुष्ट है उसे अपील करने का अधिकार है। ऐसा आदेश या निर्णय 'निर्णय देने वाले प्राधिकारी' द्वारा पारित किये जाने चाहिए।

हालांकि, कुछ निर्णय या आदेश (धारा 93 में प्रदान किये अनुसार) अपील करने योग्य नहीं हैं।

प्र 2. जब सी.जी.एस.टी. का आयुक्त ऐसा महसूस करता है कि पारित किया गया आदेश, कानूनी और उचित नहीं है, क्या वह स्वयं आदेश को संशोधित कर सकता है?

उत्तर: नहीं। सी.जी.एस.टी. के आयुक्त आदेश को संशोधित नहीं कर सकता। मॉडल कानून में, सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. के लिए, वहाँ इस संबंध में अलग-अलग प्रावधान हैं। सी.जी.एस.टी. के लिए, धारा 79 (2) के अनुसार, सी.जी.एस.टी. आयुक्त यदि यह पाता है कि एक आदेश या निर्णय (एक निर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित) कानूनी या उचित नहीं है, वह न्यायिक निर्णय के लिये कुछ मुद्दे स्थापित करने के लिये आदेश पारित कर सकता है जहां उसे ऐसा लगता है कि आदेश कानूनी और उचित नहीं है और अधीनस्थ जीएसटी अधिकारी को प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफ.ए.ए.) के समक्ष एक आवेदन दाखिल करने के निर्देश दे सकता है। ऐसे आवेदन को फिर एफएए द्वारा इस प्रकार से निपटान किया जाएगा जिस रूप में एक अपील के साथ किया जाता है।

प्र 3. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने की क्या समय सीमा है?

उत्तर: समय सीमा आदेश और फैसला सूचित करने के 3 महीने तय की गई है।

प्र 4. क्या यह समय सीमा सी.जी.एस.टी. आयुक्त के आदेश के फलस्वरूप भी विभागीय अपील/आवेदन दायर करने पर भी लागू होती है?

उत्तर: हां। यह उन आवेदनों पर भी लागू होती है जिन्हें अपील के रूप में निपटा जाना चाहिए और अपील के सभी प्रावधान ऐसे आवेदनों पर भी लागू होते हैं।

प्र 5. क्या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर करने में देरी को अनदेखा करने की शक्तियां हैं?

उत्तर: हाँ। अपील का आवेदन दायर करने के लिये वह निर्धारित 3 महीने की अवधि के अंत से एक महीने तक देरी को अनदेखा कर सकता है, बशर्ते धारा 79(4) के प्रावधान के अनुसार "पर्याप्त कारण" निर्धारित किये जाने चाहिये।

प्र 6. क्या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील ज्ञापन में निर्दिष्ट नहीं किये अतिरिक्त आधार की अनुमति देने के लिए कोई शक्ति है या नहीं?

उत्तर: हाँ। उसके पास अतिरिक्त आधार के लिये अनुमति प्रदान करने की शक्तियां हैं, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि चूक जानबूझकर नहीं की गई या अनुचित नहीं थी।

प्र 7. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश किसे सूचित किया जाना चाहिये?

उत्तर: प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. क्षेत्राधिकार के आयुक्त को एक प्रति के साथ अपील करने वाले

आवेदक और न्यायिक प्राधिकारी को आदेश की प्रति संचारित करनी होगी।

प्र 8. प्रत्येक अपील के साथ अनिवार्य पूर्व जमा की क्या राशि है जिसे अपील के साथ जमा करना आवश्यक है?

उत्तर: विवाद की 10 प्रतिशत राशि (हालांकि वहाँ अतिरिक्त प्रावधान हैं जिसके लिये मॉडल कानून को संदर्भित किया जा सकता है, प्रश्न 12 और 13 देखें)।

प्र 9. विवादित राशि क्या है (Amount in dispute)?

उत्तर: एमजीएल की धारा 79(6) के स्पष्टीकरण के अनुसार, 'विवादित राशि' की अभिव्यक्ति में निम्न शामिल होंगे –

- (i) धारा 46 या 47 या 48 या 51 के अंतर्गत निर्धारित राशि;
- (ii) जीएसटी क्रेडिट नियम 201....., के नियम के अंतर्गत देय राशि; और
- (iii) शुल्क लगाई गई राशि या लगाया गया जुर्माना।

प्र 10. क्या एक अपील में एफ.ए.ए. आदेश पारित कर शुल्क की राशि/जुर्माने/दंड को बढ़ाया जा सकता है और प्रतिदाय/मूल प्राधिकारी द्वारा पारित प्रतिदाय/आई.टी.सी. को कम किया जा सकता है?

उत्तर: एफएए को जब्ती के बदले शुल्क या दंड या जुर्माने की राशि को बढ़ाने या इनपुट कर क्रेडिट की रकम को कम करने के आदेश पारित करने के लिये सशक्त किया गया है बशर्ते कि अपील करने वाले व्यक्ति को प्रस्तावित हानिकारक आदेश के विरुद्ध कारण बताओ प्रकटीकरण का उचित अवसर दिया गया है। (धारा 79(10) का पहला प्रावधान)।

जहां तक कि शुल्क बढ़ाने या आई.टी.सी. के गलत निर्णय लेने का

संबंध है, एफ.ए.ए. केवल प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध अपील करने वाले व्यक्ति को एक विशिष्ट एससीएन देने के बाद ऐसा कर सकता है और वह आदेश धारा 51 के अंतर्गत उल्लिखित निर्धारित समय सीमा के भीतर पारित किया जाना चाहिए (धारा 79(10) का दूसरा प्रावधान)।

प्र 11. (केवल एस.जी.एस.टी. कानून के लिए) एस.जी.एस.टी. के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए अपील दायर करने से पहले अग्रिम-जमा के संबंध में क्या प्रावधान हैं?

उत्तर: अपील दायर करने से पहले विवाद की राशि का 10 प्रतिशत भुगतान जमा करना होगा। यह सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. दोनों के लिए सामान्य है। हालांकि, एस.जी.एस.टी. के लिए, इस 10 प्रतिशत के अतिरिक्त, अपील करने वाले व्यक्ति द्वारा “कथित गलत” आदेश से उत्पन्न होने वाले कर, ब्याज, जुर्माने और दंड का सारा भुगतान भी करना होगा, जिस रूप में उसने स्वीकार किया है”

इसके अतिरिक्त, यदि एस.जी.एस.टी. आयुक्त किसी मामले को “गंभीर मामला” समझते हैं, विभागीय प्राधिकरण प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को विवाद में अग्रिम-जमा की राशि को विवादित राशि के अधिकतम 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिये आवेदन कर सकते हैं।

प्र 12. (केवल एस.जी.एस.टी. कानून के लिए) ‘गंभीर मामले’ का क्या अर्थ है?

उत्तर: इसे ऐसे मामले के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें 25 करोड़ रुपये की विवादित कर देयता शामिल है और जिसमें एस.जी.एस.टी. के आयुक्त की राय (कारणों के लिए लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए) है कि विभाग के समक्ष करदाता के विरुद्ध अच्छा-खासा मामला है।

प्र 13. क्या एस.जी.एस.टी. आयुक्त अधिनियम के अंतर्गत अपने अधीनस्थ द्वारा पारित किसी भी आदेश को संशोधित कर सकते हैं?

उत्तर: हाँ। एस.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 80(1) आयुक्त को अधिकृत करती है कि वह अपने अधीनस्थ द्वारा पारित किसी आदेश की मांग और निरीक्षण करे और यदि किसी मामले में उसे लगता है कि निचले प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है और राजस्व के लिये प्रतिकूल है, वह नोटिस प्राप्तकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद आदेश को संशोधित कर सकता है।

प्र 14. क्या एस.जी.एस.टी. आयुक्त कथित संशोधन के लंबित रहने तक अपने अधीनस्थ द्वारा पारित किसी आदेश पर रोक लगा सकता है?

उत्तर: हाँ।

प्र 15. क्या एस.जी.एस.टी. के अंतर्गत अधीनस्थ द्वारा पारित किसी आदेश के संशोधन करने के लिये आयुक्त की शक्तियों पर कोई रोकटोक है?

उत्तर: हाँ, आयुक्त निम्न किसी भी क्रम में संशोधन नहीं करेगा यदि:

(क) आदेश धारा 79 या धारा 82 या 87 या 88 के अंतर्गत अपील के अधीन है; या

(ख) निर्णय पारित करने के या आदेश संशोधित करने की मांग के पश्चात तीन साल की अवधि समाप्त हो गई है।

इनमें से कुछ विवरणों और अन्य 'रूकावट' के लिए, कृपया एमडीएल की धारा 80 देखें

प्र 16. न्यायाधिकरण के पास अपील अस्वीकार करने के लिए कब शक्तियाँ होंगी?

उत्तर: ऐसे मामलों में जहां अपील शामिल है –

- कर राशि या
- इनपुट कर क्रेडिट या
- कर में अंतर या
- इनपुट कर क्रेडिट में फर्क है या
- जुर्माने की राशि,
- शुल्क की राशि या
- दंड की राशि का आदेश

रूपये 1,00,000 /– से कम है, न्यायाधिकरण के पास कथित अपील को अस्वीकार करने की स्वेच्छा है। (एम.जी.एल. की धारा 82(2))

प्र 17. किस समय सीमा के भीतर न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की जानी चाहिये?

उत्तर: अपील के विरुद्ध आदेश की प्राप्ति की तारीख से 3 महीने के भीतर।

प्र 18. क्या न्यायाधिकरण तीन महीने के बाद उसके समक्ष अपील दायर करने पर रोक लगा सकती है? यदि ऐसा है तब वह क्या समय होगा?

उत्तर: हाँ न्यायाधिकरण के पास तीन महीने के बाद किसी भी समयावधि के लिये रोक लगाने की शक्तियाँ उपलब्ध हैं बशर्ते अपीलकर्ता द्वारा कथित देरी करने के लिये पर्याप्त मामला प्रकट किया गया है।

प्र 19. न्यायाधिकरण के समक्ष आपत्तियों के विरुद्ध ज्ञापन दायर (Memorandum of cross objections) करने की क्या समय सीमा है?

उत्तर: अपील की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर।

प्र 20. सी.जी.एस.टी. व एस.जी.एस.टी. के अंतर्गत अपील प्रावधानों (न्यायाधिकरण को) में अंतर को प्रकट करें।

- (i) एस.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत प्रावधानों में कोई भी व्यक्ति जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उसके खिलाफ लिए आदेश या निर्णय पारित करने के कारण पीड़ित है यह सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 82 में निहित प्रावधानों के समान हैं और उन पर अनिवार्य रूप से लागू होंगे और उसमें किए गए विचार-विमर्श धारा 82 में निहित प्रावधानों के समान रूप से लागू होंगे।
- (ii) एस.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 82 के उपरोक्त प्रावधान के अतिरिक्त भी अपीलीय न्यायाधिकरण को आयुक्त द्वारा पारित संशोधित आदेश भी शामिल किया गया है।
- (iii) हालांकि राजस्व द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील से संबंधित प्रावधानों को जैसा कि सी.जी.एस.टी. अधिनियम में दिया गया है उस रूप में एस.जी.एस.टी. अधिनियम में प्रदान नहीं किया गया है जबकि एस.जी.एस.टी. आयुक्त को संशोधन करने की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।
- (v) इसके अतिरिक्त, एस.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को विवादित आदेश से उत्पन्न स्वीकार्य कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क और दंड का सारा भुगतान अग्रिम जमा के रूप में जमा करना होगा

प्र 21 क्या प्रतिदाय/रिफंड की अग्रिम-जमा राशि पर ब्याज देय है?

उत्तर: हाँ। एमजीएल की धारा 85 के अनुसार जहाँ अपीलकर्ता द्वारा

धारा 82 की उपधारा (10)/(7) या धारा 79 की उपधारा (6)/(4) के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के बाद, जमा राशि को वापस करने की आवश्यकता है, जैसा भी मामला हो सकता है, तब उस प्रतिदाय/रिफंड के संबंध में धारा 39 के अंतर्गत उस पर ब्याज उसके भुगतान करने की तारीख तक देय होगा।

प्र 22. न्यायाधिकरण के आदेश पर अपील किस मंच के लिए निहित है?

उत्तर: उच्च न्यायालय; यदि उच्च न्यायालय इस पर संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी अपील में कानून की बड़ी प्राथमिकता शामिल है। (धारा 87(1))। हालांकि, यदि किसी मामले में न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दो या दो से अधिक राज्यों, या किसी राज्य और केंद्र से संबंधित है, और उनके बीच लेन-देन के निपटान के संबंध में आपसी मतभेद हैं यानि अंतर-राज्य या राज्य के भीतर; या ऐसे मामले में जहां दो या दो से अधिक राज्यों, या राज्य और केंद्र के बीच; आपूर्ति के स्थान के बारे में विचारों का अंतर है, तब इस तरह के आदेश के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाएगी न कि उच्च न्यायालय में।

प्र 23. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की क्या समय सीमा है?

उत्तर: अपील के विरुद्ध आदेश की प्राप्ति की तारीख से 180 दिन के भीतर। हालांकि, उच्च न्यायालय के पास पर्याप्त कारण प्रकट करनेपर आगे देरी को अनदेखा करने की शक्ति प्राप्त है।

अग्रिम न्यायिक निर्णय

17. अग्रिम न्यायिक निर्णय

प्र 1. अग्रिम न्यायिक निर्णय का क्या अर्थ है?

उत्तर: मॉडल सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. कानून की धारा 94 के अनुसार, अग्रिम न्यायिक निर्णय का अर्थ प्राधिकरण द्वारा अपीलकर्ता को उन मामलों में या उन प्रश्नों पर प्रदान किया जाने वाला लिखित रूप में निर्णय है जैसा कि धारा 97 और अपील में उल्लिखित किया गया है (धारा 99)।

प्र 2. धारा 97 में वे क्या मामले बताये गये हैं जिनमें अग्रिम न्यायिक निर्णय की मांग की जा सकती है?

उत्तर: निम्नलिखित मामलों में अग्रिम न्यायिक निर्णय की मांग की जा सकती है:

- (क) अधिनियम के अंतर्गत किसी भी वस्तुओं या सेवाओं का वर्गीकरण;
- (ख) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जारी अधिसूचना जो कर की दर को प्रभावित करती है;
- (ग) मूल्य निर्धारण के प्रयोजनों के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं के अपनाये जाने वाले सिद्धांत;
- (घ) इनपुट कर क्रेडिट के भुगतान या माने गये भुगतान की स्वीकार्यता;
- (ङ) अधिनियम के अंतर्गत किसी भी वस्तुओं या सेवाओं पर कर भुगतान के दायित्व का निर्धारण;
- (च) क्या अधिनियम के अंतर्गत आवेदक का पंजीकृत होना आवश्यक है;

(छ) आवेदक द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में किया गया कोई विशिष्ट कार्य जिसका परिणाम किन्हीं वस्तुओं या सेवाओं के रूप में हो अथवा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो, जो इस शब्द के दायरे में आते हों।

प्र 3. अग्रिम न्यायिक निर्णय के तंत्र का क्या उद्देश्य है?

उत्तर: कथित प्राधिकरण के गठन के व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- i. आवेदक द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली गतिविधि के संबंध में अग्रिम कर देयता में निश्चितता प्रदान करना है;
- ii. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित (एफ.डी.आई.) करना;
- iii. मुकदमेबाजी में कमी;
- iv. पारदर्शिता और किफायत के साथ तत्काल न्यायिक निर्णय घोषित करना

प्र 4. जी.एस.टी. के अंतर्गत अग्रिम न्यायिक निर्णयों (ए.ए.आर.) के लिए प्राधिकरण की संरचना क्या होगी?

उत्तर: "अग्रिम न्यायिक निर्णय के लिए प्राधिकरण" (ए.ए.आर.) में सी.जी.एस.टी. का एक और एस.जी.एस.टी. का एक सदस्य शामिल होगा। उन्हें क्रमशः केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उनकी शैक्षिक योग्यताएं और नियुक्ति की शर्तें मॉडल जी.एस.टी. नियमों में निर्धारित की जाएंगी। (धारा 95)।

प्र 5. अग्रिम न्यायिक निर्णय (ए.ए.आर.) के लिए अपीलीय प्राधिकरण (AAAR: Appellate Authority for Advance Ruling) क्या है और उसकी क्या संरचना हो सकती है?

उत्तर: अग्रिम न्यायिक निर्णय (ए.ए.आर.) के लिए अपीलीय प्राधिकरण ए.ए.आर. द्वारा दिए गए अग्रिम फैसले के विरुद्ध अपील पर सुनवाई करेगी। इनमें दो सदस्य सम्मिलित होंगे अर्थात् केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा नामित मुख्य आयुक्त और एस.जी. एस.टी. के आयुक्त जिनके अधिकार क्षेत्र में आवेदक आता है। (धारा 96)।

प्र 6. जी.एस.टी. के अंतर्गत ए.ए.आर. और ए.ए.ए.आर. को कैसे गठित किया जाएगा?

उत्तर: प्रत्येक राज्य के लिए एक ए.ए.आर. और ए.ए.ए.आर. होगा (धारा 95 और 96)।

प्र 7. अग्रिम न्यायिक निर्णय किन पर लागू होगा?

उत्तर: धारा 102 प्रदान करती है कि ए.ए.आर. या ए.ए.ए.आर. द्वारा सुनाई अग्रिम न्यायिक निर्णय केवल आवेदक पर और आवेदक के कर प्राधिकरण क्षेत्राधिकार पर बाध्य होगा। इसका स्पष्ट रूप से यह अर्थ है कि अग्रिम न्यायिक निर्णय एक ही तरह के राज्य में कराधीन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। यह केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित है जिन्होंने अग्रिम न्यायिक निर्णय के लिए आवेदन किया है।

प्र 8. अग्रिम न्यायिक निर्णय की लागू करने की क्या समय अवधि है?

उत्तर: अग्रिम न्यायिक निर्णय लागू करने के लिये कानून कोई निश्चित समय अवधि प्रदान नहीं करता। इसके बजाय, धारा 102 में, यह प्रदान किया जाता है कि अग्रिम न्यायिक निर्णय उस अवधि तक बाध्यकारी होगा जब तक मूल अग्रिम न्यायिक निर्णय को समर्थित कानून, तथ्य या परिस्थितियां बदल नहीं जाते।

प्र 9. क्या एक अग्रिम न्यायिक निर्णय को निरस्त माना जा सकता है?

उत्तर: धारा 103 प्रदान करती है कि एक अग्रिम न्यायिक निर्णय (*ab initio void*) प्रारम्भ से ही अवैध माना जाएगा यदि ए.ए.आर. या ए.ए.ए.आर. यह पाता है कि आवेदक द्वारा अग्रिम न्यायिक निर्णय धोखाधड़ी या तथ्यों की सामग्री को दबाकर या तथ्यों की गलत बयानी से प्राप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में, आवेदक पर सी.जी. एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियम के सभी प्रावधान इस प्रकार से लागू होंगे जैसे कथित अग्रिम न्यायिक निर्णय कभी किया ही नहीं गया था (लेकिन उस अवधि को छोड़कर जब अग्रिम न्यायिक निर्णय दिया गया था और उस अवधि तक जब अवैध घोषित किये आदेश जारी किया जाता है)। अग्रिम न्यायिक निर्णय घोषणा को अवैध करार देने का आदेश केवल आवेदक की सुनवाई करने के बाद ही पारित किया जा सकता है।

प्र 10. अग्रिम न्यायिक निर्णय प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर: धारा 97 और 98 अग्रिम न्यायिक निर्णय प्राप्त करने की प्रक्रिया से संबंधित है। धारा 97 प्रदान करती है कि अग्रिम न्यायिक निर्णय प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक को एक निर्धारित प्रपत्र और तरीके से ए.ए.आर. के लिए आवेदन करना चाहिए। प्रपत्र और आवेदन के लिए विस्तृत प्रक्रिया का प्रारूप मॉडल जी.एस.टी. नियमों में निर्धारित किया जाएगा।

धारा 98 अग्रिम न्यायिक निर्णय के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रदान करती है। ए.ए.आर. आवेदन की एक प्रति उन अधिकारियों को भेजेगे जिनके क्षेत्राधिकार में आवेदक आता है और सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड की मांग करेगी। इसके बाद ए.ए.आर. रिकॉर्ड के साथ आवेदन की जांच और आवेदक की सुनवाई कर सकती है। इसके बाद वह या तो आवेदन की स्वीकृति या रद्द करने के आदेश पारित कर देंगे।

प्र 11. किन परिस्थितियों के अंतर्गत अग्रिम न्यायिक निर्णय के आवेदनों को अनिवार्य रूप से अस्वीकार किया जा सकता है?

उत्तर: आवेदन को निरपवाद रूप से कुछ स्थितियों में अस्वीकार कर दिया जाता है जैसा कि धारा 98(2) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है जिसे नीचे निर्दिष्ट किया गया है:

- (क) यदि आवेदक के मामले में आवेदन पर उठाया गया प्रश्न पहले से ही किसी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है;
- (ख) यदि आवेदन में उठाया गया प्रश्न वही है जैसा कि इस मामले में पहले से प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया है;
- (ग) यदि आवेदन में उठाया गया प्रश्न वैसा ही है जैसा आवेदक के मामले में पहले से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी कार्यवाही में लंबित है;
- (घ) यदि आवेदन में उठाया गया प्रश्न वैसा ही है जैसा आवेदक के मामले में पहले से निर्णायक प्राधिकारी या आंकलन प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया है, जो कोई भी लागू होता हो।

यदि आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, इसे स्वतः स्पष्ट आदेश के माध्यम से अस्वीकृति के कारणों को बताकर दिया जाना चाहिए।

प्र 12. एक बार आवेदन स्वीकार किया जाता है तब ए.ए.आर. द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये?

उत्तर: यदि आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है, तब ए.ए.आर. आवेदन प्राप्त करने के नब्बे दिनों के भीतर अपना न्यायिक निर्णय

घोषित कर देगा। अपने न्यायिक निर्णय देने से पहले, यह आवेदन और आवेदक या संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा दी गई सामग्री की जांच करेगा।

न्यायिक निर्णय देने से पहले, ए.ए.आर. को आवेदक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के साथ सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. के क्षेत्राधिकार के अधिकारियों को भी सुनना होगा।

प्र 13. यदि ए.ए.आर. के सदस्यों के बीच मतभेद हो जाता है तब क्या होगा?

उत्तर: अगर वहाँ ए.ए.आर. के दो सदस्यों के बीच कुछ मतभेद हो जाता है, वे जिस मुद्दे या मुद्दों पर उनके बीच विवाद है उन मुद्दों की सुनवाई के लिए वे ए.ए.ए.आर. को संदर्भित कर देंगे। यदि ए.ए.आर. ए.ए.ए.आर. के सदस्य भी इन मुद्दों(दो) के संबंध में एक आम निष्कर्ष पर आने में विफल हो जाते हैं, तब यह मान लिया जाएगा कि ए.ए.ए.आर. स्तर पर उन विवादों के संबंध में कोई अग्रिम न्यायिक निर्णय नहीं दिया जा सकता है।

प्र 14. ए.ए.आर. के आदेश के विरुद्ध अपील के लिए क्या प्रावधान हैं?

उत्तर: मॉडल जी.एस.टी. कानून की धारा 99 और 100 में ए.ए.ए.आर. के समक्ष अपील के प्रावधान हैं।

यदि आवेदक ए.ए.आर. निष्कर्ष परिणामों से असंतुष्ट है, तब वह ए.ए.ए.आर. के समक्ष अपील दायर कर सकता है। इसी तरह, यदि सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. के निर्धारित या क्षेत्राधिकार अधिकारी ए.ए.आर. की निष्कर्ष परिणामों के साथ सहमत नहीं है, वह भी ए.ए.ए.आर. के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. के प्राधिकृत अधिकारी का अर्थ एक ऐसे अधिकारी से है जिसे सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. प्रशासन द्वारा

आवेदन के संबंध में अग्रिम न्यायिक निर्णय के लिए नामित किया गया है। सामान्य परिस्थितियों में, संबंधित अधिकारी वह अधिकारी है जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक स्थित होगा। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. क्षेत्राधिकार का अधिकारी होगा।

कोई भी अपील अग्रिम न्यायिक निर्णय की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। अपील निर्धारित प्रारूप में की जानी चाहिए और निर्धारित तरीके से उसका सत्यापन होना चाहिए। इसे मॉडल जी.एस.टी. नियमों में निर्धारित किया गया है।

अपीलीय प्राधिकारी अपील दायर करने के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अपील करने के लिए पक्षों की सुनवाई के बाद एक आदेश पारित करेगा। यदि अपील में निर्दिष्ट किसी मुद्दे पर ए.ए.ए.आर. के सदस्यों के बीच कोई मतभेद है तो, यह समझा जाएगा कि अपील के अंतर्गत किसी भी प्रश्न के संबंध में कोई अग्रिम न्यायिक निर्णय जारी नहीं किया गया है।

प्र 15. क्या ए.ए.आर. और ए.ए.ए.आर. न्यायिक निर्णय की गलतियों में सुधार के लिये कोई आदेश जारी कर सकता है?

उत्तर: हाँ। अधिनियम की धारा 101 ए.ए.आर. और ए.ए.ए.आर. को रिकार्ड द्वारा उसके आदेश की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर किसी भी गलती को सुधारने के लिय शक्तियां प्रदान करती है। इस तरह की गलतियां प्राधिकारी द्वारा स्वयं भी सूचित की जा सकती हैं या आवेदक द्वारा उनके संज्ञान में लाई जा सकती हैं या निर्धारित की जा सकती है या सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. क्षेत्राधिकार अधिकारी द्वारा। यदि सुधार का प्रभाव कर देनदारी की वृद्धि या इनपुट कर क्रेडिट के परिमाण को कम करता है, तब आदेश पारित करने से पहले आवेदक को सुना जाना चाहिए।

निपटान आयोग

18. निपटान आयोग

प्र 1. निपटान आयोग का मूल उद्देश्य क्या है?

उत्तर: निपटान आयोग की स्थापना का मूल उद्देश्य इस प्रकार है:—

1. करदाता के लिए विवाद समाधान के लिए एक वैकल्पिक माध्यम प्रदान करना;
2. विवादों में संलग्न जी.एस.टी. के भुगतान में तेजी लाने के लिए महंगी और समय लेने वाली मुकदमेबाजी की प्रक्रिया से बचना;
3. उन करदाताओं को साफ सुथरी छवि प्रस्तुत करने के लिये अवसर प्रदान करना जो कर का भुगतान करने से बचते रहे हैं;
4. करदाता को उनके कर दायित्व के मामलों के निपटान लागू करने के लिये एक मंच की सुविधा प्रदान करना, जोकि उनके द्वारा पूर्ण और समग्र कर दायित्व की घोषणा के आधार पर हो।
5. विवादों के तीव्र निपटारे को प्रोत्साहित करना और कुछ स्थितियों में व्यापार को अभियोजन की चिंताओं से मुक्ति दिलाना;

प्र 2. क्या एम.जी.एल. के अंतर्गत अंतर-राज्य और राज्य के भीतर के लेन-देन के कारण उत्पन्न होने वाले कर विवादों को निपटारा किया जा सकता है?

उत्तर: मॉडल जी.एस.टी. कानून में, केवल आई.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत निपटान आयोग का प्रावधान किया गया है। (धारा-11से 26) इसका मतलब यह है कि राज्य के भीतर लेन-देन से संबंधित कर देयता के मामलों को निपटाया नहीं जा सकता। हालांकि, वहाँ

एक संभावना यह है कि उन राज्यों के कर प्रशासन जो निपटान आयोग गठित करना चाहते हैं वह आई.जी.एस.टी. अधिनियम और सी.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किये नमूने/टेम्पलेट के आधार पर ऐसा कर सकते हैं और कथित राज्यों के लिए आई.जी.एस.टी. अधिनियम से उपलब्ध सक्षम प्रावधानों का अनुसरण कर सकते हैं।

प्र 3. एम.जी.एल. में निपटान के प्रावधानों के अंतर्गत मामले का क्या मतलब है?

उत्तर: धारा 11 के अनुसार, मामले का मतलब आई.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत करारोपण, आंकलन और आई.जी.एस.टी. अधिकारी के समक्ष या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कथित करारोपण, आंकलन और आई.जी.एस.टी. का संग्रह उस तारीख पर लंबित है जिस पर निपटान के लिए आवेदन किया गया है। मामलों का मतलब न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पारित एक आदेश से भी है जिसके लिये अपील की अवधि समाप्त नहीं हुई। इस परिभाषा में यह स्पष्ट किया गया है कि एक अपील की समाप्ति की अवधि के बाद अपील दायर करना या एक मामले में उच्च न्यायिक प्राधिकारी द्वारा निचले स्तर पर भेजे गये मामले को एक लंबित कार्यवाही के रूप में नहीं माना जाएगा और इसलिये ऐसे मामलों में किसी भी तरह से निपटान का आवेदन नहीं दिया जा सकता।

प्र 4. निपटान याचिका पर विचार/सुनवाई करने वाले सदस्यों की संरचना क्या होगी?

उत्तर: निपटान के लिए प्रत्येक आवेदन की सुनवाई एक पीठ द्वारा की जाएगी जिसकी अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष करेंगे और उसमें दो अन्य सदस्य सम्मिलित होंगे। राज्य अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। अन्य दो सदस्य सी.जी.एस.टी. प्रशासन से तकनीकी सदस्य होंगे।

प्र 5. जब निपटान आवेदन की सुनवाई के दौरान सदस्यों के बीच आपस में मतभेद हो जाता है तब क्या होता है?

उत्तर: आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 14 प्रदान करती है कि जहां निपटान आयोग की पीठ के सदस्यों का किसी भी मुद्दे पर मतभेद हो जाता है, तब निर्णय बहुमत की राय के आधार पर लिया जाएगा। यह प्रदान किया गया है कि यदि तीसरा सदस्य अनुपस्थिति, बीमारी या रिक्तता जैसे कारणों की वजह से अनुपस्थित रहता है तब निर्णय पीठ में सम्मिलित केवल दो सदस्यों द्वारा भी लिया जा सकता है। यदि ऐसे कथित दो सदस्यों के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तब मामला तीसरे सदस्य को संदर्भित कर दिया जाएगा; और निर्णय बहुमत की राय द्वारा लिया जाएगा।

प्र 6. निपटान के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

उत्तर: आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, कोई भी कराधीन व्यक्ति एक मामले के निपटारे के लिए आवेदन कर सकता है जिसके संबंध में उसे आई.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत एक या एक से अधिक कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं और वह एक निर्णायक प्राधिकरण या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित है।

प्र 7. निपटान आवेदन की सामग्री/सूची क्या होगी?

उत्तर: निपटान आवेदन में निम्न का पूर्ण और सत्य खुलासा शामिल होगा:

- i. कर देयता जिसे आई.जी.एस.टी. के सक्षम अधिकारी को प्रकट नहीं किया गया है;
- ii. ऐसे कर दायित्व उत्पन्न करने के तरीके;
- iii. कर की अतिरिक्त देय राशि जिसे वह स्वीकार करता है;

- iv. अन्य विवरण जैसे गलत वर्गीकरण, छूट की अधिसूचना जिसके कारण वह कम भुगतान पर सहमत है।

प्र 8. किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए जिन्हें निपटान के लिए आवेदन से पहले स्वीकार किया जा सकता है?

उत्तर: आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, निपटान के लिए आवेदन करने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए ताकि निपटान का मामला स्वीकार किया जा सके:

- (क) आवेदक ने रिटर्न प्रस्तुत कर दिया/दी हैं, जिन्हें उसने या आई.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत करना आवश्यक था या इसकी आवश्यकता को निपटान आयोग द्वारा इन कारणों की रिकॉर्डिंग करने के बाद कि वह संतुष्ट था, खारिज कर दिया है कि रिटर्न नहीं भरने के पीछे कुछ वैध परिस्थितियां अस्तित्व में थी;
- (ख) आवेदक को कर की मांग के लिए एक कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है या आई.जी.एस.टी. अधिकारी द्वारा कर की मांग की पुष्टि जारी करने का आदेश प्राप्त हुआ है जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित है;
- (ग) आवेदन में आवेदक द्वारा स्वीकार किये गये अतिरिक्त कर की राशि पांच लाख रुपए से अधिक है; तथा
- (घ) आवेदक ने सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत उसके द्वारा स्वीकृत देय ब्याज सहित कर का अतिरिक्त भुगतान कर दिया है।

प्र 9. किन परिस्थितियों में निपटान के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता?

उत्तर: आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, निम्न

परिस्थितियों में, निपटान आयोग निपटान के लिए आवेदन स्वीकार नहीं करेगा:

- i. यदि किसी मामले में शामिल किसी आवेदन पत्र अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी अदालत के समक्ष लंबित है;
- ii. यदि आवेदन में किसी प्रश्न पर वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर के दर का निर्धारण शामिल हो अथवा करदेयता का निर्धारण शामिल हो;
- iii. यदि निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।

प्र 10. क्या एक आवेदक अपने निपटान आवेदन को एक बार दायर करने के बाद वापस ले सकता है?

उत्तर: नहीं, आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, एक बार आवेदन दाखिल करने के बाद, आवेदक द्वारा उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

प्र 11. निपटान आयोग द्वारा कैसे आदेश पारित किये जा सकते हैं?

उत्तर: निपटान आयोग एक आदेश पारित करेगा जिसमें निपटान की शर्तें प्रदान की जाएंगी जो निम्न प्रकार की होंगी:

- i. कर की राशि, ब्याज, जुर्माना या दंड जो आवेदक द्वारा देय है (यदि इस राशि को तीस दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता या तीन अतिरिक्त महीने की विस्तारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तब इसे ब्याज सहित वसूल किया जाएगा क्योंकि सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 54 के अनुसार यह राशि केन्द्र सरकार को देय है); (धारा 16)

- ii. निपटान के अंतर्गत देय रकम और उसके भुगतान का तरीका; (धारा 16)
- iii. आई.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत यदि आवेदन प्राप्त होने की तारीख पर कोई अभियोग गठित नहीं है और यदि निपटान आयोग संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक ने अपने कर दायित्व का पूर्ण और सही खुलासा कर दिया है तब उसे अपराध की कार्यवाही के अभियोग से छुटकारा प्रदत्त किया जाएगा; (धारा 20)
- iv. आई.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत जुर्माने से पूर्ण या आंशिक रूप से छुटकारा प्रदत्त किया जाएगा; (धारा 20)
- v. पहले किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान आवेदक की संपत्ति की अल्पकालिक संलग्नता के आदेश जारी करेगा। इस तरह के अल्पकालिक संलग्नता प्रभाव में नहीं रहेगी, जब केन्द्र सरकार को देय राशि जिसके लिए संलग्नता आदेश दिया गया था, के भुगतान का निर्वहन कर दिया गया है और निपटान आयोग को उसके साक्ष्य प्रस्तुत कर दिये गये हैं; (धारा 17)
- vi. यदि निपटान आयोग के विचार में आवेदक ने निपटान आयोग के साथ सहयोग नहीं किया है तब ऐसे मामले को वापस आई.जी.एस.टी. अधिकारी के क्षेत्राधिकार या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास भेजें। ऐसे मामले में, प्रासंगिक निर्णायक प्राधिकरण सभी सामग्री और कराधीन व्यक्ति द्वारा निपटान आयोग को प्रस्तुत सभी जानकारियों या निपटान आयोग द्वारा जांच के निष्कर्षों का प्रयोग करने की हकदार है; (धारा 21)

vii. पहले समाप्त हो चुके मामले से जुड़ी किसी भी कार्यवाही को फिर से खोलना और उचित आदेश पारित करना: इसे केवल आवेदक की सहमति लेने के बाद सम्पन्न किया जा सकता है और निपटान के लिए आवेदन की तारीख से गिनकर यदि समापन कार्यवाही के पांच साल पूरे नहीं हुए हैं; (धारा 18)

प्र 12. किन परिस्थितियों में निपटान आयोग के आदेश को रद्द किया जा सकता है?

उत्तर: (i) - निपटान आयोग का आदेश अवैध हो जाएगा यदि बाद में यह ज्ञात होता है कि वह धोखे या तथ्यों की गलत बयानी से प्राप्त हुआ है। इसके बाद निपटान में शामिल निपटान आयोग की कार्यवाहियां उसी चरण से पुनर्जीवित हो जाएंगी जिसमें निपटान आयोग द्वारा आवेदन करने की अनुमति दी गई थी और उसका समापन इस तरह के संचार प्राप्त करने की तारीख से दो साल के भीतर प्रासंगिक मूल या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा संपन्न किया जाएगा। (धारा 16)

(ii)- अभियोग या दंड के भुगतान से छुटकारा देने के निपटान आयोग के आदेश को वापस लिया जा सकता है, जहां इसे बाद में पता चलता है कि आवेदक ने किसी तथ्य को छुपाया था या कोई झूठा साक्ष्य दिया था या वह निर्धारित समय पर निपटान आदेश में विनिर्दिष्ट भुगतान करने में विफल रहा है। (धारा 20)

प्र 13. कौन निपटान आयोग का उपयोग नहीं कर सकते?

उत्तर: निम्नलिखित व्यक्ति निपटान आयोग की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते?

- (i) कोई भी व्यक्ति दो बार से ज्यादा निपटान की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता है (धारा 23)
- (ii) एक बार निपटान आदेश पारित हो जाने के बाद एक व्यक्ति किसी अन्य मामले में निपटान के लिए आवेदन नहीं कर सकता, ऐसा किसी मामले के संबंध में है जब एक व्यक्ति आई.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया था, या जहां आवेदक से सहयोग की कमी हो जाती है, और निपटान आयोग प्रासंगिक निर्णायक प्राधिकारी के पास मामला वापस भेज देता है। (धारा 23)

प्र 14. निपटान आयोग की शक्तियां क्या हैं?

उत्तर: आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धाराएं 25 और 26 में निपटान आयोग की शक्तियां और प्रक्रियाएं दी गई हैं। इसे नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत इन मामलों में नागरिक न्यायालयों की तरह व्यवहार कर सकती है यथा: तलाशी और निरीक्षण, व्यक्ति की उपस्थिति लागू करने और शपथ देते समय उसकी जांच करने और लेखा बाहियों और अन्य प्रलेखनों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्यकारी शक्तियां निहित हैं। निपटान आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 के प्रयोजनों के लिए एक नागरिक न्यायालय माना गया है। इसके समक्ष प्रस्तुत किसी भी कार्यवाही को धारा 193 और 228 के तहत और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 196 के उद्देश्य के लिये न्यायिक कार्यवाही के समान माना जाएगा। निपटान आयोग के पास अपनी प्रक्रिया को नियंत्रित करने की भी शक्ति है।

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 193 में न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठे साक्ष्य देने पर दंड का प्रावधान शामिल है और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 228 में जानबूझकर अपमान या निपटान

की कार्यवाही में संलग्न व्यक्ति के काम में व्यवधान उत्पन्न करने पर दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं। तदनुसार आईपीसी के यह प्रावधानों को लागू किया जा सकता है, जब भी कोई व्यक्ति झूठे सबूत देता है या निपटान आयोग की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करता है।

आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 24 निपटान आयोग को इसके रिकॉर्ड से स्पष्ट किसी गलती को सुधारने के लिए आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर उसके कथित आदेश में संशोधन करने में सशक्त करती है। ऐसी गलती निपटान आयोग द्वारा उसकी अपनी स्वयं की स्वेच्छा पर या आवेदक या आई.जी.एस.टी. क्षेत्राधिकार अधिकारी द्वारा उसके संज्ञान में लाई जा सकती है।

यदि संशोधन में कर दायित्व में वृद्धि करने या इनपुट कर क्रेडिट के परिमाण को कम करने का असर है, तब आदेश पारित करने से पहले आवेदक का पक्ष सुना जाना चाहिये।

निरीक्षण, तलाशी, जब्ती
और गिरफ्तारी

19. निरीक्षण, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी

प्र 1. शब्द "तलाशी" का क्या अर्थ है?

उत्तर: कानूनी शब्दकोश के अनुसार और विभिन्न न्यायिक निर्णयों में नोट के रूप में, शब्द "तलाशी", का सरल भाषा में अर्थ, सरकारी मशीनरी की एक कार्रवाई करना, देखना या एक स्थान, क्षेत्र, व्यक्ति, वस्तुओं इत्यादि का बड़ी सावधानी के साथ यह जानने के लिये निरीक्षण करना कि कहीं कुछ छिपाया तो नहीं गया है या किसी अपराध के साक्ष्यों की तलाशी के उद्देश्य के लिए। एक व्यक्ति या वाहन या परिसर आदि की तलाशी केवल कानून के उपयुक्त और वैध अधिकार के अंतर्गत किया जा सकता है।

प्र 2. "निरीक्षण" शब्द का क्या अर्थ है?

उत्तर: एम.जी.एल. के अंतर्गत शब्द "निरीक्षण" एक नया प्रावधान है। यह तलाशी की तुलना में एक नरम प्रावधान है जो अधिकारियों को कराधीन व्यक्ति के व्यापार के किसी भी स्थान पर और इसके साथ ही उस व्यक्ति जो माल के परिवहन में संलग्न है या जो स्वामी है या एक मालगोदाम या गोदाम का ऑपरेटर है उस तक पहुंच बनाने में सक्षम करता है।

प्र 3. "निरीक्षण" कार्यान्वयन करने के आदेश कौन तथा किन परिस्थितियों में दे सकता है?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 60 के अनुसार, निरीक्षण का कार्यान्वयन सी.जी.एस.टी/एस.जी.एस.टी के संयुक्त आयुक्त या उससे ऊपर के रैंक के एक अधिकारी द्वारा लिखित अधिकार पत्र के अंतर्गत किया जा सकता है। संयुक्त आयुक्त या उससे उच्च अधिकारी इस तरह के प्राधिकार सिर्फ तभी दे सकते हैं जब उनके पास यह विश्वास करने

के पर्याप्त कारण हैं कि संबंधित व्यक्ति ने निम्न में से एक किया है:

- i. आपूर्ति के किसी लेनदेन को दबाया है;
- ii. हाथ में वस्तुओं के स्टॉक को दबाया है;
- iii. ज्यादा इनपुट कर क्रेडिट का दावा किया है;
- iv. कर के लिए सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है;
- v. एक ट्रांसपोर्टर या गोदाम के मालिक के पास कुछ माल रखा है जिसपर कर का भुगतान बचाया गया है या अपने खातों या माल को इस तरीके से किसी स्थान पर रख दिया है कि कर से बचने की संभावना हो।

प्र 4. क्या इस धारा के अंतर्गत सक्षम अधिकारी किसी व्यक्ति की किसी संपत्ति/परिसर का निरीक्षण अधिकृत कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं, प्राधिकृति केवल सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. के अधिकारी को निम्न में से किसी एक के निरीक्षण करने के लिये दी जा सकती है:

- i. कराधीन व्यक्ति के व्यापार का कोई स्थान;
- ii. एक व्यक्ति जो वस्तुओं के परिवहन के कारोबार में संलग्न है उस व्यक्ति के व्यापार के किसी भी स्थान पर चाहे वह पंजीकृत कराधीन व्यक्ति है या नहीं;
- iii. एक मालिक या मालगोदाम या गोदाम के संचालक के किसी व्यापारिक स्थान पर।

प्र 5. एम.जी.एल. के प्रावधानों के अंतर्गत तलाशी और जब्ती के लिए कौन आदेश दे सकता है?

उत्तर: संयुक्त आयुक्त या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी किसी अधिकारी को लिखित रूप में तलाशी और वस्तुओं, दस्तावेजों, किताबों या अन्य चीजों को जब्त करने की लिखित रूप में प्राधिकृति

दे सकते हैं। संयुक्त आयुक्त इस तरह के प्राधिकार सिर्फ तभी दे सकते हैं जब उनके पास यह विश्वास करने के प्रयाप्त कारण हैं कि कोई माल जब्ती के लिये उत्तरदायी है या कोई दस्तावेज़ या खाते या वस्तुएं किसी कार्यवाही के लिये प्रासंगिक हैं उन्हें किसी स्थान पर छिपाया गया है।

प्र 6. “विश्वास करने के कारण” का क्या मतलब है?

उत्तर: “विश्वास करने के कारण” तथ्यों को जानने का ज्ञान, हालांकि प्रत्यक्ष ज्ञान के बराबर नहीं, होना है जिससे एक तर्कसंगत, वैसे ही तथ्यों को जानने वाला, व्यक्ति तर्क संगत रूप से उसी तरह के नतीजे पर पहुंचता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 26 के अनुसार, एक व्यक्ति को एक चीज का “विश्वास करने का कारण” रखते हुए कहा जाता है यदि उसके पास उस बात पर विश्वास करने का पर्याप्त कारण है किन्तु अन्यथा नहीं। “विश्वास करने के लिए कारण” विशुद्ध रूप से व्यक्ति परक विचार से भिन्न बुद्धिमत्तापूर्ण देखभाल एवं मूल्यांकन पर आधारित एक उद्देश्य के लिए दृढ़ संकल्प का चिन्तन है। प्रासंगिक सामग्री और परिस्थितियों के आधार पर एक ईमानदार एवं उचित (तर्कसंगत) व्यक्ति का यह (“विश्वास करने के कारण”) होना चाहिए एवं होना ही चाहिए।

प्र 7. निरीक्षण या तलाशी और जब्ती की प्राधिकृति जारी करने से पहले, क्या कथित “विश्वास करने के कारण” को सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना अनिवार्य है?

उत्तर: हालांकि अधिकारी को तलाशी के लिए एक प्राधिकृति जारी करने से पहले इस तरह के विश्वास के लिए कारणों को व्यक्त करना आवश्यक नहीं है, उसे वह सामग्री जिस पर उसका विश्वास आधारित था उसका खुलासा करना होगा। अविश्वास करने का कारण प्रत्येक मामले में निरपवाद रूप से दर्ज किये जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि, यह बेहतर होगा यदि सामग्री/जानकारी आदि

सर्च वारंट जारी करने से पहले या तलाशी की कार्यवाही से पहले दर्ज की जाएं।

प्र 8. सर्च वारंट क्या है और उसकी विषय-वस्तु क्या है?

उत्तर: तलाशी करने के लिये लिखित प्राधिकृति को आमतौर पर सर्च वारंट कहा जाता है। सर्च वारंट जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी संयुक्त आयुक्त या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी है। एक सर्च वारंट में एक तर्कसंगत विश्वास का संकेत होना आवश्यक है जिसके कारण तलाशी की जा रही है। सर्च वारंट में निम्नलिखित विवरण शामिल करना चाहिए:

- i. अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघन,
- ii. तलाशी किये जाने वाला परिसर,
- iii. प्राधिकृत तलाशी करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम,
- iv. जारी करने वाले अधिकारी की गोल मुहर सहित पूर्ण पदनाम और नाम,
- v. जारी करने की तारीख और स्थान,
- vi. सर्च वारंट का क्रमांक नंबर,
- vii. वैधता की अवधि अर्थात् एक दिन या दो दिन आदि

प्र 9. एम.जी.एल. के प्रावधानों के अंतर्गत कब वस्तुएं जब्ती के लिए उत्तरदायी हो जाती हैं?

उत्तर: मॉडल जी.एस.टी. कानून की धारा 70 के अनुसार, वस्तुओं तब जब्ती के लिए उत्तरदायी हो जाती हैं जब कोई व्यक्ति निम्न गतिविधियों में संलग्न रहता है:

- (i) इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके अंतर्गत बने नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी भी वस्तुओं की

आपूर्ति करता है जो कर की चोरी में परिणत होती है;

- (ii) इस अधिनियम के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी वस्तुओं नहीं रखता;
- (iii) बिना पंजीकरण हेतु आवेदन इस अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकार की वस्तुओं की आपूर्ति करता है जिस पर कर का दायित्व है;
- (iv) कर भुगतान से बचने के इरादे से सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन।

प्र 10. एक अधिकारी द्वारा वैध तलाशी के दौरान किन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है?

उत्तर: एक तलाशी करने वाले अधिकारी के पास तलाशी किये जाने वाले परिसर से वस्तुओं (जो जब्ती के लिए उत्तरदायी हैं) और दस्तावेजों, खाता बहियों या अन्य सामान (एम.जी.एल. के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के लिए प्रासंगिक) की तलाशी और जब्ती करने की शक्तियां होती हैं। तलाशी के दौरान, जिस परिसर पर एक अधिकारी को तलाशी के लिये प्राधिकृत किया गया है यदि उसे प्रवेश करने से इन्कार किया जाता है तब उस अधिकारी के पास परिसर के प्रवेश द्वार को तोड़ने की शक्ति भी प्राप्त है। इसी प्रकार, परिसर के भीतर तलाशी करते समय, वह किसी भी अलमारी या डिब्बे को तोड़ सकता है यदि उसे कथित अलमारी या बॉक्स की जांच करने से इन्कार किया जाता है और उसे उसमें किसी प्रकार की वस्तुओं, खातों, रजिस्टर या दस्तावेज के छिपा होने का संदेह है। वह परिसर को सीलबंद भी कर सकता है यदि उसे प्रवेश करने से इन्कार किया जाता है।

प्र 11. तलाशी के संचालन के लिए क्या प्रक्रिया है?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 60(8) निर्धारित करती है कि तलाशी दंड

प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुरूप क्रियान्वित की जानी चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 तलाशी के लिए प्रक्रिया का वर्णन करती है।

प्र 12. तलाशी अभियान के दौरान किन बुनियादी आवश्यकताओं का अवलोकन किया जाता है?

उत्तर: तलाशी के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए:

- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध सर्च वारंट के बिना परिसर की तलाशी नहीं ली जानी चाहिए।
- निरपवाद रूप से किसी आवास में तलाशी दल के साथ हमेशा एक महिला अधिकारी शामिल रहनी चाहिए।
- तलाशी शुरू करने से पहले अधिकारियों को परिसर के प्रमुख व्यक्ति को अपना पहचान पत्र दिखा कर अपनी पहचान का खुलासा करना चाहिए।
- सर्च वारंट तलाशी शुरू करने से पहले परिसर के प्रमुख व्यक्ति को दिखाकर निष्पादित किया जाना चाहिए और उसके हस्ताक्षर सर्च वारंट पर ले लेने चाहिए जो प्रमाण होगा कि उक्त व्यक्ति ने सर्च वारंट देखा है। कम से कम दो गवाहों के हस्ताक्षर भी सर्च वारंट पर लिये जाने चाहिए।
- तलाशी इलाके के कम से कम दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में की जानी चाहिए। यदि ऐसे कोई निवासी उपलब्ध/इच्छुक नहीं है, तब पास के किसी अन्य इलाके के निवासियों को तलाशी की गवाही के लिये निवेदन किया जाना चाहिए। गवाहों को तलाशी के उद्देश्य के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए।
- तलाशी की कार्यवाही शुरू करने से पहले, तलाशी

आयोजित करने वाले अधिकारियों की टीम को गवाहों सहित परिसर के प्रमुख व्यक्ति को उनकी स्वयं की व्यक्तिगत तलाशी करने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। इसी तरह, तलाशी पूर्ण हो जाने के बाद सभी अधिकारियों और गवाहों को एक बार फिर उनकी स्वयं की व्यक्तिगत तलाशी करने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।

- तलाशी की कार्यवाही का पंचनामा/महाजर तलाशी स्थल पर तैयार करना अति आवश्यक है। सभी बरामद/जब्त की गई वस्तुओं, दस्तावेजों की सूची तैयार कर पंचनामा/महाजर के साथ संलग्न की जानी चाहिए। पंचनामा/महाजर और सभी बरामद/जब्त की गई वस्तुओं, दस्तावेजों की सूची पर गवाहों, परिसर प्रमुख/परिसर के स्वामी जिसके समक्ष तलाशी का संचालन किया गया है और प्रभारी अधिकारी जिसे तलाशी के लिये प्राधिकृत किया गया है निरपवाद रूप से उन सबके हस्ताक्षर लेने चाहिए।
- तलाशी की समाप्ति के बाद, निष्पादित सर्च वारंट को उसके मूल रूप में उसके जारीकर्ता को तलाशी के संबंध में नतीजे तलाशी के नतीजे के रिपोर्ट सहित वापस लौटा देना चाहिए। जिन अधिकारियों ने तलाशी में भाग लिया है उनके नाम भी तलाशी वारंट के पीछे लिखे जा सकते हैं।
- सर्च वारंट जारीकर्ता अधिकारी को जारी किए गए तथा वापस लौटाए गए सर्च वारंट के रिकार्ड का रजिस्टर बनाना चाहिए तथा प्रयोग किए गए सर्च वारंट को रिकार्ड ने रखना चाहिए।
- अपने संलग्नक के साथ पंचनामा/महाजर की एक प्रति उस परिसर प्रमुख/परिसर के स्वामी जहां पर तलाशी

ली गई थी उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करने के साथ सौंप देनी चाहिये।

प्र 13. क्या एक सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिकारी किसी भी अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत व्यापारिक परिसर में प्रवेश कर सकता है?

उत्तर: हाँ। एम.जी.एल. की धारा 64 के अनुसार प्रवेश किया जा सकता है। कानून का यह प्रावधान सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत नामित सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. या एवं सीएसीजी या एक लागत लेखाकार या चार्टर्ड एकाउंटेंट की एक लेखा-परीक्षण की पार्टी को अनुमति के लिये बनाया गया है, लेखा-परीक्षण, जांच, सत्यापन और निरीक्षण के प्रयोजनों के लिये सर्च वारंट जारी किये बिना भी किसी व्यावसायिक परिसर में प्रवेश किया जा सकता है जैसा राजस्व के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हो। हालांकि, उसके लिये सी.जी.एस.टी. या एस.जी.एस.टी. के अपर/संयुक्त आयुक्त के रैंक के अधिकारी द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृति जारी की जानी चाहिए। यह प्रावधान उस व्यवसायिक परिसर में प्रवेश की सुविधा प्रदान करता है जिसे कराधीन व्यक्ति द्वारा उसके प्रमुख या अतिरिक्त व्यापारिक स्थल के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया, लेकिन वहां पर उसके खाता बहियां, दस्तावेज, कंप्यूटर आदि रखे हैं जो लेखा-परीक्षण या कराधीन व्यक्ति के खातों के सत्यापन के लिए आवश्यक हैं।

प्र 14. कब तलाशी अवैध कही जाती है? क्या एक अवैध तलाशी में एकत्र किये साक्ष्य मुकदमे की कार्यवाही में स्वीकार्य हैं?

उत्तर: बिना एक वैध सर्च वारंट के की गई तलाशी (यानी एक सक्षम प्राधिकारी को छोड़कर किसी अन्य से जारी या सर्च वारंट के बिना) का परिणाम, बिना कानून के अधिकार की अवैध तलाशी है। हालांकि, इस कारण से, आरोपी को लाभ नहीं मिल सकता। तदनुसार, एक

अवैध तलाशी के दौरान एकत्रित साक्ष्य और जब्ती को सुनवाई और न्यायिक निर्णय की कार्यवाही में स्वीकार्य माना जाता है।

प्र 15. शब्द “जब्ती” का क्या मतलब है?

उत्तर: मॉडल जी.एस.टी. कानून में शब्द “जब्ती” को विशेषरूप से परिभाषित नहीं किया गया है। लॉ लैक्सिकॉन शब्दकोष में, “जब्ती” को कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एक अधिकारी द्वारा संपत्ति का कब्जा लेने की कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया गया है। आम तौर पर इसका आशय संपत्ति के मालिक की इच्छा के विरुद्ध जबरन कब्जा प्राप्त करना या जिसके कब्जे में संपत्ति है एवं जो वह उसे बांटना / उससे अलग होना नहीं चाहता था।

प्र 16. क्या एम.जी.एल. के पास वस्तुओं और वाहनों को नजरबंद (Detention) रखने की भी शक्ति है?

उत्तर: हाँ, एम.जी.एल. की धारा 69 के अंतर्गत एक अधिकारी के पास मालवाहक वाहन (एक ट्रक या अन्य प्रकार का वाहन) के साथ-साथ वस्तुओं को हिरासत में लेने की शक्ति है। ऐसा उस तरह की वस्तुओं के साथ किया जा सकता है जिन्हें एम.जी.एल. के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मार्ग में ले जाया जा रहा हो या जमा किया गया हो। ऐसी वस्तुएं जिन्हें भण्डारित किया गया हो या स्टोर में जमा किया गया हो परन्तु उनका कोई हिसाब नहीं रखा गया हो उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। इस तरह के सामान और वाहन को उनपर लागू कर के भुगतान के बाद या समतुल्य राशि की सुरक्षा राशि प्रस्तुत करने पर छोड़ा जा सकता है।

प्र 17. कानून में “जब्ती” (Seizure) और “हिरासत” (Detention) के बीच क्या भेद है ?

उत्तर: संपत्ति के मालिक या जिस व्यक्ति के कब्जे में संपत्ति है उस व्यक्ति को समय के किसी विशेष क्षण पर कानूनी आदेश / नोटिस

द्वारा संपत्ति में प्रवेश करने से इन्कार करने को हिरासत कहा जाता है। जब्ती विभाग द्वारा वस्तुओं पर वास्तविक कब्जा लेना है। जब्ती का आदेश तब जारी किया जाता है जब यह संदेह होता है कि वस्तुएं जब्ती के लिए उत्तरदायी हैं। हिरासत तब की जाती है जब पूछताछ/जांच करने के बाद पूरा विश्वास हो जाता है कि वस्तुएं जब्ती के लिए उत्तरदायी हैं।

प्र 18. एम.जी.एल. में तलाशी (Search) या जब्ती (Seizure) के संबंध में प्रदान किये गये सुरक्षा उपाय क्या हैं?

उत्तर: मॉडल सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. कानून की धारा 60 में तलाशी या जब्ती की शक्ति के संबंध में कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान किये गए हैं। ये निम्न प्रकार से हैं:

- i. जब्त की गई वस्तुएं या दस्तावेज उनके निरीक्षण के लिए आवश्यक अवधि के बाद नहीं रखे जाने चाहिए;
- ii. जिस व्यक्ति की अभिरक्षा में से दस्तावेज जब्त किये गये हैं वह दस्तावेजों की फोटोकॉपी ले सकता है;
- iii. जब्त की गई वस्तुओं के लिये, यदि जब्त करने के साठ दिनों के भीतर नोटिस जारी नहीं किया जाता, तब उस व्यक्ति को वह वस्तुएं वापस लौटा दी जाएंगी जिसके कब्जे से वे जब्त की गई थी। साठ दिनों की यह अवधि छह महीने की अधिकतम अवधि तक न्यायोचित आधार पर बढ़ाई जा सकती है;
- iv. जब्त करने वाले अधिकारी द्वारा सामान/वस्तुओं की सूची बनाई जाएगी;
- v. मॉडल जी.एस.टी. नियमों के अंतर्गत कुछ वस्तुओं की श्रेणियां निर्दिष्ट (जैसे जल्दी खराब होने वाली, खतरनाक आदि) की गई है जिनका जब्ती के तुरंत बाद निपटारा किया जा सकता है;

vi. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और जब्त करने से संबंधित प्रावधान लागू होंगे। हालांकि, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 की उपधारा (5) के संबंध में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है – बजाय तलाशी से संबंधित किसी रिकार्ड की प्रतिलिपि अपने निकटतम मजिस्ट्रेट, जिसे अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार है, के पास भेजने के उन्हें सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. के प्रमुख आयुक्त/आयुक्त आयुक्त को भेजा जाना है।

प्र 19. क्या कराधीन वस्तुओं के परिवहन के दौरान कोई विशेष दस्तावेज़ रखना अनिवार्य है?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 61 के अंतर्गत, एक परिवहन वाहन के प्रमुख को यदि वह ऐसा माल ले जा रहा है जिसका मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है तब उसे एक निर्धारित दस्तावेज़ रखना आवश्यक हो सकता है।

प्र 20. शब्द “गिरफ्तार” (Arrest) का क्या मतलब है?

उत्तर: शब्द “गिरफ्तार” को मॉडल जी.एस.टी. कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, न्यायिक घोषणाओं के अनुसार, यह अर्थ है “किसी व्यक्ति को कानूनी आदेश या अधिकार के अंतर्गत अपने अधिकार में लेना”। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया कहा जाता है जब उसे ले लिया जाता है और कानूनन वैध वारंट की शक्ति या रंग से उसकी स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जाता है।

प्र 21. एम.जी.एल. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी किसी व्यक्ति की “गिरफ्तारी” को कब प्राधिकृत कर सकता है?

उत्तर: सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. के आयुक्त, एस.जी.एस.टी. आयुक्त को एक की गिरफ्तार करने के लिये अधिकृत कर सकता

है, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि व्यक्ति ने अपराध किया है जिसकी सजा सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 73(1)(i), 7373(1)(ii) और 73(2) के अंतर्गत निर्धारित की गई है। मूलतः इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति को केवल तब गिरफ्तार किया जा सकता है यदि उसके द्वारा की गई कर की चोरी पचास लाख रुपए से अधिक है या जहां एक व्यक्ति को पहले मॉडल सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है।

प्र 22. एक व्यक्ति जिसे गिरफ्तारी में रखा गया है उसके लिये एम.जी.एल. के अंतर्गत प्रदान किये सुरक्षा उपाय क्या हैं?

उत्तर: धारा 62 के अंतर्गत एक गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान किये गये हैं: वे हैं:

- i. यदि एक व्यक्ति को एक संज्ञेय अपराध के लिए गिरफ्तार किया है, उसे गिरफ्तार करने के आधार के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है;
- ii. यदि एक व्यक्ति को एक गैर-संज्ञेय और जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया है, तब सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. के उप/सहायक आयुक्त उसे जमानत पर रिहा कर सकते हैं और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 के अंतर्गत वह पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में उन सभी प्रावधानों के अधीन होगा;
- iii. सभी गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए;

प्र 23. गिरफ्तारी के दौरान कौन सी सावधानियों बरती जानी चाहिए?

उत्तर: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में गिरफ्तार करने और उसकी प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। इसलिए सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. के सभी क्षेत्र अधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के साथ अच्छी तरह परिचित होना आवश्यक है।

सीआरपीसी, 1973 की धारा 57 के एक प्रावधान पर ध्यान आकर्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रदान करता है कि एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने पर हिरासत में लंबी अवधि तक नहीं रखा जा सकता, मामले की परिस्थिति के अंतर्गत, यह उचित है लेकिन वह 24 घंटों (गिरफ्तारी की जगह से यात्रा के समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट की अदालत तक) से अधिक नहीं होगा। इस अवधि के भीतर, जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 56 के अंतर्गत प्रदान किया गया है, गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ्तार किये व्यक्ति को मामलों में क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

डी. के. बसु बनाम प. बंगाल सरकार के मामले का एक ऐतिहासिक फैसला 1997(1) एस.सी.सी. 416 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किये हैं जिनका गिरफ्तारी करते समय पालन करना आवश्यक है। जबकि इसका संबंध पुलिस से है, इसका अनुसरण उन सभी विभागों द्वारा करना आवश्यक है जिन्हें गिरफ्तारी की शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये निम्न प्रकार हैं:

- i. वे पुलिसकर्मी जो गिरफ्तारी और गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ करते हैं उन्हें सटीक, दृश्य और स्पष्ट पहचान और उनके पदनाम के साथ नाम के बिल्ले लगाने चाहिए। इस तरह के सभी पुलिस कर्मियों को जो गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ करते हैं उन्हें इन सबके विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करने चाहिए।

- ii. पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तारी करते हैं वह गिरफ्तारी के समय एक गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार करेंगे और ऐसे ज्ञापन को कम से कम एक गवाह द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा, जो या तो परिवार का एक सदस्य या इलाके का एक सम्मानित व्यक्ति हो सकता है जहां पर गिरफ्तारी की गई है। इसे गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा और उसमें गिरफ्तारी का समय और तिथि शामिल होनी चाहिए।
- iii. एक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में रखा गया है और एक पुलिस स्टेशन या पूछताछ केंद्र या अन्य लॉक अप में निगरानी में रखा गया है, उसे जितनी शीघ्र व्यावहारिक है उसके एक दोस्त या रिश्तेदार या अन्य परिचित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को सूचित करना चाहिए जिसे उसके कल्याण में रुचि है, कि उसे गिरफ्तार किया गया है और अब किसी विशेष स्थान पर हिरासत में रखा गया है, सिवाय उस स्थिति को छोड़कर जिसमें गिरफ्तारी के ज्ञापन का सत्यापन गवाह स्वयं ऐसा एक दोस्त या गिरफ्तार व्यक्ति का कोई रिश्तेदार है।
- iv. गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार करने का समय, स्थान और हिरासत में रखे जाने वाला स्थल पुलिस द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए और जहां गिरफ्तार व्यक्ति का अगला दोस्त या रिश्तेदार जिले या शहर से बाहर रहता है वहां पर जिले के विधिक स्थानीय सहायता संगठन के माध्यम से क्षेत्र के संबंधित पुलिस स्टेशन पर तार के माध्यम से गिरफ्तारी के बाद 8 से 12 घंटे की अवधि के भीतर करना चाहिए।
- v. व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में हिरासत स्थल की

प्रविष्टि एक डायरी में दर्ज की जानी चाहिए जिसमें उसके अगले करीबी दोस्त का नाम लिखा जाना चाहिए जिसे गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया है और उन पुलिस अधिकारियों के ब्यौरे दर्ज करने चाहिए जिनके अधिकार में उस गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया है।

- vi. गिरफ्तार व्यक्ति को, उसके निवेदन पर, गिरफ्तारी के समय उसकी छोटी-बड़ी चोटों के लिये जांच की जानी चाहिये और यदि उसके शरीर में कोई पाई जाती है, उसे उसी समय दर्ज कर देना चाहिए। 'निरीक्षण ज्ञापन' गिरफ्तार व्यक्ति और गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और उसकी एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को प्रदान की जानी चाहिए।
- vii. हिरासत के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति की स्वास्थ्य जांच हर 48 घंटे बाद प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा की जानी चाहिए जिसकी नियुक्ति निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा द्वारा नियुक्त अनुमोदित डॉक्टरों के पैनल में से की गई है, साथ ही निदेशक, स्वास्थ्य सेवा को सभी तहसीलों और जिलों के लिए एक पैनल बनाना चाहिए।
- viii. गिरफ्तारी ज्ञापन सहित ऊपर उल्लिखित सभी दस्तावेजों की प्रतियां मैजिस्ट्रेट को उनके रिकार्ड के लिये भेज दी जानी चाहिए।
- ix. पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को उसके वकील से मिलने की अनुमति दी जा सकती है, यद्यपि पूछताछ के सारे समय नहीं।
- x. सभी जिलों और राज्य मुख्यालयों में एक पुलिस कंट्रोल

रूम प्रदान करना चाहिए जिसमें गिरफ्तारी से संबंधित और गिरफ्तार व्यक्ति की हिरासत के स्थल की सूचना गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी द्वारा, गिरफ्तारी करने के 12 घंटे के भीतर, संचारित की जाएगी और पुलिस नियंत्रण कक्ष पर इसे एक विशिष्ट नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

प्र 24. सी.बी.ई.सी. में गिरफ्तारी के लिए किन व्यापक दिशा निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए?

उत्तर: गिरफ्तार करने के निर्णय में अलग अलग मामलों में विभिन्न कारकों पर विचार करके लिए जाते हैं, जैसे, अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता, कितने परिमाण में शुल्क की चोरी की गई है या अनुचित तरीके से क्रेडिट का गलत लाभ उठाया, साक्ष्य की प्रकृति और गुणवत्ता, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना के साथ या गवाहों को प्रभावित करना, जांच के साथ सहयोग करना, आदि। गिरफ्तारी के लिए शक्ति का निष्पादन सावधानी के साथ मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद निष्पादित करना चाहिए जिनमें निम्न शामिल हो सकते हैं:

- i. अपराध की उचित जांच सुनिश्चित करना;
- ii. ऐसे व्यक्ति को फरार होने से रोकने के लिए;
- iii. वस्तुओं की संगठित तस्करी से जुड़े मामलों या छिपाने के माध्यम से सीमा शुल्क की चोरी;
- iv. बेनामी आयात/छद्मी एवं गैर-विद्यमान व्यक्तियों के नाम से किए जा रहे निर्यात/आई.ई.सी., इत्यादि करने वाले अति चतुर या प्रमुख संचालक;
- v. जहां शुल्क से बचने का इरादा स्पष्ट है और अपराधी मन के तत्व/दोषी मन साफ नजर आता है;
- vi. साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना की रोकथाम;

vii. गवाहों को डराना या प्रभावित करना; तथा

viii. बड़ी मात्रा में शुल्क या सेवा कर की चोरी जिसकी कीमत कम से कम एक करोड़ रुपए से अधिक है।

प्र 25. एक संज्ञेय अपराध क्या है?

उत्तर: आमतौर पर, संज्ञेय अपराध का मतलब एक गंभीर वर्ग का अपराध है जिसके संबंध में एक पुलिस अधिकारी के पास बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है और अदालत की अनुमति के साथ या बिना अनुमति लिए जांच शुरू करने का अधिकार है।

प्र 26. एक-गैर संज्ञेय अपराध क्या है?

उत्तर: गैर-संज्ञेय अपराध अपेक्षाकृत कम गंभीर अपराध है जिसके संबंध में एक पुलिस अधिकारी के पास बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है और बिना अदालत के आदेश के जांच शुरू नहीं की जा सकती।

प्र 27. एम.जी.एल. के अंतर्गत संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराध क्या हैं?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 73 (4)में, यह प्रदान किया जाता है कि जहां कराधीन वस्तुओं और/या सेवाओं से संबंधित अपराधों में कर चोरी 2.5 करोड़ रुपये से अधिक हो जाती है, वह संज्ञेय और गैर-जमानती हो जाएंगे। अधिनियम के अंतर्गत अन्य अपराध के गैर-संज्ञेय और जमानती हैं।

प्र 28. एम.जी.एल. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी कब सम्मन जारी कर सकते हैं?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 63 विधिवत सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. के अधिकृत अधिकारी को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे सम्मन जारी कर एक व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिये बुलाएं जिससे वह व्यक्ति सम्मन जारी करने वाले व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत

रहकर या तो साक्ष्य प्रस्तुत करे या दस्तावेज़ पेश करे या पूछताछ में कोई भी अन्य तथ्य रखे जो अधिकारी जानना चाहता है। दस्तावेज़ों या अन्य तत्वों को प्रस्तुत करने के लिए दिया सम्मन कुछ निर्दिष्ट दस्तावेज़ों या सामान प्रस्तुत करने के लिए है या सभी दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने या कुछ निश्चित विवरण के सामान जो सम्मन जारी किए गए व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में हो सकते हैं।

प्र 29. जिस व्यक्ति को सम्मन भेजा गया है उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं?

उत्तर: जिस व्यक्ति को सम्मन भेजा गया है वह या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहने के लिये कानूनी तौर पर बाध्य है और कथित सम्मन जारी करने वाले अधिकारी के समक्ष सत्य प्रकट करने के लिये बाध्य है जिसने किसी विषय पर उसे सम्मन जारी किया है जो निरीक्षण का मामला है और उसे वे सब दस्तावेज़ और अन्य संबंधित सामग्री प्रस्तुत करनी होगी जिसकी आवश्यकता हो सकती है।

प्र 30. सम्मन प्राप्त करने के बाद गैर-उपस्थिति के क्या परिणाम हो सकते हैं?

जिस अधिकारी ने सम्मन जारी किया है उस अधिकारी के समक्ष कार्यवाही एक न्यायिक कार्यवाही के समान मानी जाएगी। यदि एक व्यक्ति बिना उचित औचित्य के सम्मन पर दी गई तारीख पर उपस्थित नहीं होता, उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 174 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि वह सम्मन प्राप्त करने से बचने के लिए फरार हो जाता है, तब उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 172 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है और इस मामले में यदि वह दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख/रिकार्ड नहीं प्रकट करता, उसपर भारतीय दंड संहिता की धारा 175 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि किसी

मामले में वह झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तब उसपर भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अगर एक व्यक्ति सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिकारी के समक्ष पेश नहीं होता जिन्होंने उसे सम्मन जारी किया है, तब एम.जी.एल. की धारा 66(3)(डी) के अंतर्गत पच्चीस हजार रूपए तक के दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

प्र 31. सम्मन जारी करने के लिए क्या दिशा निर्देश हैं?

उत्तर: वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) ने समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं कि सम्मन प्रावधानों का क्षेत्र/फील्ड में दुरुपयोग नहीं किया जाए। इन दिशानिर्देशों के कुछ महत्वपूर्ण मुख्य तथ्य यहां दिये जा रहे हैं:

- i. सम्मन अंतिम उपाय के रूप में जारी किए जाएं जहां निर्धारित सहयोग नहीं कर रहे हैं और इस खंड का शीर्ष प्रबंधन के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए;
- ii. सम्मन की भाषा कठोर और कानूनी नहीं होनी चाहिये जो अनावश्यक मानसिक तनाव और प्राप्तकर्ता के लिये शर्मिंदगी का कारण बन जाए;
- iii. अधीक्षकों द्वारा सम्मन सहायक आयुक्त और उसके उपर की रैंक के अधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त कर जारी किया जाना चाहिए और सम्मन में जारी करने का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए;
- iv. जहां परिचालन कारणों से, कथित अधिकारियों से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में मौखिक/टेलीफोन पर अनुमति लेकर उसे लिखित रूप में दर्ज करने के बाद कथित अधिकारी को यथाशीघ्र संभव समय पर तदनुसार सूचित कर दें;

- v. सभी मामलों में, जहां सम्मन जारी किए जाते हैं, सम्मन जारी करने वाले अधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए या मामले की फाइल में कार्यवाही का संक्षिप्त रिकॉर्ड, जिस अधिकारी ने सम्मन जारी करने की प्राधिकृति दी थी, उसे प्रस्तुत कर देनी चाहिए;
- vi. बड़ी कंपनियों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ प्रबंधन के अधिकारियों जैसे सीईओ, सीएफओ, महाप्रबंधकों को आमतौर पर पहली बार सम्मन जारी नहीं किया जाना चाहिए उन्हें तभी सम्मन जारी करने चाहिए जब जांच-प्रक्रिया में संकेत मिलता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी है जिसके कारण राजस्व की हानि हुई है।

प्र 32. सम्मन जारी करने के समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?

उत्तर: आम तौर एक व्यक्ति को सम्मन देने से पहले निम्नलिखित सावधानियां अपनाई जानी चाहिए: –

- i. सम्मन उपस्थिति के लिये जारी नहीं किया जाना चाहिए जहां यह उचित नहीं है। सम्मन की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब किसी जांच की कार्यवाही की जा रही है और उसमें व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है।
- ii. आम तौर पर, सम्मन बारंबार जारी नहीं किये जाने चाहिए। जहाँ तक व्यावहारिक हो, आरोपी या गवाह का बयान कम से कम उपस्थितियों में दर्ज किया जाना चाहिए।
- iii. सम्मन में दिए गए उपस्थिति के समय का सम्मान करें। किसी भी व्यक्ति को उसके बयान दर्ज करने से पहले

ज्यादा देर तक प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए सिवाय उस परिस्थिति को छोड़कर जब एक रणनीति के मामले के तहत जानबूझकर ऐसा करने का निर्णय लिया गया है।

- iv. प्राथमिकता के साथ, बयान कार्यालय समय के दौरान दर्ज किये जाने चाहिए हालांकि मामलों के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बयान दर्ज करने के स्थान और समय के मामले में अपवाद किया जा सकता है।

प्र 33. क्या अधिकारियों का कोई ऐसा वर्ग है जो सी.जी.एस.टी. /एस.जी.एस.टी. अधिकारियों की सहायता के लिए आवश्यक हैं?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 65 के अंतर्गत, निम्न अधिकारियों सशक्त किया गया है और एम.जी.एल. निष्पादन के लिये इन्हें सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिकारियों की सहायता करना आवश्यक हैं। एम.जी.एल. में निर्दिष्ट की गई श्रेणियां निम्न प्रकार से हैं:

- i. पुलिस;
- ii. सीमा शुल्क;
- iii. जी.एस.टी. कर संग्रह में संलग्न राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारी
- iv. भू-राजस्व के संग्रह में संलग्न राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारी
- v. सभी गांव के अधिकारी
- vi. अन्य कोई भी श्रेणी के अधिकारी जिन्हें केंद्र/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

अपराध और दंड अभियोजन और संयुक्तिकरण

20. अपराध और दंड, अभियोजन और संयुक्तिकरण

प्र 1. एम.जी.एल. के अंतर्गत निर्धारित अपराध क्या हैं?

उत्तर: मॉडल जी.एस.टी. कानून अध्याय XVI अपराध और दंड को संहिताबद्ध करता है। अधिनियम की धारा 66 में 21 अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है, धारा 8 के अंतर्गत निर्धारित दंड के अतिरिक्त कराधीन व्यक्ति द्वारा आपसी निपटारा प्राप्त करने के लिए जो इसका हकदार नहीं है। कथित अपराध इस प्रकार हैं:-

- 1) चालान/बिल के बिना आपूर्ति करना या झूठे/गलत बिल/चालान के साथ आपूर्ति करना;
- 2) बगैर आपूर्ति किए चालान/बिल जारी करना;
- 3) एकत्रित किया गया कर तीन महीने से भी अधिक अवधि से जमा नहीं करना;
- 4) एकत्रित किया गया कर एम.जी.एल. के उल्लंघन में तीन महीने से भी अधिक अवधि से जमा नहीं करना;
- 5) गैर-कटौती या स्रोत पर कर की कम कटौती करना या धारा 37 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती (TDS) की रकम जमा नहीं करना;
- 6) गैर-संग्रह या कम-संग्रह या धारा 43सी के अंतर्गत स्रोत पर एकत्रित कर का भुगतान नहीं करना;
- 7) वस्तुओं और/या सेवाओं की वास्तविक प्राप्ति के बिना इनपुट कर क्रेडिट का लाभ प्राप्त/उपयोग करना;
- 8) धोखे से कोई प्रतिदाय/रिफंड प्राप्त करना;
- 9) धारा 17 के उल्लंघन में इनपुट सेवा वितरक से इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाना/उपयोग करना;
- 10) झूठी जानकारी या झूठे वित्तीय अभिलेख बनाकर प्रस्तुत करना या

- कर के भुगतान से बचने के लिए फर्जी खाते/दस्तावेज प्रस्तुत करना;
- 11) कर के लिए उत्तरदायी होने के बावजूद पंजीकरण कराने में विफलता;
 - 12) पंजीकरण के लिए अनिवार्य क्षेत्रों के बारे में झूठी जानकारी प्रस्तुत करना;
 - 13) किसी अधिकारी को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने में रूकावट डालना या रोकना;
 - 14) निर्धारित दस्तावेजों के बगैर माल परिवहन करना;
 - 15) कारोबार के आंकड़े दबाना जिससे कर की चोरी की जा सके;
 - 16) अधिनियम में निर्दिष्ट की गई विधि अनुसार खातों/दस्तावेज बनाए रखने में विफलता या अधिनियम में निर्दिष्ट अवधि के लिये खातों/दस्तावेज बनाए रखने के लिए विफल रहना;
 - 17) अधिनियम/नियम के अनुसार एक अधिकारी द्वारा जानकारी/दस्तावेज की मांग पर विफल रहना या किसी भी कार्यवाही के दौरान झूठी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करना;
 - 18) किसी भी जब्ती के लिए उत्तरदायी माल की आपूर्ति/परिवहन/भंडारण;
 - 19) किसी अन्य व्यक्ति के जी.एस.टी.आई.एन. का उपयोग कर चालान/बिल या दस्तावेज जारी करना;
 - 20) किसी भी सामग्री से छेड़छाड़/साक्ष्य नष्ट करना;
 - 21) हिरासत/जब्त/अधिनियम के अंतर्गत संलग्न माल का निपटान/छेड़छाड़ करना;

प्र 2. शब्द दंड का क्या अर्थ है?

उत्तर: शब्द "दंड" को एम.जी.एल. में परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन न्यायिक घोषणाओं और न्यायशास्त्र के सिद्धांतों (*Judicial*

pronouncements and principles of jurisprudence) में दंड की प्रकृति का निम्नांकित उल्लेख किया गया है:

- एक अस्थायी सजा या संविधि द्वारा लगाई गई पैसे की राशि, जिसे किसी निश्चित अपराध करने के लिए सजा के रूप में भुगतान किया जाता है;
- कानून द्वारा दंड लगाना या अनुबंध पर करना या कुछ करने में विफल होना जिसे करना पक्ष का कर्तव्य था।

प्र 3. दंड लगाते समय किस सामान्य अनुशासन का पालन किया गया है?

उत्तर: दंड लगाना एक निश्चित अनुशासनात्मक व्यवस्था के अधीन है जो न्यायशास्त्र, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (*Principles of natural Justice*) और अंतरराष्ट्रीय व्यापार और समझौतों के संचालन पर आधारित है। ऐसे सामान्य अनुशासन अधिनियम की धारा 68 में प्रतिष्ठापित किये गये हैं। तदनुसार—

- किसी भी मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किये बिना और उचित सुनवाई के कोई दंड नहीं लगाया जाएगा, यह व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाये आरोपों को गलत साबित करने के लिये अवसर प्रदान करता है,
- दंड मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर निर्भर करता है,
- दंड कानून के प्रावधानों या उसके नियमों के उल्लंघन में लगाए गये आरोप के परिमाण और गंभीरता के अनुरूप होना चाहिए,
- दंड लगाने के आदेश में उल्लंघन की प्रकृति स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जानी चाहिए,
- कानून के प्रावधान जिनके अंतर्गत दंड लगाया गया है उन्हें निर्दिष्ट किया जाना चाहिए

धारा 68 आगे यह स्पष्ट करती है कि, विशेषकर इन मामलों में कड़े दंड नहीं लगाए जाएं –

- कोई भी मामूली उल्लंघन (मामूली उल्लंघन को ऐसे मामले में प्रावधानों के उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया गया है जहां शामिल कर 5000 रुपये से कम है), या
- कानून की एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है, या
- दस्तावेज में आसानी से संशोधन योग्य गलती/चूक (रिकार्ड में त्रुटि के रूप में स्पष्ट समझाई गई है) जिसे बिना धोखाधड़ी के इरादे या घोर लापरवाही के किया गया है।

इसके अतिरिक्त, जहाँ कहीं भी एम.जी.एल. में दंड निश्चित राशि या निश्चित प्रतिशत पर प्रदान किया गया है, वही लागू होगा।

प्र 4. एम.जी.एल. में कितने परिमाण में दंड प्रदान किया जाता है?

उत्तर: धारा 66(1) में प्रावधान करती है कि कोई भी कराधीन व्यक्ति है जिसने धारा 66 में उल्लिखित कोई अपराध किया है उसे दंड लगाकर निम्नलिखित में सबसे अधिक राशि का भुगतान करना होगा:

- करवंचना की राशि, धोखे से रिफंड के रूप में प्राप्त राशि, ऋण के रूप में लाभ उठाया, या कटौती नहीं करना या एकत्र करना या कम कटौती करना या थोड़ा कम एकत्र करना, से संबंधित राशि या
- 10,000/- रुपए की राशि

इसके अतिरिक्त धारा 66(2) में प्रावधान है कि कोई भी पंजीकृत कराधीन व्यक्ति जो बार-बार कम कर का भुगतान करता है वह सजा के लिए उत्तरदायी है जो निम्न में सबसे अधिक होगी :

- कम भुगतान किए कर का 10 प्रतिशत या
- 10,000/- रुपये

प्र 5. दंड लगाने के प्रयोजन के लिए 'बार-बार कम भुगतान' करना क्या माना जाएगा?

उत्तर: धारा 66(2) स्पष्ट करती है कि किसी छह लगातार कर अवधि के दौरान तीन रिटर्न के संबंध में तीन बार कम भुगतान करना दंड लगाने के उद्देश्य के लिए बार-बार दोहराये गये कम भुगतान के रूप में विचार किया जाएगा।

प्र 6. क्या कराधीन व्यक्ति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के लिये कोई दंड निर्धारित किया गया है?

उत्तर: हाँ। धारा 66(3) किसी व्यक्ति पर 25,000/- रुपये तक का विस्तारित दंड लगाने का प्रावधान करती है जो –

- 21 में से किसी भी अपराध में सहयोग और सहायता करता है,
- किसी भी तरीके (चाहे प्राप्त, आपूर्ति, भंडारण या परिवहन के लिए) से ऐसे माल/वस्तुओं का लेनदेन करता है जो जब्ती के लिए उत्तरदायी हैं,
- अधिनियम का उल्लंघनकरते हुए सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करता है या लेनदेन करता है,
- अधिकारी द्वारा सम्मन भेजे जाने पर पेश नहीं होता,
- किसी आपूर्ति के लिये चालान/बिल जारी करने या कानून के अंतर्गत अनिवार्य चालान/बिल के हिसाब जारी करने में विफल रहता है।

प्र 7. किसी उल्लंघन के लिए क्या दंड दिया जाता है जिसे एम.जी. एल. के अंतर्गत अलग से निर्धारित नहीं किया गया है?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 67 प्रदान करती है कि कोई भी व्यक्ति

जो इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गये नियम जिनके लिये अलग से कोई दंड निर्धारित नहीं किया गया है उसे दंडित किया जाएगा जिसका दंड 25,000 रुपये तक लगाया जा सकता है।

प्र. 8. वैध दस्तावेजों के बिना परिवहन की जाने वाली वस्तुओं या बिना उपयुक्त खातों के रिकार्ड के उसे हटाने का प्रयास करने पर उसके लिये क्या कार्यवाही की जा सकती है ?

उत्तर: यदि कोई व्यक्ति किसी माल की ढुलाई करता है या ऐसे माल की ढुलाई करते समय बिना दस्तावेज (यानी चालान/ बिल और घोषणा) के भंडारण करता है जो अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किये गये हैं या आपूर्ति या किसी माल/वस्तुओं का भंडारण करता है जिसे उसके द्वार रखे बहियों या खातों में दर्ज नहीं किया गया है, तब ऐसी वस्तुएं तथा वाहन जिसमें उन वस्तुओं को ले जाया जा रहा है, जब्ती के लिये उत्तरदायी होंगी। ऐसी वस्तुओं को लागू कर, ब्याज और दंड की राशि सहित और जुर्माने या कथित भुगतान के बराबर की सुरक्षा राशि देकर ही छोड़ा जा सकता है।

प्र. 9. ऐसे व्यक्ति के लिये क्या दंड निर्धारित किया गया है जो संरचना योजना (Composite Scheme) के विकल्प का चयन करता है बावजूद इसके कि वह कथित योजना का पात्र नहीं है?

उत्तर: धारा 8(3) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि एक व्यक्ति जिसने अपने कर दायित्व के लिये संरचना योजना के विकल्प का चयन किया है जब यह ज्ञात हो जाता है कि वह इसके लिये पात्र नहीं है तब कथित अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कथित व्यक्ति देय कर के बराबर की राशि के लिए दंड का उत्तरदायी होगा अर्थात् एक सामान्य कराधीन व्यक्ति के रूप में और यह कि यह दंड उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त होगा।

प्र 10. कुर्की से क्या मतलब है?

उत्तर: शब्द 'कुर्की' को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। इस अवधारणा को रोमन कानून से लिया गया है जिसमें जब्त करना या सम्राट के हाथों में लेना, और सम्राट की जेब (Fiscus) या खजाने में स्थानांतरित करना है। शब्द 'जब्त' को अय्यर के विधि शब्दकोश में परिभाषित किया गया है "दंड के माध्यम से सार्वजनिक राजकोष के लिये हथियाना (निजी संपत्ति); संपत्ति से वंचित कर राज्य के लिये जब्त करना"

प्र 11. एम.जी.एल. के अंतर्गत किन परिस्थितियों में वस्तुओं/माल को जब्त किया जा सकता है?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 70 के अंतर्गत, वस्तुएं/माल जब्ती के लिये उत्तरदायी होगा यदि कोई व्यक्ति:

- इस अधिनियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन के परिणाम में माल की आपूर्ति और उस कथित उल्लंघन के परिणामस्वरूप अधिनियम के अंतर्गत कर की चोरी करता है, या
- अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक तरीके से वस्तुओं/माल का सही खाते नहीं रखता है, या
- बिना पंजीकरण का आवेदन किये कर के लिये उत्तरदायी वस्तुओं की आपूर्ति करता है, या
- कर भुगतान से बचने के इरादे के साथ अधिनियम/नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है।

प्र 12. सक्षम अधिकारी द्वारा वस्तुओं/माल जब्त करने के मामले में वस्तुओं/माल का क्या होता होता है?

उत्तर: जब्त करने पर, जब्त वस्तुओं/माल पर सरकार का स्वामित्व हो जाता है और इस संबंध में सक्षम अधिकारी जिन पुलिस अधिकारियों

को अनुरोध करता है वह प्रत्येक पुलिस अधिकारी वस्तुओं/माल का कब्जा प्राप्त करने में उसकी सहायता करेंगे।

प्र 13. जब्त करने के बाद, क्या उस व्यक्ति को यह विकल्प देना आवश्यक है कि वह भुगतान कर कथित वस्तुओं/माल को छुड़ा (redeem) ले?

उत्तर: हाँ। धारा 70(6) के अनुसार, जब्त की गई वस्तुओं/माल के लिये उत्तरदायी स्वामी या प्रभारी को जब्ती के बदले जुर्माने (जब्त किये माल की बाजार कीमत से अधिक नहीं) का विकल्प दिया जाना चाहिए है। यह जुर्माना कर की राशि और अन्य शुल्कों के अतिरिक्त होगा जो इस तरह के माल के संबंध में देय होंगे।

प्र 14. क्या कोई वाहन जो वस्तुओं/माल को बिना निर्धारित दस्तावेजों के ले जाया जा रहा है जब्त किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ। धारा 71 प्रदान करती है कि कोई भी वाहन जो वस्तुओं/माल को बिना निर्धारित दस्तावेजों या अधिनियम के अंतर्गत घोषणा के ले जाया जा रहा हो जब्ती के लिए उत्तरदायी होगा। हालांकि, अगर वाहन का मालिक यह साबित कर देता है कि वस्तुएं/माल बिना आवश्यक दस्तावेजों/घोषणा के उसकी जानकारी के बिना या उसके एजेंट की अनदेखी के ले जाया जा रहा था, तो वाहन जब्त नहीं होगा जैसा कि उपर बताया गया है। यदि वाहन को यात्रियों या माल ढोने के लिये इस्तेमाल किया जाता है तब उस वाहन के मालिक को जब्ती के एवज में उक्त वस्तुओं/माल पर देय कर की राशि के बराबर जुर्माने का भुगतान करने का विकल्प दिया जा सकता है। धारा 72 प्रदान करती है कि जब्ती या अधिनियम की धारा 70 या 71 के अंतर्गत दिया गया दंड अधिनियम में प्रदान किये किसी अन्य दंड/कार्यवाही पर बिना आवश्यक दस्तावेज/घोषणा के बिना वस्तुओं/माल ले जाने के अपराध के लिए पूर्वाग्रह के बिना दिया जाएगा।

प्र 15. अभियोजन पक्ष क्या है?

उत्तर: अभियोजन कानूनी कार्यवाही का प्रारंभ या शुरुआत है; अपराधी के विरुद्ध औपचारिक आरोप निष्पादित करने की प्रक्रिया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 अभियोजन को किसी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही को प्रारम्भ या शुरुआत करने के रूप में परिभाषित करती है।

प्र 16. कौन से अपराध हैं जो एम.जी.एल. के अंतर्गत मुकदमा चलाने अधिकार/आदेश देते हैं?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 73 अधिनियम के अंतर्गत कुछ प्रमुख अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है जो आपराधिक कार्यवाही और अभियोगप्रारम्भ करने का आदेश देते हैं। नीचे 12 ऐसे प्रमुख अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है:

- 1) बिना चालान/बिल जारी किये आपूर्ति करना या झूठे/गलत चालान/बिल जारी करना;
- 2) बिना आपूर्ति किये चालान/बिल जारी करना;
- 3) 3 महीने से भी अधिक अवधि के लिये एकत्रित किये कर का भुगतान ना करना;
- 4) अधिनियम का उल्लंघन करते हुए 3 महीने से भी अधिक समय के लिये एकत्र किये गये किसी कर को जमा नहीं करना है;
- 5) बिना वस्तुओं/माल और/या सेवाओं की वास्तविक प्राप्ति किए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना या उपयोग करना;
- 6) किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से रिफंड प्राप्त करना,
- 7) झूठी जानकारी प्रस्तुत करना या वित्तीय अभिलेखों की जालसाजी करना या कर के भुगतान से बचने के लिए फर्जी खातों/दस्तावेज प्रस्तुत करना;

- 8) किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों का निष्पादन करने में अवरोध उत्पन्न करना या रोकना;
- 9) जब्ती के लिए उत्तरदायी वस्तुओं/माल से निपटना दूसरे शब्दों में, जब्ती के लिए उत्तरदायी वस्तुओं/माल की रसीद, आपूर्ति, भंडारण या ढुलाई करना;
- 10) अधिनियम के उल्लंघन करने वाली सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करना/निपटना;
- 11) अधिनियम/नियम द्वारा आवश्यक किसी जानकारी देने में विफलता या झूठी जानकारी देना;
- 12) ऊपर 11 अपराधों में से किसी एक को करने का प्रयास करना या सहयोग देना।

प्र 17. एम.जी.एल. के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर क्या दंड निर्धारित किया जाता है?

उत्तर: धारा 73(1) में दंड की योजना नीचे प्रदान की जाती है

अपराध में संलग्नता	दंड (कारावास का विस्तार—)
250 लाख रुपये से भी अधिक कर की चोरी	5 साल और जुर्माना
50 लाख और 250 लाख रुपये के बीच कर की चोरी	3 साल और जुर्माना
25 लाख और 50 लाख रुपये के बीच कर की चोरी	1 साल और जुर्माना

धारा 73(2) प्रदान करती है कि दूसरे या किसी बाद में होने वाले अपराध सिद्ध होने पर इस धारा में उस अवधि के लिये जुर्माना सहित कारावास से दंडनीय किया जाएगा जिसे 5 साल के लिये

विस्तारित किया जा सकता है। हालांकि, इनमें से किसी भी अपराध में कारावास की अवधि छह महीने से कम समय के लिए नहीं की जाएगी।

प्र 18. एम.जी.एल. के अंतर्गत संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराध क्या हैं?

उत्तर: एम.जी.एल. की धारा 73(3) और 73(4) के अनुसार

- सभी अपराध जिनमें कर की चोरी 250 लाख रुपये से कम है वह गैर-संज्ञेय और जमानती होंगे,
- सभी अपराधजिनमेंकरकी चोरी 250 लाख रुपये से अधिक है वह संज्ञेय और गैर जमानती होंगे।

प्र 19. क्या अभियोजन पक्ष की प्रारम्भ करने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है?

उत्तर: हाँ। किसी भी व्यक्ति पर किसी अपराध के लिए बिना नामित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

प्र 20. एम.जी.एल. के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए “mens-rea” या दोषी मानसिक स्थिति आवश्यक है?

उत्तर: हाँ। हालांकि, धारा 75 मानसिक अवस्था (अर्थात् दोषी मानसिक स्थिति या (mens-rea) के अस्तित्व को मानती है जो एक अपराध करने के लिए आवश्यक है, जिसे अगर मानसिक अवस्था ऐसी नहीं होती तो नहीं किया जा सकता था।

प्र 21. दोषी मानसिक स्थिति क्या है?

उत्तर: एक अपराध करते समय, एक “दोषी मानसिक स्थिति” मन की वह अवस्था है जिसमें –

- कृत्य जानबूझकर किया गया है;
- कृत्य और इसके असर समझ में आ रहेथे और नियंत्रित किये जा सकते थे;

- जिस व्यक्तिने यह कृत्य किया है उसे ऐसा करने के लिये मजबूर नहीं किया गया था और यहां तक कि कथित अपराध करने के लिए बाधाओं को भी पार किया था;
- व्यक्ति को विश्वास है या विश्वास करने का कारण है कि कृत्य कानून के प्रतिकूल है।

प्र 22. क्या एक कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है या एम.जी.एल. के अंतर्गत किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है?

उत्तर: हाँ। एम.जी.एल. की धारा 77 प्रदान करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने व्यापार के संचालन के लिए एक कंपनी का प्रभारी है या कंपनी के व्यवसाय संचालन के प्रति जिम्मेदार है, कंपनी सहित, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और उसे कंपनी द्वारा किये अपराध करने के लिये दंडित किया जाएगा क्योंकि कथित व्यक्ति कंपनी के मामलों का प्रभारी था। यदि कंपनी द्वारा कोई निम्न अपराध किया जाता है –

- आपसी सहमति/मिलीभगत से किया गया है, या
- लापरवाही के कारण है –

अगर यह कृत्य कंपनी के किसी अधिकारी द्वारा किया गया है तब कथित अधिकारी को कथित अपराध का दोषी मान लिया जाएगा और वह कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होगा और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

प्र 23. अपराधों के संयुक्तकरण (compounding of offences) का क्या मतलब है?

उत्तर: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 'संयुक्तकरण/compounding को किसी प्रतिफल या किसी निजी कारणवश अभियोग को रोकने के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्र 24. क्या एम.जी.एल. के अंतर्गत अपराधों का संयुक्तिकरण किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ। एम.जी.एल. की धारा 78 के अनुसार, किसी भी अपराध का, निम्नलिखित के अतिरिक्त, निर्धारित भुगतान की राशि पर संयुक्तिकरण किया जा सकता है और इस तरह के संयुक्तिकरण या तो अभियोजन शुरू करने से पहले या बाद में करने की अनुमति है:

- 12 प्रमुख अपराधों (ऊपर प्रश्न 16 में उल्लिखित हैं) में से क्रम 1 से 7, यदि एक व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है उसने इनमें कथित अपराधों में से किसी एक के संबंध में संयुक्तिकरण पहले कर लिया है;
- 12 प्रमुख अपराधों (ऊपर प्रश्न 16 में उल्लिखित हैं) में से क्रम 1 से 7 में सहायता/सहयोग करने, यदि एक व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है उसने इनमें कथित अपराधों में से किसी एक के संबंध में संयुक्तिकरण पहले कर लिया है;
- एस.जी.एस.टी. अधिनियम/आई.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध (ऊपर अपराधों के अतिरिक्त)1 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक राशि की आपूर्ति के संबंध में, यदि अपराध का दोषी व्यक्ति ने पहले ही कथित अपराधों के संबंध में संयुक्तिकरण कर लिया है;
- कोई अपराध जो एन.डी.पी.एस.ए. या एफ.ई.एम.ए. या सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी.के अतिरिक्त भी किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत अपराध है;
- किसी अन्य वर्ग का अपराध या व्यक्ति जिसे इस संबंध में निर्धारित किया जा सकता है।

संयुक्तिकरण के लिए अनुमति केवल कर, ब्याज और दंड का भुगतान करने के बाद दी जानी चाहिए और पहले से ही किसी भी कानून के अंतर्गत शुरू की गई किसी कार्यवाही को यह प्रभावित नहीं करेगा।

प्र 25. क्या अपराध के संयुक्तिकरण के लिये कोई मौद्रिक सीमा निर्धारित सीमा की गई है?

उत्तर: हाँ। संयुक्तिकरण की राशि की न्यूनतम सीमा निम्नलिखित राशियों से अधिकतम राशि होगी:—

- संलग्न कर का 50 प्रतिशत, या
- 10,000 /— रुपये

संयुक्तिकरण की राशि के लिए ऊपरी सीमा निम्न राशियों से एक अधिकतम राशि होगी:—

- संलग्न कर का 150 प्रतिशत, या
- 30,000 रुपये।

प्र 26. एम.जी.एल. अंतर्गत एक अपराध में संयुक्तिकरण का क्या असर है?

उत्तर: धारा 77 की उप-धारा (3) यह प्रदान करती है कि संयुक्तिकरण की राशि का भुगतान करने पर इस अधिनियम के अंतर्गत आगे कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जानी चाहिए और पहले से चल रही आपराधिक कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।

आई.जी.एस.टी. अधिनियम का अवलोकन

21. आई.जी.एस.टी. अधिनियम का अवलोकन

प्र 1. आई.जी.एस.टी. क्या है?

उत्तर: "एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर" (आई.जी.एस.टी.) का मतलब आई.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति पर करारोपण है।

प्र 2. अंतर-राज्यीय आपूर्ति क्या है?

उत्तर: अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति का मतलब किसी भी आपूर्ति से है जहां आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान अलग राज्यों में हैं। (आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 3(1) और 3(2))

प्र 3. जी.एस.टी. के अंतर्गत वस्तुओं और/या सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर कैसे कर लगाया जाएगा?

उत्तर: अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर केंद्र द्वारा आई.जी.एस.टी. कर लगाया और एकत्र किया जाएगा। मौटे तौर पर आई.जी.एस.टी. सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. को जोड़ कर प्राप्त किया जाता है और सभी अंतर-राज्यीय वस्तुओं और/या सेवाओं की कराधीन आपूर्ति पर लगाया जाएगा। अंतर-राज्यीय विक्रेता अपनी खरीद के मूल्य संवर्धन पर आई.जी.एस.टी., सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. के उपलब्ध क्रेडिट को समायोजित करने के बाद आई.जी.एस.टी. का भुगतान करेंगे। निर्यातक राज्य को केंद्र को आई.जी.एस.टी. के भुगतान में इस्तेमाल किया एस.जी.एस.टी. का क्रेडिट हस्तांतरित करना होगा। आयात करने वाला डीलर आई.जी.एस.टी. के क्रेडिट का दावा करते हुए अपने ही राज्य में अपने उत्पादन कर के दायित्व का निर्वहन करेंगे। केंद्र आयात करने वाले राज्य को एस.जी.एस.टी. के भुगतान में इस्तेमाल किया आई.जी.एस.टी. का क्रेडिट हस्तांतरित करेगा। केंद्रीय एजेंसी को प्रासंगिक जानकारी भी प्रस्तुत कर दी जाएगी जो एक

क्लियरिंग हाउस तंत्र के रूप में कार्य करेगी, दावों को सत्यापित कर और संबंधित सरकारों को कोष के हस्तांतरण की सूचना देंगी।

प्र 4 मसौदा आई.जी.एस.टी. कानून की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर: मसौदा आई.जी.एस.टी. कानून को 11 अध्यायों और 33 अनुभागों में विभाजित किया गया है। मसौदा, अन्य बातों के साथ, वस्तुओं की आपूर्ति के स्थान के निर्धारण के लिए नियम निर्दिष्ट करता है। जहां आपूर्ति में वस्तुओं की आवाजाही शामिल है, आपूर्ति का स्थान वह स्थल होगा जहां जिस समय वस्तुओं की आवाजाही प्राप्तकर्ता के स्थान पर डिलीवरी के बाद समाप्त हो जाती है। जहां आपूर्ति में वस्तुओं की आवाजाही शामिल नहीं होती, आपूर्ति का स्थान कथित वस्तुओं के लिये उस समय वह स्थल होगा जहां प्राप्तकर्ता को माल की डिलीवरी की गई है। वस्तुओं/माल को एसेम्बल या साइट पर स्थापित करने के मामलों में, आपूर्ति स्थल वह स्थान होगा जहां पर इन वस्तुओं/माल को एसेम्बल या स्थापित किया गया है। अंत में, जहां वस्तुओं/माल की आपूर्ति किसी वाहन पर की गई है, तब आपूर्ति का स्थान वह होगा जहां पर कथित वस्तुओं को वाहन पर डाला गया है।

प्र 5 आई.जी.एस.टी. मॉडल के क्या लाभ हैं?

उत्तर: आई.जी.एस.टी. मॉडल के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

- क. अंतर-राज्यीय लेन-देन पर अविरल आई.टी.सी. श्रृंखला के रखरखाव;
- ख. अंतर-राज्यीय विक्रेता या खरीदार के लिए अग्रिम कर का भुगतान या पर्याप्त धन जुटाना आवश्यक नहीं है;
- ग. निर्यात राज्यों में रिफंड का दावा नहीं किया जाएगा, क्योंकि कर का भुगतान करते समय आईटीसी का उपयोग किया जाता है;
- घ. स्वयं-निगरानी मॉडल;
- ड. कर प्रणाली को सरल रखते हुए कर निष्पक्षता सुनिश्चित करता है;

- च. सरल लेखा के साथ करदाता पर अनुपालन का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालता;
- छ. उच्च स्तर की अनुपालन सुविधाएं प्रदान करेगा और इस प्रकार उच्च राजस्व संग्रह क्षमता सुनिश्चित करता है। मॉडल 'व्यापार से व्यापार' (बी 2 बी) के साथ-साथ 'व्यापार से उपभोक्ता' (बी 2 सी) को नियंत्रित कर सकता है।

प्र 6. आई.जी.एस.टी. के अंतर्गत आयात/निर्यात करारोपण कैसे किया जाएगा?

उत्तर: जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) के करारोपण प्रयोजनों के लिये सभी आयात/निर्यात अंतर-राज्यीय आपूर्ति के रूप में माने जाएंगे। कर की घटनाएं गंतव्य सिद्धांत का अनुसरण करेंगी और कर राजस्व एस.जी.एस.टी. के मामले में उस राज्य को प्राप्त होंगे जहां आयातित माल और सेवाओं का उपभोग किया जा रहा है। वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर आई.जी.एस.टी. के भुगतान का पूरा का पूरा हिस्सा आईटीसी के रूप में उपलब्ध होगा। (आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 2(सी)।

प्र 7. आई.जी.एस.टी. अधिनियम कुछ परिभाषाओं के साथ बहुत संक्षिप्त है और इसके प्रमुख हिस्से निपटान आयुक्त को सहायता करते हैं। क्या सी.जी.एस.टी. या एस.जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधान आई.जी.एस.टी. अधिनियम पर लागू होंगे?

उत्तर: हाँ, आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 27 प्रदान करती है कि वहां पर विभिन्न प्रावधान जिन्हें उल्लेखित किया गया है आई.जी.एस.टी.अधिनियम अधिनियम के अंतर्गत लागू होंगे क्योंकि वे सी.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत करारोपण से संबंधित हैं।

प्र 8. आई.जी.एस.टी. का भुगतान कैसे किया जाएगा?

उत्तर: आई.जी.एस.टी. का भुगतान आईटीसी का उपयोग या नकद द्वारा किया जा सकता है। हालांकि, आई.टी.सी. का उपयोग आई.जी.एस.टी. के भुगतान के लिए निम्न पदानुक्रम में किया जाएगा, –

- सर्वप्रथम आई.जी.एस.टी. ही का उपलब्ध आई.टी.सी. का उपयोग आई.जी.एस.टी. के भुगतान के लिये किया जाएगा;
- जब एक बार आई.जी.एस.टी. का आई.टी.सी. रिक्त/पूरा हो जाता है सी.जी.एस.टी. के आई.टी.सी. को आई.जी.एस.टी. भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा;
- यदि दोनों आई.जी.एस.टी. के आई.टी.सी. और सी.जी.एस.टी. के आई.टी.सी. रिक्त/पूरे हो गये हैं, तब ही डीलर को एस.जी.एस.टी. के आई.टी.सी. का उपयोग कर आई.जी.एस.टी. के भुगतान की अनुमति दी जाएगी।

शेष आई.जी.एस.टी. दायित्व, यदि कोई हो, नकद में भुगतान का उपयोग कर निर्वहन किया जाएगा। जी.एस.टी. प्रणाली क्रेडिट का उपयोग कर आई.जी.एस.टी. के भुगतान के लिए इस पदानुक्रम के अनुरक्षण को सुनिश्चित करेगी।

प्र 9. केंद्र, निर्यातक राज्य और आयातक राज्य का प्रकार निपटान कैसे किया जाएगा?

उत्तर: केंद्र और राज्यों के बीच खाते का निपटान दो प्रकार से किया जाएगा, जिन्हें निम्नांकित दिया जा रहा है:

- केंद्र और निर्यातक राज्य: निर्यातक राज्य केंद्र सरकार को एस.जी.एस.टी. के आई.टी.सी. के समतुल्य राशि का भुगतान करेगा जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा इस्तेमाल किया है।
- केंद्र और आयातक राज्य: केंद्र आई.जी.एस.टी. के आई.टी.सी. के समतुल्य राशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा अंतर-राज्यीय आपूर्तियों पर एस.जी.एस.टी. के भुगतान के लिये करेगा।

निपटान राज्यों के लिये निपटान अवधि में सभी डीलर द्वारा प्रस्तुत विवरण के संचयी आधार पर किया जाएगा। इसी प्रकार राशि का निपटान सी.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. के बीच सम्पन्न किया जाएगा।

वस्तुओं और सेवाओं का
आपूर्ति स्थल

22. वस्तुओं और सेवाओं का आपूर्ति स्थल

प्र 1. जी.एस.टी. के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्ति स्थल की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर: जी.एस.टी. का बुनियादी सिद्धांत है कि कथित आपूर्ति के उपभोग के गंतव्य पर प्रभावी ढंग से करारोपण किया जाए यानि खपत के स्थान पर। इसलिए आपूर्ति स्थल का प्रावधान स्थान निर्धारित करता है अर्थात कराधीन अधिकार क्षेत्र जहां कर की पहुंच होनी चाहिए। आपूर्ति का स्थान यह निर्धारित करता है कि क्या एक लेनदेन अंतर-राज्यीय है या राज्य के भीतर। दूसरे शब्दों में, वस्तुओं की आपूर्ति के स्थान का निर्धारित करना कि क्या एक आपूर्ति किसी राज्य में एस.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. के अधीन है या उस पर आई.जी.एस.टी. करारोपण किया जाएगा यदि वह अंतर-राज्यीय आपूर्ति है, के लिए महत्वपूर्ण है।

प्र 2. वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में आपूर्ति स्थान के प्रावधान में भिन्नता क्यों है?

उत्तर: वस्तुएं/माल साकार/भौतिक होने के कारण उनके उपभोग के गंतव्य स्थान को निर्धारित करने में कोई महत्वपूर्ण समस्या पैदा नहीं होती। सेवाओं के मामले में अप्रत्यक्षता निम्न कारकों के कारण आपूर्ति के स्थान का निर्धारण करने में गंभीर समस्या उत्पन्न करती है:

- (i) सेवा की डिलीवरी के तरीके को आसानी से बदला जा सकता है। उदाहरण के लिये दूरसंचार सेवा को ज्यादातर पोस्ट-पेड से प्री-पेड; बिल के पते को बदला जा सकता है, बिल भेजने वाले का पता बदला जा सकता है, सॉफ्टवेयर की मरम्मत या रखरखाव ऑनसाइट से ऑनलाइन बदला जा सकता है; पहले बैंकिंग सेवाओं के लिये बैंकों में जाना आवश्यक था, अब ग्राहक कहीं से भी बैंक की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं;

- (ii) सेवा प्रदाता, सेवा प्राप्तकर्ता और प्रदान की गई सेवा का पता नहीं लगाया जा सकता या उन्हें आसानी से दबाया जा सकता है क्योंकि उनमें कुछ भी ठोस/भौतिक गतिविधि नहीं है और उन्हें खोजा नहीं जा सकता;
- (iii) सेवा की आपूर्ति के लिए, सेवा प्रदाता का कोई निश्चित स्थान अनिवार्य नहीं है और यहां तक कि सेवा प्राप्तकर्ता सेवा को कहीं भी रास्ते में प्राप्त कर सकता है। बिल का स्थान रातोंरात बदला जा सकता है;
- (iv) कभी-कभी एक ही तत्व विभिन्न स्थानों पर प्रवाहित हो सकते हैं, उदाहरण के लिये, निर्माण या एक रेलवे लाइन, एक राष्ट्रीय राजमार्ग या एक नदी पर पुल जैसी अन्य सेवाओं के संबंध में जो एक राज्य में शुरू होती हैं और दूसरे राज्य में समाप्त होती हैं। इसी प्रकार एक फिल्म के प्रदर्शन के लिए वितरण का कॉपीराइट कई राज्यों के लिये एकमात्र लेनदेन के साथ सौंपा जा सकता है या एक विज्ञापन या एक कार्यक्रम एक ही समय पर सारे देश में प्रसारित किया जा सकता है। एक एयरलाइन मौसमी टिकट जारी कर सकता है, जिसमें 10 टिकट सम्मिलित हैं जिसके द्वारा देश में किसी भी दो स्थान के बीच यात्रा के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली मेट्रो द्वारा जारी किए गए कार्ड को नोएडा, या दिल्ली या फरीदाबाद में रहने वाला व्यक्ति दिल्ली मेट्रो को भुगतान की प्राप्ति के समय स्थान या यात्रा के समय में भेद करने में सक्षम किये बिना उपयोग कर सकता है;
- (v) सेवाएं लगातार विकसित हो रही हैं और इस तरह नई चुनौतियां भी निरंतर उत्पन्न होती रहेंगी। उदाहरण के लिए 15-20 साल पहले कोई भी डीटीएच, ऑनलाइन जानकारी, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, इंटरनेट, मोबाइल दूरसंचार आदि के बारे में सोच भी नहीं सकता था।

प्र 3. किसी लेनदेन में आपूर्ति स्थान का चयन निर्धारित करने के लिये किन प्रतिनिधित्व/प्रॉक्सी या मान्यताओं का प्रयोग किया जा सकता है?

उत्तर: सेवाओं के लेनदेन में शामिल विभिन्न तत्व आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने के लिये प्रतिनिधित्व के रूप में प्रयोग किये जा सकते हैं। एक धारणा या प्रॉक्सी आपूर्ति के स्थान का निर्धारण करने के लिए दूसरों की तुलना में अधिक उचित परिणाम देती है। उन्हें यहां नीचे दिया जा रहा है:

- (क) सेवा प्रदाता का स्थान;
- (ख) सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान;
- (ग) ऐसा स्थान जहां गतिविधि होती है/प्रदर्शन का स्थान;
- (घ) वह स्थान जहां इसका उपभोग किया गया है; और
- (ङ) स्थान/व्यक्ति जिसके वास्तविक लाभ प्रवाहित हो रहे हैं।

प्र 4. बी2बी (पंजीकृत व्यक्तियों को आपूर्ति) और बी2सी (अपंजीकृत व्यक्तियों को आपूर्ति) के लेन-देन के संबंध में आपूर्ति के स्थान के लिए अलग नियमों की क्या आवश्यकता है?

उत्तर: बी2बी लेन-देन के संबंध में, प्राप्तकर्ता द्वारा करों के भुगतान को क्रेडिट के रूप में लिया जाता है ताकि कथित लेनदेन पूरे किये जा सकें। बी2बी की आपूर्ति पर एकत्रित जी.एस.टी. प्रभावी रूप में सरकार का दायित्व उत्पन्न करता है और कथित प्राप्तकर्ता की आपूर्ति की सम्पत्ति उतनी अधिक होगी कि वह अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को अपने भविष्य के करों का भुगतान करने के लिये उपयोग करने का हकदार हो सके। बी2बी के लेन-देन के लिए प्राप्तकर्ता के स्थान, लगभग सभी स्थितियों में प्राप्तकर्ता द्वारा आगे क्रेडिट लिया जाना है इस बात का ध्यान रखता है। प्राप्तकर्ता आमतौर पर आगे अपने ग्राहक को आपूर्ति करता है। आपूर्ति केवल तब प्रयुक्त होती है जब एक बी2बी लेनदेन आगे बी2सी लेनदेन में परिवर्तित होता है।

बी2सी लेनदेन के संबंध में, आपूर्ति अंत में प्रयुक्त हो जाती है और भुगतान किया गया कर वास्तव में सरकार को प्राप्त हो जाता है।

प्र 5. जहां वस्तुओं/माल को हटा दिया जाता है वहां आपूर्ति का स्थान क्या होगा ?

उत्तर: वस्तुओं/माल की आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहां उस समय जहां पर प्राप्तकर्ता के स्थान पर डिलीवरी करने के पश्चात वस्तुओं/माल की आवाजाही समाप्त हो जाती है। (आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 5(2))

प्र 6. जब एक आपूर्तिकर्ता द्वारा वस्तुओं/माल की आपूर्ति तीसरे व्यक्ति के निर्देश पर किसी व्यक्ति पर की जाती है तब आपूर्ति स्थान क्या होगा?

उत्तर: ऐसा मान लिया जाएगा कि तीसरे व्यक्ति ने वस्तुएं/माल प्राप्त कर ली हैं और कथित वस्तुओं/माल की आपूर्ति का स्थान उस व्यक्ति के व्यापार का प्रमुख स्थान होगा। (आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 5(2ए))

प्र 7. जब वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति एक वाहन जैसे जहाज, हवाई जहाज, रेल या मोटर वाहन आदि द्वारा की जाती है, तब आपूर्ति स्थान क्या होगा?

उत्तर: ऐसे माल के संबंध में, आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहां पर वस्तुओं/माल को वाहन पर डाला जाता है। (आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 5(5))।

हालांकि, सेवाओं के संबंध में, आपूर्ति का स्थान वह निर्धारित स्थान होगा जहां से उस वाहन द्वारा यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। (आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6(11))

प्र 8. आपूर्ति के स्थान के लिये बी2बी सेवाओं आपूर्ति के संबंध में स्वतः (डिफॉल्ट) अनुमान क्या है

उत्तर: आई.जी.एस.टी. अधिनियम में प्रयुक्त किये शब्द पंजीकृत करदाता और गैर-पंजीकृत करदाता हैं। आपूर्ति के मामले में अनुमान पंजीकृत व्यक्ति के लिए उसके स्थान से है। चूंकि प्राप्तकर्ता पंजीकृत है, प्राप्तकर्ता का पता हमेशा वहाँ पर है और उसी को आपूर्ति के स्थान के लिए प्रॉक्सी के रूप में लिया जा सकता है।

प्र 9. अपंजीकृत प्राप्तकर्ताओं के संबंध में आपूर्ति के स्थान का डिफॉल्ट अनुमान क्या है?

उत्तर: अपंजीकृत प्राप्तकर्ताओं के संबंध में, आपूर्ति का सामान्य स्थान प्राप्तकर्ता का स्थान है। हालांकि कई मामलों में, प्राप्तकर्ता के पते उपलब्ध नहीं होते, इस तरह के मामलों में, सेवाओं की आपूर्तिकर्ता के स्थान को आपूर्ति के स्थान के लिए प्रॉक्सी के रूप में लिया जाता है।

प्र 10. अचल संपत्ति के संबंध में आपूर्ति का स्थान अचल संपत्ति का स्थान है। मान लीजिए कि दिल्ली से मुंबई के लिए एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है और वह सड़क कई राज्यों को कवर करती है। आपूर्ति का स्थान क्या होगा?

उत्तर: जहाँ कहीं भी अचल संपत्ति एक से अधिक राज्यों में स्थित है, सेवाओं की आपूर्ति को प्रत्येक राज्य में प्राप्त की गई सेवाओं और निर्धारित मूल्य के यथानुपात पृथक रूप से लिया जाएगा, समझौते की शर्तों के अनुबंध के अनुसार या, अनुबंध की अनुपस्थिति में, दूसरे किसी ऐसे आधार पर जिसे इस संबंध में निर्धारित किया जा सकता है। (आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6(5) का स्पष्टीकरण खंड)

प्र 11. किसी कार्यक्रम, को आयोजित करने के लिये प्रदान की गई सेवाओं की आपूर्ति का स्थान क्या होगा, जैसे, आईपीएल क्रिकेट श्रृंखला जो कि कई राज्यों में आयोजित की जाती है?

उत्तर: किसी कार्यक्रम के मामले में, यदि सेवा प्राप्तकर्ता पंजीकृत

है, तब कार्यक्रम, को आयोजित करने के लिये सेवा की आपूर्ति का स्थान ऐसे व्यक्ति के स्थान होगा।

हालांकि, यदि प्राप्तकर्ता पंजीकृत नहीं है, आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चूंकि कार्यक्रम कई राज्यों में आयोजित किया जा रहा है और इन सेवाओं के लिये एक समेकित (consolidated) राशि चार्ज की गई है, तब आपूर्ति का स्थान प्रत्येक राज्य द्वारा प्राप्त की गई सेवाओं के अनुपातिक मूल्य पर मान ली जाएगी। (आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6(8) का स्पष्टीकरण खंड)

प्र 12. कूरियर द्वारा माल के परिवहन के संबंध में माल की आपूर्ति का स्थान क्या होगा?

उत्तर: यदि किसी मामले में प्राप्तकर्ता पंजीकृत है, तब उस व्यक्ति का स्थान आपूर्ति का स्थान होगा।

हालांकि, यदि प्राप्तकर्ता पंजीकृत नहीं है, आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा, जहां वस्तुओं को परिवहन के लिए सौंप दिया जाता है।

प्र 13. जब एक व्यक्ति मुंबई से दिल्ली और वापस मुंबई यात्रा करता है तब आपूर्ति का स्थान क्या होगा?

उत्तर: यदि व्यक्ति पंजीकृत है, तो आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता का स्थान होगा।

यदि व्यक्ति पंजीकृत नहीं है, तब मुंबई से दिल्ली की आगे की यात्रा का आपूर्ति स्थान मुंबई होगा, वह स्थान जहां से उसने यात्रा की शुरुआत की थी।

हालांकि, वापसी यात्रा के लिए, आपूर्ति का स्थान दिल्ली होगा क्योंकि वापसी की यात्रा को अलग यात्रा के रूप में समझा जाएगा। (आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6(11) का स्पष्टीकरण खंड)

प्र 14. मान लीजिए कि मैसर्स एअर इंडिया द्वारा एक व्यक्ति को भारत में कहीं भी यात्रा के लिए एक टिकट/पास जारी किया गया है। इस स्थिति में आपूर्ति का स्थान क्या होगा?

उत्तर: उपरोक्त मामले में, चालान/बिल जारी करने के समय यात्रा प्रारम्भ करने का स्थान उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि यात्रा करने का अधिकार भविष्य के लिये है। तदनुसार, आपूर्ति का स्थान यात्रा प्रारम्भ करने का स्थान नहीं हो सकता। ऐसे मामले में, डिफॉल्ट नियम लागू होगा। (आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6(10) का प्रावधानिक खंड))

प्र 15. मोबाइल कनेक्शन के लिए आपूर्ति का स्थान क्या होगा? क्या यह आपूर्तिकर्ता का स्थान हो सकता है?

उत्तर: मोबाइल सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान आपूर्ति का स्थान नहीं हो सकता क्योंकि मोबाइल कंपनियां कई राज्यों में सेवाएं प्रदान कर रही हैं और इनमें से कई सेवाएं अंतर-राज्यीय हैं। यदि आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति स्थान के रूप में लिया जाता है तब उपभोग सिद्धांत (consumption principle) खंडित हो जाएगा और सारा राजस्व कुछ राज्यों में चला जाएगा जहां आपूर्तिकर्ता स्थित हैं।

मोबाइल कनेक्शन का आपूर्ति स्थान इस पर निर्भर करेगा कि क्या कनेक्शन पोस्टपेड या प्रीपेड आधार पर है।

पोस्टपेड कनेक्शन के मामले में, आपूर्ति का स्थान सेवा प्राप्तकर्ता के बिल में दिये पते का स्थान होगा।

प्री-पेड कनेक्शन के मामले में, आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहां पर इस कनेक्शन के लिए भुगतान प्राप्त होता है या इस तरह के प्री-पेड वाउचर बेचे गये हैं। हालांकि, अगर रिचार्ज इंटरनेट/ई-पेमेंट के माध्यम से किया जाता है, रिकॉर्ड पर सेवा प्राप्तकर्ता के पते का स्थान सेवा की आपूर्ति के स्थान के रूप में लिया जाएगा।

प्र 16. गोवा में एक व्यक्ति दिल्ली में शेरों के दलाल से एनएसई (मुंबई में) पर शेर खरीदता है (मुंबई में)। आपूर्ति का स्थान क्या होगा?

उत्तर: आपूर्ति का स्थान सेवाओं के प्राप्तकर्ता के रिकार्ड/अभिलेखों पर दिया पता होगा। इसलिये गोवा आपूर्ति का स्थान होगा।

प्र 17. मुंबई से एक व्यक्ति कुल्लू-मनाली के लिए जाता है और मनाली में आईसीआईसीआई बैंक से कुछ सेवाओं प्राप्त करता है। आपूर्ति का स्थान क्या होगा?

उत्तर: यदि सेवा व्यक्ति के खाते से जुड़ी हुई नहीं है, तब आपूर्ति का स्थान मनाली होगा यानि सेवा आपूर्तिकर्ता का स्थान होगा। हालांकि, अगर सेवा व्यक्ति के खाते से जुड़ी है, तब आपूर्ति का स्थान मुंबई होगा, सेवा आपूर्तिकर्ता के रिकार्ड पर सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान।

प्र 18. गुडगांव से एक व्यक्ति एयर इंडिया के विमान से दिल्ली के लिए यात्रा करता है और अपनी यात्रा का बीमा मुंबई में करता है। आपूर्ति का स्थान क्या होगा?

उत्तर: बीमा सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रिकार्ड/अभिलेखों पर सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान आपूर्ति का स्थान होगा। इसलिये गुडगांव आपूर्ति का स्थान होगा। (आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6(14) का प्रावधानिक खंड)

जी.एस.टी. पोर्टल पर
दृश्यपटल व्यापारिक
(Frontend Business) प्रक्रिया

23. जी.एस.टी. पोर्टल पर दृश्यपटल व्यापारिक (Frontend Business) प्रक्रिया

प्र 1. जी.एस.टी.एन. क्या है?

उत्तर: वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) एक गैर-लाभ गैर-सरकारी कंपनी है, जो करदाताओं और अन्य हितधारकों सहित केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को आईटी के बुनियादी ढांचे और सेवा की साझा सुविधाएं प्रदान करेगा। पंजीकरण की फ्रंटएंड सेवाएं, रिटर्न और सभी करदाताओं के लिए भुगतान जी.एस.टी.एन. द्वारा प्रदान किये जाएंगे। यह सरकार और करदाताओं के बीच एक इंटरफेस होगा।

प्र 2. जी.एस.टी.एन. की उत्पत्ति क्या है?

उत्तर: जी.एस.टी. सिस्टम परियोजना एक अद्वितीय और जटिल आईटी पहल है। यह अद्वितीय है क्योंकि यह, पहली बार करदाता के लिये एक समान इंटरफेस स्थापित करना और केंद्र और राज्यों के बीच आम और साझा आईटी बुनियादी सुविधाओं का समान इंटरफेस स्थापित करने का प्रयास करता है। वर्तमान समय में, केन्द्र और राज्य अप्रत्यक्ष कर प्रशासन विभिन्न कानूनों, विनियमों, प्रक्रियाओं और स्वरूपों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। और उसके परिणामस्वरूप आईटी प्रणाली स्वतंत्र साइट के रूप में काम कर रही है। उन्हें जी.एस.टी. लागू करने के लिए एकीकृत करना बेहद जटिल होगा। क्योंकि इसके लिये समूचे अप्रत्यक्ष कर पारिस्थितिकी (ईकोसिस्टम) तंत्र को एकीकृत करना शामिल है ताकि सभी कर प्रशासनों (केन्द्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों) को करदाताओं और अन्य बाह्य हितधारकों के लिये आईटी के समान प्रारूपों और इंटरफेस के साथ परिपक्वता के स्तर पर लाया जा सके। इसके अतिरिक्त, चूंकि जी.एस.टी. एक गंतव्य आधारित कर है, अंतर-राज्यीय वस्तुओं और सेवाओं (आई.जी.एस.टी.) के व्यापार में राज्यों और केंद्र के बीच एक

मजबूत निपटान तंत्र की बहुत आवश्यकता है। यह तभी संभव होगा जब वहाँ एक मजबूत आईटी बुनियादी संरचना और सेवा (सर्विस) आधार उपलब्ध होगा जो हितधारकों (करदाताओं, राज्यों और केंद्र सरकार, बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक सहित) के बीच जानकारियां प्राप्त करने, प्रसंस्करण/प्रोसेसिंग और विनिमय करने में सक्षम करेगा।

इस पहलू पर राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की 21.7.2010 में आयोजित चौथी बैठक में विचार विमर्श किया गया था। कथित बैठक में ई.सी. ने डॉ. नन्दन निलेकनी की अध्यक्षता में अपर सचिव (राजस्व), सदस्य (बीएंडसी) सी.बी.ई.सी., महानिदेशक (सिस्टम), सी.बी.ई.सी., एफ.ए., वित्त मंत्रालय, सदस्य सचिव ई. सी. और व्यापार करों के पांच राज्यों के आयुक्तों (महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात) सहित 'जी.एस.टी.' के लिए आईटी बुनियादी ढांचे के अधिकार प्राप्त समूह' (ई.सी. के रूप में संदर्भित) का सृजन करने के लिये अनुमोदित किया था। समूह को अन्य बातों के साथ, आम पोर्टल कार्यान्वित करने के लिए जिसे जी.एस.टी. नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) के नाम से जाना जाता है नेशनल इंफोमेशन यूटिलिटी (एन.आई.यू./एस.पी.वी.) की स्थापना के तौर-तरीकों और संरचना तथा संदर्भ की शर्तों, विस्तृत कार्यान्वयन रणनीति और इसके निर्माण के लिए अंतिम रूपरेखा के साथ-साथ प्रशिक्षण जैसे अन्य मदों के लिये, पहुंच बनाने इत्यादि के सुझाव देने के लिये अधिकार पत्र दिया गया था।

मार्च 2010 में, वित्त मंत्रालय द्वारा टी.ए.जी.यू.पी का गठन किया गया था और उसमें यह सिफारिश की गई कि नेशनल इंफोमेशन यूटिलिटीज को एक निजी कंपनी के रूप में जी.एस.टी. सहित बड़ी और जटिल सरकारी आईटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये जन उद्देश्यों के साथ स्थापित किया जाना चाहिए। टी.ए.जी.यू.पी. का अधिदेश विभिन्न आईटी परियोजनाओं जैसे जी.एस.टी., टी.आई.

एन., एन.पी.एस, आदि से संबंधित प्रौद्योगिकी और सिस्टमगत मुद्दों की जांच करना था।

ई.जी. के तौर-तरीके पर चर्चा करने के लिये 2 अगस्त 2010 से 8 अगस्त 2011 के बीच सात बैठकें हुई थी। गहन विचार-विमर्श करने के बाद, ई.जी. ने जी.एस.टी. व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिये एक विशेष प्रयोजन साधन/माध्यम (Special Purpose Vehicle) स्थापित करने की सिफारिश की। भारी मांग भरे माहौल को ध्यान में रखते हुए कुशल और विश्वसनीय सेवाओं के प्रावधान सक्षम करने के लिए, ई.जी. ने जी.एस.टी.एन. एस.पी.वी. में गैर-सरकारी संरचना के साथ सरकार की 49 प्रतिशत (केंद्र 24.5 प्रतिशत और राज्य 24.5 प्रतिशत) हिस्सेदारी/इक्विटी की कुछ मुख्य मापदंडों पर विचार करने के बाद जैसे प्रबंधन की स्वतंत्रता, सरकार का रणनीतिक नियंत्रण, संगठनात्मक संरचना में लचीलापन, निर्णय लेने में तेजी और सक्षम मानव संसाधनों की नियुक्तियों और उन्हें रोके रखना आदि की सिफारिश की।

जी.एस.टी.एन. की भूमिका की संवेदनशीलता को देखते हुए और इसमें जो जानकारी उपलब्ध होंगी, ई.जी. ने जी.एस.टी.एन. पर सरकार के रणनीतिक नियंत्रण के मुद्दे पर भी विचार किया। समूह ने सिफारिश की थी कि एस.पी.वी. पर सरकार का रणनीतिक नियंत्रण बोर्ड की संरचना, विशेष प्रस्तावों के तंत्र और शेयरधारकों के समझौतों, सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर आरम्भ, और जी.एस.टी.एन. एस.पी.वी. और सरकारों के बीच समझौतों के उपायों के माध्यम से सुनिश्चित किये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, हिस्सेदारी ढांचा यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्तिगत रूप से केंद्र और राज्य सामूहिक रूप से प्रत्येक 24.5 प्रतिशत के हितधारक होंगे। संयुक्त रूप में, सरकार की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी किसी भी निजी संस्था से काफी अधिक होगी।

ई.जी. ने इस कंपनी को चलाने के लिए प्रौद्योगिकी विनिर्देश की जरूरत को भी प्रवृत्त किया ताकि वहाँ रिटर्न का 100 मिलान रहे।

व्यापार का ज्ञान भारत और राज्य सरकार के अधिकारियों के पास है। भारत सरकार और राज्यों के अधिकारियों के पास व्यावहारिक ज्ञान है। हालांकि, वहां अत्याधुनिक तकनीकी ज्ञान से लैस व्यावसायिकों को स्वतंत्र रूप से इस कंपनी को चलाने की आवश्यकता होगी, उसी तरह जैसे एन.एस.डी.एल. जो व्यावसायिकता और स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। ई.जी. ने एक गैर-सरकारी कंपनी की भी सिफारिश की थी जिसे परिचालन में स्वतंत्रता होगी।

यह सिफारिशें राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की 2011 में हुई तीसरी बैठक के समक्ष 19 अगस्त 2011 और 14 अक्टूबर 2011 को आयोजित चौथी बैठक में प्रस्तुत कर दी गई थी। जी.एस.टी.एन. के संबंध में जी.एस.टी. के लिए आईटी बुनियादी ढांचे पर ई.जी. के प्रस्ताव और सरकार के रणनीतिक नियंत्रण के साथ धारा 25 की गैर-लाभ प्राप्त कंपनी के गठन को राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (ई.सी.) ने 14.10.11 को आयोजित बैठक में अपनी स्वीकृति दे दी।

राजस्व विभाग की एक विशेष प्रयोजन के साधन की स्थापना के लिये की गई टिप्पणी जिसे वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क के नाम से जाना जाता है उपरोक्त पंक्तियों के उल्लेखानुसार मंत्री परिषद द्वारा 12 अप्रैल 2012 को उस पर विचार किया गया और अनुमोदित भी कर दिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नांकित स्वीकृतियां भी दे दी:

- i. वित्त मंत्रालय द्वारा उपयुक्त और इच्छुक गैर-सरकारी संस्थानों की पहचान की जाएगी और जी.एस.टी.एन. एस.पी.वी. को निगमित करने से पूर्व उसमें निवेश कर अंतिम रूप दिया जाएगा।
- ii. एस.पी.वी. पर सरकार का रणनीतिक नियंत्रण इस तरह के बोर्ड की संरचना, विशेष संकल्प के तंत्र और शेयरधारकों के समझौतों, सरकारी अधिकारियों की

प्रतिनियुक्ति का अधिष्ठापन और जी.एस.टी.एन. एस.पी.वी. और सरकारों के बीच समझौतों के उपायों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

- iii. जी.एस.टी.एन. एस.पी.वी. के निदेशक मंडल में 14 निदेशक के साथ केंद्र से 3 निदेशक, 3 राज्यों से, केंद्र और राज्यों के संयुक्त अनुमोदन तंत्र के माध्यम से नियुक्त किये गये निदेशक मण्डल के एक अध्यक्ष, 3 निदेशक निजी इक्विटी हिस्सेदारी धारकों, 3 स्वतंत्र निदेशक जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे और खुली चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित जी.एस.टी.एन., एस.पी.वी. का एक सी.ई.ओ. होगा।
- iv. जी.एस.टी.एन. एस.पी.वी. में रणनीतिक नियंत्रण के कार्यान्वयन और आवश्यक डोमेन विशेषज्ञता लाने के लिए सरकार के अधिकारियों को सक्षम कर उनकी प्रतिनियुक्ति हेतु प्रासंगिक नियमों में छूट दी जाएगी।
- v. जी.एस.टी.एन. एस.पी.वी. का स्वयंधारी (Self Sustaining) राजस्व मॉडल होगा, जहां यह करदाताओं और कर अधिकारियों को सेवाओं का लाभ उठाने पर उपयोगकर्ता प्रभार लगाने के लिए सक्षम होगा।
- vi. जी.एस.टी.एन. एस.पी.वी. अप्रत्यक्ष कर से संबंधित एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिये बहुल कर प्राधिकरणों के लिये एकमात्र राष्ट्रीय एजेंसी होगी। तदनुसार, किसी भी अन्य सेवा प्रदाता को समान एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिये जी.एस.टी.एन. एस.पी.वी. की सेवाओं के लिये औपचारिक व्यवस्था में प्रवेश करना आवश्यक होगा।
- vii. एसपीवी के प्रारम्भिक गठन एवं गठन के बाद काम काज के लिए केंद्र सरकार द्वारा तीन साल की अवधि

के लिए 315 करोड़ रुपये की एक-मुश्त गैर-आवर्ती अनुदान-सहायता प्रदान की गई।

मंत्री परिषद के निर्णय के अनुपालन में, जी.एस.टी. नेटवर्क को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत निम्न इक्विटी संरचना के साथ एक गैर-लाभ-प्राप्त, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था :

केंद्र सरकार	24.5%
राज्य सरकारें	24.5%
एचडीएफसी	10%
एचडीएफसी बैंक	10%
आईसीआईसीआई बैंक	10%
एनएसई रणनीतिक इन्वेस्टमेंट कंपनी	10%
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	11%

अपने मौजूदा रूप में जी.एस.टी.एन. का सृजन राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति और केंद्र सरकार द्वारा लंबी अवधि तक विचार-विमर्श और अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किया गया था।

प्र 3. जी.एस.टी.एन. द्वारा क्या सेवाएं प्रदान की जाएंगी?

उत्तर: जी.एस.टी.एन. आम जी.एस.टी. पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा:

- (क) पंजीकरण (मौजूदा करदाता मास्टर परिवर्तन और पी.ए.एन. आधारित पंजीकरण क्रमांक जारी करेगा);
- (ख) भुगतान गेटवे और बैंकिंग सिस्टम के साथ एकीकरण सहित भुगतान प्रबंधन;

- (ग) रिटर्न दाखिल और प्रसंस्करण करेगा;
- (घ) खाता प्रबंधन, अधिसूचनाएं, जानकारी, और स्थिति का पता लगाने सहित करदाता प्रबंधन;
- (च) कर प्राधिकरण खाते और खाता बही प्रबंधन;
- (छ) केन्द्र और राज्यों के बीच निपटान की संगणना (आई. जी.एस.टी. निपटान सहित) आई.जी.एस.टी. के लिए क्लियरिंग हाउस;
- (ज) आयात पर जी.एस.टी. का प्रसंस्करण और मिलान और सीमा शुल्क के ई.डी.आई सिस्टम के साथ एकीकरण;
- (झ) आवश्यकता आधारित जानकारी और व्यावसायिक ज्ञान / इंटेलिजेंस सहित एम.आई.एस.
- (ट) आम जी.एस.टी. पोर्टल और कर प्रशासन सिस्टम के बीच इंटरफेस का रखरखाव;
- (ठ) हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना;
- (ड) कर अधिकारियों को विश्लेषण और व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करना; तथा
- (ढ) अनुसंधान कार्यान्वित करना, सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन और हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

प्र 4. जी.एस.टी.एन. और राज्यों/सी.बी.ई.सी. के बीच इंटरफेस सिस्टम क्या है?

उत्तर: जी.एस.टी. व्यवस्था में, जबकि करदाता सम्मुख पंजीकरण के आवेदन चालान/बिलों की अपलोडिंग, रिटर्न दाखिल करना, कर भुगतान करने जैसी मूल सेवाओं की जी.एस.टी व्यवस्था द्वारा प्रदान की जाएगी, कर का भुगतान जी.एस.टी. सिस्टम द्वारा आयोजित किया जाएगा, सभी वैधानिक कार्य (जैसे कि पंजीकरण के अनुमोदन, रिटर्न का निर्धारण, जांच और लेखा परीक्षा के आयोजन आदि) राज्यों और केंद्र सरकार के कर अधिकारियों द्वारा आयोजित किये जाएंगे।

इस प्रकार, जी.एस.टी.एन. द्वारा फ्रंटेंड प्रदान किया जाएगा और बैकेंड मॉड्यूल राज्यों और केन्द्र सरकार द्वारा स्वयं विकसित किया जाएगा। हालांकि 24 राज्यों (मॉडल 2 राज्य के रूप में कहा गया है) ने जी.एस.टी.एन. से उनके भी बैकेंड मॉड्यूल विकसित करने का अनुरोध किया है। सी.बी.ई.सी. और बाकी राज्यों (मॉडल 1) ने स्वयं बैकेंड मॉड्यूल विकसित और आयोजित करने का निर्णय लिया है।

प्र 5. पंजीकरण में जी.एस.टी.एन. की क्या भूमिका होगी?

उत्तर: पंजीकरण के लिए आवेदन जी.एस.टी. पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा।

कुछ प्रमुख डेटा जैसे पी.ए.एन., व्यापारिक प्रकृति, आधार कार्ड, सी.आई.एन./डी.आई.एन. आदि (जो लागू हो) को ऑनलाइन संबंधित एजेंसी यानि सीबीडीटी, यूआईडी, एमसीए आदि के विरुद्ध विधिमान्य किया जाएगा, इस प्रकार कम से कम दस्तावेज सुनिश्चित करता है।

आवेदन डेटा, स्कैन किए गए संलग्न दस्तावेज जी.एस.टी.एन. द्वारा राज्यों/केंद्र को भेज दिये जाएंगे जो उसके बदले पूछताछ करने के बाद, अनुमोदन या अस्वीकृति सूचित कर जी.एस.टी.एन. में डिजिटल हस्ताक्षरित पंजीकरण कर देगा जिसे बाद में करदाता द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा।

प्र 6. जी.एस.टी.एन. में इंफोसिस की क्या भूमिका है?

उत्तर: जी.एस.टी.एन. ने मैसर्स इंफोसिस को एकल प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी), के रूप में डिजाइन, विकास, जी.एस.टी. सिस्टम के इस्तेमाल के लिए नियुक्त किया है, जिसमें सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उपकरण और बुनियादी सुविधाओं सहित गो-लाइव से 5 साल की अवधि के लिए संचालन और अनुरक्षण शामिल है।


प्र 7. जी.एस.टी. आम पोर्टल की बुनियादी विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर: जी.एस.टी. पोर्टल इंटरनेट द्वारा (करदाताओं और उनके सीए/कर अधिवक्ता आदि) और कर अधिकारियों आदि द्वारा इंटरनेट पर सुलभ होगा। पोर्टल सभी जी.एस.टी. से संबंधित सेवाओं के लिए एकल आम पोर्टल होगा उदाहरण के लिए –

- i. करदाता पंजीकरण (नया, समर्पण (surrender), निरस्तीकरण, आदि);
- ii. चालान/बिल अपलोड, खरीद के जी.एस.टी. रिटर्न दाखिल करने हेतु क्रेता के सावधिक रजिस्टर के ऑटो-मसौदा तैयार करता है;
- iii. एजेंसी बैंक के एकीकरण सहित कर का भुगतान;
- iv. आई.टी.सी. और नकद खाता बही और देयता/दायित्व रजिस्टर;
- v. करदाताओं, कर अधिकारियों और अन्य हितधारकों की एम.आई.सी. रिपोर्टिंग;
- vi. कर अधिकारियों के लिए बीआई/विश्लेषण।

प्र 8. जी.एस.टी. पारिस्थितिकी-सिस्टम (Eco-system) की क्या अवधारणा है?

उत्तर: एक आम जी.एस.टी. व्यवस्था सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के वाणिज्यिक कर विभागों, केंद्रीय कर प्राधिकरणों, करदाताओं, बैंकों और अन्य हितधारकों को जोड़ने/लिंकेज का काम करेगा। पारिस्थितिकी तंत्र में करदाताओं से कर व्यावसायिक से कर अधिकारियों से जी.एस.टी पोर्टल से बैंक से लेखा अधिकारियों सहित सभी हितधारक सम्मिलित हैं। नीचे दिये चित्र में समग्र जी.एस.टी. पारिस्थितिकी-तंत्र को दर्शाया गया है।



प्र 9. जी.एस.पी. (जी.एस.टी. सुविधा प्रदाता) क्या है?

उत्तर: जी.एस.टी. सिस्टम इन्फोसिस द्वारा विकसित की जा रही है, प्रबंधित सेवा प्रदाता (एम.एस.पी.)। इसके प्रमुख कार्य में जी.एस.टी. कोर सिस्टम विकसित करना, आवश्यक आईटी बुनियादी ढांचे की होस्टिंग और कार्यान्वयन और पांच साल के लिये सिस्टम का संचालन का प्रावधान सम्मिलित हैं।

प्रस्तावित जी.एस.टी. करदाताओं द्वारा सभी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की परिकल्पना करता है। इस तक पहुंचने के लिए, करदाता को बिलों, जानकारीयों, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान (आई.टी.सी.) का दावा, पार्टिवार खातों के सृजन, रिटर्न की अपलोडिंग, करों के भुगतान की जानकारीयों को अपलोड करने, कथित दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिये टूल्स की आवश्यकता होगी।

जी.एस.टी. सिस्टम में करदाताओं के पास जी.एस.टी. सिस्टम का उपयोग करने के लिए एक जी2बी पोर्टल होगा, हालांकि, जी.एस.टी. सिस्टम में पारस्परिक क्रिया (*interacting*) के लिये वह एकमात्र तरीका नहीं है, करदाता अपनी पसंद के तीसरी पार्टी की एप्लीकेशंस के माध्यम से, डेस्कटॉप, मोबाइल, अन्य इंटरफेस के माध्यम से सभी

उपयोगकर्ताओं को इंटरफेस और सुविधा प्रदान करेगा, एवं जी.एस.टी. सिस्टम के साथ समन्वय करने में सक्षम होंगे। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जी.एस.टी. सिस्टम के साथ ए.पी.आई. के माध्यम से जुड़ जाएंगे। इन सभी एप्लीकेशंस को थर्ड पार्टी सेवा प्रदाताओं द्वारा विकसित किये जाने की अपेक्षा की जा रही है, जिन्हें एक सामान्य नाम भी दिया गया है, जी.एस.टी. सुविधा प्रदाता या जीएसपी ।

करदाता जी.एस.टी. सिस्टम के साथ जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल के माध्यम से या जी.एस.पी. ईकोसिस्टम के माध्यम से एप्लीकेशंस के रूप में प्रदान किये गए जैसे पंजीकरण, कर भुगतान, रिटर्न दाखिल करने और जी.एस.टी. कोर सिस्टम के साथ अन्य सूचनाओं का विनिमय करने जैसी गतिविधियों के लिए इंटरफेस करेंगे। जी.एस.पी. जी.एस.टी. सिस्टम ए.पी.आई. की उपभोक्ता एजेंसी बन जाएगी और करदाताओं के लिये वैकल्पिक इंटरफेस के रूप में एप्लीकेशंस और वैब पोर्टल का निर्माण करेगी।

प्र 10. जी.एस.टी. सुविधा प्रदाताओं की क्या भूमिका होगी?

उत्तर: जीएसपी के विकसित किए गए एप्स जी.एस.टी. सिस्टम के साथ सुरक्षित जी.एस.टी. सिस्टम एपीआई के माध्यम से जुड़ जाएंगे। जी.एस.पी. के कुछ कार्य निम्नांकित हैं:

- करदाताओं, जी.एस.टी. सिस्टम की टी.आर.पी. के लिये विभिन्न एप्स/इंटरफेस विकसित करना,
- करदाताओं को अन्य मूल्य वर्धित सेवाएं (Value Added Services) प्रदान करना

जी.एस.टी. सुविधा प्रदाता (जी.एस.पी.) की परिकल्पना करदाताओं और अन्य हितधारकों को नवपरिवर्तनशील और सुविधाजनक साधन प्रदान करने तथा जी.एस.टी. सिस्टम के साथ कंपनी या संस्था के पंजीकरण से बिलों के विवरण अपलोड करने से लेकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पारस्परिक क्रियान्वयन (*interacting*) के लिए की गई है। इस प्रकार वहाँ पारस्परिक क्रियान्वयन (*interacting*) के दो समूह

हैं, एक एप्प उपभोगकर्ता और जी.एस.पी. और दूसरा जी.एस.पी और जी.एस.टी. सिस्टम ।

प्र 11. जी.एस.पी का उपयोग करने में करदाताओं के क्या लाभ हैं?

उत्तर: कर लेखांकन सॉफ्टवेयर प्रदान कर रहा एक जी.एस.पी. पहले से बड़ी संख्या में करदाताओं की कर कार्यक्षमता में लाभ प्रदान करेगा। यह करदाता की चालान/बिल/रिटर्न और मिलान के अपलोड की डेल्टा प्रक्रिया भी जीएसपी द्वारा प्रदान की जाती है। जबकि जी.एस.टी. पोर्टल के मामले में, अन्य प्रकार के कार्यकलाप स्वयं/मैन्यूअल या दूसरे तरीके से चालान/बिल के डेटा या रिटर्न कार्यान्वित करना होगा। जी.एस.टी. पोर्टल द्वारा उजागर किये गये इंटरफेस और सुविधाएं सभी करदाताओं के लिए एक समान होंगे और प्रारूप और डिजाइन में बुनियादी हो सकते हैं। दूसरी ओर जी.एस.पी. से करदाताओं के विशिष्ट समूह (पूरी तरह से स्वचालित वित्तीय सिस्टम के साथ बड़े करदाता, अर्द्ध स्वचालित सिस्टम के साथ एस.एम.ई., और छोटे आकार के लिये कोई सिस्टम नहीं) द्वारा आवश्यक समृद्ध इंटरफेस और विशेषताओं की अपेक्षा की जा रही है। इसके अतिरिक्त, विशाल आकार के कारण जी.एस.टी. पोर्टल जीएसपी जितना तीव्र नहीं होगा।

जी.एस.पी. एप्लीकेशन के साथ मौजूदा सॉफ्टवेयर में जी.एस.टी. फाइलिंग की सुविधाओं या एस.एम.ई. और छोटे करदाताओं को उनकी बिक्री/खरीद और जी.एस.टी. फाइलिंग का प्रबंधन करने के लिये शुरू से अंत तक समाधान (end-to-end solutions) प्रदान करने के लिये लाए जा सकते हैं, उदाहरण के लिये एक ऑफलाइन सुविधा जैसे स्प्रेड शीट, जिसमें करदाता अपने चालान/बिल के विवरण भर सकते हैं और उसके बाद उन्हें प्रोसेसिंग के लिए जी.एस.टी. पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह, कर सलाहकारों (टीसी) के लिए, जी.एस.पी. एक डैशबोर्ड प्रदान कर सकता है जिसमें उसके सभी ग्राहकों की सूची प्रदर्शित हो सकती है और किसी विशेष ग्राहक पर क्लिक करने पर विशेष ग्राहक द्वारा टी.सी. कार्यवाही/लंबित कार्यवाही के स्नैपशॉट दिये जा सकते हैं।

जी.एस.पी. नवपरिवर्तनशील / मूल्य वर्धित सुविधाएं प्रदान करता है, जो उसे बाजार में उपलब्ध अन्य जी.एस.पी. से अलग करता है।

स्रोत: http://www.gstn.org/ecosystem/faq_question.php

प्र 12. जी.एस.टी.एन. द्वारा जी.एस.टी. आम पोर्टल के विकसित करने और रखरखाव के संबंध में करदाताओं की क्या भूमिका होगी?

उत्तर: कुछ कार्य जो जी.एस.टी.एन. के माध्यम से करदाताओं द्वारा निष्पादित किये जाएंगे वह हैं:

- करदाता के रूप में पंजीकरण का आवेदन करना, और प्रोफाइल प्रबंधन;
- करों का भुगतान, दंड और ब्याज सहित;
- चालान/बिल का डेटा अपलोड करना और रिटर्न दाखिल करना / वार्षिक विवरण;
- रिटर्न/कर खाता बही/नकद खाता बही की स्थिति की समीक्षा।

प्र 13. जी.एस.टी.एन. द्वारा विकसित किये गये जी.एस.टी. सिस्टम के संबंध में राज्य और केंद्र सरकार से कर अधिकारियों की क्या भूमिका होगी?

उत्तर: अधिकारियों को बैकेंड पर निम्न कार्यों के लिए जी.एस.टी.एन. की जानकारीयों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी:

- करदाताओं के नामांकन / पंजीकरण के लिए अनुमोदन / अस्वीकृति;
- राज्य कर का कर प्रशासन (आंकलन / लेखा परीक्षा / रिफंड / अपील / जांच);
- एमआईएस और अन्य कार्य;

प्र 14. क्या जी.एस.टी.एन. प्रत्येक चालान/बिल पंक्ति के लिये जी.एस.टी.आई.एन. सिस्टम में एक विशिष्ट पहचान उत्पन्न करेगा?

उत्तर: नहीं, जी.एस.टी.एन. ऐसी कोई भी नई पहचान उत्पन्न नहीं करेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.आई.एन., चालान/बिल नंबर और एचएसएन/एसएसी कोड सहित वित्तीय वर्ष के संयोजन प्रत्येक पंक्ति को अद्वितीय बना देंगे।

प्र 15. क्या चालान/बिल का डेटा प्रतिदिन आधार पर अपलोड किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ, जी.एस.टी. पोर्टल में किसी भी समय के आधार पर चालान/बिल का डेटा लेने की कार्यक्षमता होगी। पहले अपलोड करना बेहतर होगा क्योंकि इससे यह प्राप्तकर्ता को प्रतिबिंबित हो जाएगा जो उसे पोर्टल पर देखकर अपने खरीद रजिस्टर से मिलान कर सकते हैं।

प्र 16. क्या जी.एस.टी.एन. जी.एस.टी. पोर्टल पर चालान/बिल का डेटा अपलोड करने के लिए टूल्स प्रदान करते हैं?

उत्तर: हाँ, जी.एस.टी.एन. करदाताओं को स्प्रेडशीट (माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह) जैसे टूल्स लागत से मुक्त प्रदान किये जाएंगे ताकि वे चालान/बिल का डेटा उसमें संकलित करने और एक ही बार में अपलोड करने में सक्षम हो पाएं। यह एक ऑफलाइन टूल होगा जिसका उपयोग बिल के डेटा को बिना ऑनलाइन भरा जा सकता है और उसके बाद कई सौ चालान/बिल एक साथ एक ही बार में अपलोड किये जा सकेंगे।

प्र 17. क्या जी.एस.टी.एन. खाता बहियों और अन्य खातों को देखने के लिए मोबाइल आधारित एप्स उपलब्ध कराएंगे?

उत्तर: हाँ, जी.एस.टी. पोर्टल को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि इसे किसी भी स्मार्ट फोन पर देखा जा सकता है। इस प्रकार नकदी खाता बही, दायित्व खाता बही, आई.टी.सी. खाता बही आदि को मोबाइल फोन पर देखा जा सकता है।

प्र 18. क्या जी.एस.टी.एन. कर व्यावसायिक को बिना करदाता के यूजर आईडी और पासवर्ड पूछने की जरूरत के उनके ग्राहकों (करदाताओं)

की ओर से काम करने में सक्षम करने के लिये अलग यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान करेंगे, जैसा कि मौजूदा समय में होता है?

उत्तर: हाँ, जी.एस.टी.एन. करदाताओं के यूजर आईडी और पासवर्ड पूछे बिना कर व्यावसायिक को उनके ग्राहकों (करदाताओं) की ओर से काम करने में सक्षम करने के लिये अलग यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान करेंगे। कर व्यावसायिक करदाता की ओर से वे सभी काम करने में सक्षम होंगे जिन्हें जी.एस.टी. कानून में अनुमति दी गई है सिवाय अंतिम प्रस्तुति/जमा को छोड़कर, जिसे केवल करदाता ई-साइन (ओ.टी.पी.) या डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का उपयोग कर पूरा करेंगे।

प्र 19. एक बार उपरोक्त सुविधा में चुने जाने के बाद क्या करदाता कर व्यावसायिक बदलने में सक्षम होंगे?

उत्तर: हाँ, एक करदाता बस जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर यह अचयनित और एक नया टैक्स पेशेवर के लिए प्रतिनिधित्व (delegating) द्वारा एक अलग कर पेशेवर चुन सकते हैं।

प्र 20. क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सेवा कर या राज्य वैट के तहत मौजूदा करदाताओं को जी.एस.टी. के अंतर्गत नए सिरे से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा?

उत्तर: नहीं, मौजूदा करदाताओं जिनका पैन सी.बी.डी.टी. डेटाबेस से मान्य किया गया है उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें जी.एस.टी. पोर्टल द्वारा अस्थायी जी.एस.टी.आई.एन. जारी किया जाएगा, जो जी.एस.टी. पंजीकरण प्रपत्र के रूप में प्रासंगिक डेटा उपलब्ध कराने हेतु छह महीने के लिए वैध होगा। पंजीकरण डेटा दाखिल करने के बाद अस्थायी पंजीकरण नियमित रूप में परिवर्तित हो जाएगा। संबंधित कर अधिकारियों द्वारा समय सीमा देने के लिये आगे अधिसूचना जारी की जाएगी।

प्र 21. क्या जी.एस.टी.एन. करदाताओं के लाभ के लिए जी.एस.टी. पोर्टल पर काम करने के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण वीडियो प्रदर्शित करेगा?

उत्तर: हाँ, जी.एस.टी.एन. कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण सामग्री तैयार कर रहा है जिसमें जी.एस.टी. पोर्टल पर प्रदर्शन के लिये प्रत्येक प्रक्रिया को उनमें वीडियो एम्बेडेड जाएगा। इन्हें जी.एस.टी. पोर्टल के साथ ही सभी कर प्राधिकरणों की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

प्र 22. क्या जी.एस.टी. आम पोर्टल पर करदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न और पंजीकरण के डेटा गोपनीय रखे जाएंगे?

उत्तर: हाँ, जी.एस.टी.एन. करदाताओं द्वारा प्रस्तुत उनकी निजी और व्यापारिक जानकारीयों को जी.एस.टी. आम पोर्टल पर गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठा रहा है। भूमिका आधारित प्रवेश नियंत्रण (आरबीएसी) ;त्वसम ठेंमक ।बबमे ब्वदजतवसद्ध ;त्त ।बद्ध द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा और पारगमन और भण्डारण दोनों के दौरान करदाताओं के महत्वपूर्ण डेटा का एन्क्रिप्शन सुनिश्चित किया जाएगा। केवल अधिकृत कर अधिकारी इन डेटा को देख और पढ़ने में सक्षम होंगे।

प्र 23. जी.एस.टी. सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जी.एस.टी.एन. द्वारा क्या सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं ?

उत्तर: जी.एस.टी. सिस्टम परियोजना द्वारा आंकड़ों और सेवा सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा ढांचे को सम्मिलित किया गया है। हाई एंड फायरवॉल, घुसपैठ का पता लगाने, विराम और गतिविधि के दौरान डेटा एन्क्रिप्शन, समग्र ऑडिट ट्रेल, लगातार हैशिंग एल्गोरिद्म का प्रयोग करते हुए छेड़छाड़/टैंपर प्रूफिंग, ओएस और होस्ट हार्डनिंग आदि का उपयोग के अतिरिक्त, जी.एस.टी.एन. एक प्राथमिक और माध्यमिक सुरक्षा संचालन कमान एवं नियंत्रण केंद्र स्थापित कर रहा है, जो लगातार अग्रसकिय रहकर निगरानी करेगा और वास्तविक समय में दुर्भावनापूर्ण हमलों से रक्षा करेगा। जी.एस.टी.एन. सामान्यतः ज्ञात और अज्ञात खतरों के खिलाफ रक्षा करने के लिए स्रोत कोड की निरंतर स्कैनिंग के माध्यम से सुरक्षित कोडिंग प्रथाओं को सुनिश्चित करेगा।

परिवर्ती प्रावधान

24. परिवर्ती प्रावधान

प्र 1. क्या जी.एस.टी. से पूर्व पहले कानून के अंतर्गत आई.टी.सी. के रूप में उपलब्ध पिछले रिटर्न का सेनवैट/आई.टी.सी. आगे जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत ले जाया जाएगा?

उत्तर: हाँ, पंजीकृत कराधीन व्यक्ति इस तरह के क्रेडिट प्राप्त करने का हकदार होगा और यह उसके इलेक्ट्रॉनिक खाता बही में क्रेडिट हो जाएगा – धारा 143।

प्र 2. मान लें कि एक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति, वर्ष 2016–17 की अंतिम तिमाही में पूंजीगत माल खरीदता है। जबकि चालान/बिल 31 मार्च के भीतर प्राप्त हो जाता है लेकिन पूंजीगत माल 5 अप्रैल, 2017 (यानि जी.एस.टी. व्यवस्था में) को प्राप्त होता है। क्या कथित व्यक्ति को 2017–18 में सेनवैट का पूरा क्रेडिट मिलेगा?

उत्तर: हाँ, वह वर्ष 2017–18 में पूरा क्रेडिट प्राप्त करने का हकदार होगा – धारा 144(1) का स्पष्टीकरण।

प्र 3. पिछले कानून में 'X' और 'Y' मदों पर पूंजीगत वस्तुओं के रूप में वैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। चूंकि वे जी.एस.टी. में शामिल किये जाते हैं, क्या अब पंजीकृत कराधीन व्यक्ति इनका दावा कर सकता है?

उत्तर: वह केवल तब क्रेडिट का हकदार होगा जब ऐसी वस्तुओं/माल पर आई.टी.सी. पहले कानून में स्वीकार्य था और वह जी.एस.टी. में भी स्वीकार्य होगा। चूंकि दो मदों पर क्रेडिट पहले कानून के अंतर्गत उपलब्ध नहीं था, कथित व्यक्ति जी.एस.टी. में यह दावा नहीं कर सकता – धारा 144(1) के प्रावधान।

प्र 4. मान लिया जाये कि कथित व्यक्ति ने गलत तरीके से क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया है, क्या जी.एस.टी. या इससे पहले कानून में वसूली की जाएगी?

उत्तर: गलत तरीके से आई.टी.सी. का लाभ प्राप्त करने पर केवल जी.एस.टी. के अंतर्गत वसूली की जाएगी – धारा 143 से 146

प्र 5. दो पंजीकृत कराधीन व्यक्तियों के उदाहरण दें जो पहले कानून के अंतर्गत पंजीकरण के लिये जिम्मेदार नहीं थे लेकिन जी.एस.टी. के अंतर्गत उन्हें पंजीकृत करना अनिवार्य है?

उत्तर: मान लेते हैं कि एक निर्माता जिसका टर्नओवर/कुल बिक्री 60 लाख रुपए है और वह पहले एस.एस.आई. छूट का फायदा उठा रहा था, उसे जी.एस.टी. में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा क्योंकि उसका टर्नओवर 10 लाख रुपये की बुनियादी सीमा से अधिक है।

एक व्यापारी जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से बिक्री करता है उसकी टर्नओवर सीमा से कम है उसे जी.एस.टी. में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई सीमा नहीं होगी – धारा 145 धारा 9 और अनुसूची III के साथ पढ़ें।

प्र 6. क्या एक सेवा प्रदाता को किसी नियत दिन स्टॉक के रूप में रखी इनपुट पर वैट के भुगतान के लिये आई.टी.सी. की अनुमति दी जाएगी?

उत्तर: नहीं, वैट सेवाओं को शामिल नहीं करता। इसके अंतर्गत, केवल वस्तुएं/माल शामिल किये जाते हैं।

प्र 7. एक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति के पास उसके पहले रिटर्न से पिछले कानून के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में 1000 रुपये आई.टी.सी. जमा है। अब, वह जी.एस.टी. में संरचना योजना में परिवर्तित हो जाता है, क्या उसे आई.टी.सी. रिफंड/वापस होगा?

उत्तर: नहीं, उसे संरचना योजना में परिवर्तित होने की तारीख से तुरन्त पहले की नियत तारीख पर रखी इनपुट के स्टॉक पर इनपुट टैक्स के क्रेडिट के समतुल्य राशि का भुगतान करना होगा। राशि या तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही या इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाता बही के माध्यम से भुगतान की जा सकती है। जहाँ भुगतान इलेक्ट्रॉनिक

क्रेडिट खाता बही के माध्यम से किया जाता है, अतिरिक्त आई.टी. सी. रखा हुआ शेष, यदि कोई है, समाप्त हो जाएगा।

प्रासंगिक धारा 147।

प्र .8 सीएसटी (अर्थात् केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम) के अंतर्गत रिटर्न/वापसी (Sales return) टर्नओवर/कुल बिक्री से कटौती के रूप में 6 महीने के भीतर स्वीकार्य है? यदि, मान लें कि, एक खरीदार द्वारा बिक्री के 6 महीने के बाद वस्तुएं/माल जी.एस.टी. में वापस किया गया है, क्या वह सीएसटी या जी.एस.टी. में कराधीन होगा?

उत्तर: सबसे पहले, यह पता लगाएं कि क्या वह वस्तुएं/माल जी. एस.टी. में कराधीन है या नहीं। दूसरा यह जांच करें कि क्या वह वस्तुएं/माल नियत दिन के 6 महीने के बाद वापस लौटाई गयी हैं। यदि दोनों प्रश्नों के उत्तर 'हां' में हैं तब जो व्यक्ति वस्तुएं/माल वापस लौटा रहा है उसे कर का भुगतान करना होगा।

हालांकि, जहां वस्तुएं/माल नियत दिन से 6 महीने के भीतर वापस लौटायी जाती है, वापस लौटाने वाले व्यक्ति को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा यदि वस्तुओं/माल की पहचान हो जाती है और उसकी बिक्री के समय पहले कानून के अंतर्गत कर का भुगतान कर दिया जाता है, नियत दिन से 6 महीने पहले कि बिक्री पर नहीं। प्रासंगिक धारा 149 है।

प्र 9. क्या एक निर्माता या जॉब वर्कर कर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा यदि इनपुट या अर्ध-तैयार माल पहले कानून के अंतर्गत जॉबवर्क के लिए भेजा गया था और नियत दिन के बाद जॉबवर्क पूरा होने के बाद वापस लौटा जाता है?

उत्तर: निर्माता या जाब वर्कर द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई कर देय नहीं होगा:

- पहले कानून के प्रावधानों के अनुसार नियत दिन से पहले इनपुट्स/अर्द्ध तैयार माल जॉब वर्कर के पास भेजा जाता है।
- जॉब वर्कर नियत दिन (या 2 महीने की विस्तारित अवधि) से छह महीने के भीतर उस माल को वापस लौटा देता है।
- निर्माता और जॉब वर्कर निर्धारित प्रपत्र में नियत दिन पर जॉब वर्कर के पास रखे गये स्टॉक के विवरण घोषित करेंगे।

प्रासंगिक धाराएं धारा 150 और धारा 151 हैं।

प्र 10. यदि जॉब वर्कर निर्धारित समय के भीतर वस्तुएं/माल वापस नहीं करता है, उस स्थिति में क्या होता है?

उत्तर: जॉब वर्कर पर कर देय होगा। इसके अतिरिक्त, निर्माता भी निर्धारित समय सीमा की समाप्ति पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा – धारा 150(1) और धारा 151(1)।

प्र 11. क्या एक निर्माता तैयार माल को परीक्षण के प्रयोजन के लिये किसी अन्य कराधीन व्यक्ति के परिसर पर हस्तांतरित कर सकता है?

उत्तर: हाँ, पहले कानून के प्रावधानों के अनुसार एक निर्माता कथित वस्तुओं/माल को किसी अन्य कराधीन व्यक्ति के परिसर में निर्यात के लिये नियत दिन के 6 महीने के भीतर या विस्तारित अवधि पर कर का भुगतान करने के बाद या बिना कर का भुगतान किये हस्तांतरित कर सकता है – धारा 152।

प्र 12. पहले कानून के अंतर्गत यदि तैयार वस्तुओं/माल को कुछ प्रक्रियाएं करने के लिये कारखाने से बाहर ले जाया जाता है और नियत दिन पर या उसके बाद वापस लौटा दिया जाता है, क्या उस पर जी.एस.टी. देय होगा?

उत्तर: जहां वस्तुओं/माल को कोई प्रक्रिया पूरा करने के लिये भेजा जाता है और जो विनिर्माण नहीं है नियत दिन (या विस्तारित 02 महीने की अवधि) से 6 महीने के भीतर लौटा दिया जाता है वहां जी.एस.टी. में निर्माता या जॉब वर्कर द्वारा कोई कर देय नहीं होगा – धारा 152

प्र 13. पुराने कानून के अंतर्गत जॉब वर्कर के पास विनिर्मित वस्तुओं/माल भेजने पर जी.एस.टी. में कब कर देय होगा?

उत्तर: माल लौटाने वाला व्यक्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि कथित वस्तुएं/माल जी.एस.टी. में कर के लिए उत्तरदायी हैं और नियत दिन से 6 महीने बाद उन्हें वापस लौटा जाता है – धारा 152 के प्रावधान।

प्र 14. क्या धारा 150, धारा 151 और धारा 152 में चर्चा के अनुसार दो महीने का विस्तार स्वचालित है?

उत्तर: नहीं, यह स्वचालित नहीं है। इसे पर्याप्त कारण प्रकट करने पर केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तारित किया जाएगा।

प्र 15. कीमतों में संशोधन के लिए डेबिट/क्रेडिट नोट(स) जारी करने के लिए क्या समय सीमा है?

उत्तर: कराधीन व्यक्ति कीमतों में संशोधन करने के 30 दिनों के भीतर डेबिट/क्रेडिट नोट(स) या पूरक चालान/बिल जारी कर सकता है।

किसी मामले में जहां कीमतें कम करके संशोधित की जाती हैं कराधीन व्यक्ति को अपने कर दायित्व कम करने के लिए अनुमति केवल तब दी जाएगी जब चालान या क्रेडिट नोट प्राप्तकर्ता ने अपनी आई.टी.सी. की कथित कर देयता में उसी समरूपता में कमी की है – धारा 153।

प्र 16. पहले कानून के अंतर्गत लंबित कर के रिफंड/ब्याज का क्या परिणाम होगा?

उत्तर: लंबित कर के रिफंड के दावों का निपटारा पहले कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा – धारा 154।

प्र 17. पहले कानून के अंतर्गत लंबित सेनवैट/आई.टी.सी. के दावों की किसी अपील या संशोधन का क्या परिणाम होगा? यदि ऐसा कहें, वह उत्पादन के दायित्व से संबंधित है तब?

उत्तर: दोनों मामलों में इसका निपटारा पहले कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा – धारा 155/156।

प्र 18. यदि अपीलीय या पुनरीक्षण आदेश निर्धारिती के पक्ष में जाता है, क्या जी.एस.टी. में रिफंड दिया जाएगा? यदि निर्णय निर्धारिती के विरुद्ध जाता है, तब उस स्थिति में क्या परिणाम होगा?

उत्तर: रिफंड केवल पहले कानून के प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा। किसी मामले में यदि कोई वसूली की जानी है तब इसे जी.एस.टी. के अंतर्गत कर के बकाया के रूप में लिया जाएगा।

प्र 19. पहले कानून के अंतर्गत प्रस्तुत संशोधित रिटर्न से उत्पन्न रिफंड के साथ जी.एस.टी. में कैसे निपटा जाएगा?

उत्तर: रिफंड पहले कानून के प्रावधानों के अनुसार में वापस किये जाएंगे – धारा 158।

प्र 20. पहले कानून के अंतर्गत किये अनुबंध के अनुसरण में, यदि वस्तुओं या सेवाओं की जी.एस.टी. में आपूर्ति की गई है तो कौन सा कर देय होगा?

उत्तर: इस तरह की आपूर्ति पर जी.एस.टी. देय होगा – धारा 159।

प्र 21. यदि पहले कानून के अंतर्गत सेवाओं की विशेष आपूर्ति के लिए प्रतिफल प्राप्त किया गया है और उस पर कर का भुगतान किया गया है, तब क्या जी.एस.टी. व्यवस्था में कथित आपूर्ति पर जी.एस.टी. भी देय होगा?

उत्तर: वस्तुओं/सेवाओं की नियत दिन या उसके बाद आपूर्ति पर कोई कर देय नहीं होगा यदि उसके लिये नियत दिन से पहले प्रतिफल प्राप्त किया गया है और उसके लिये शुल्क/कर पहले से ही पहले कानून के अंतर्गत भुगतान कर दिए गये हैं – धारा 160।

प्र 22. पहले कानून के अंतर्गत वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति की गई है लेकिन प्रतिफल (रिटेंशन मनी कहते हैं) का एक भाग जी.एस.टी. व्यवस्था में प्राप्त होता है, क्या जी.एस.टी. में कर देय होगा?

उत्तर: नहीं, बशर्ते कथित आपूर्ति पर पूरा शुल्क/कर का भुगतान पहले कानून के अंतर्गत पहले से ही कर दिया गया है – धारा 161।

प्र 23. यदि आई.एस.डी. द्वारा सेवाएँ, पहले कानून के अंतर्गत प्राप्त की गई हैं, क्या इससे संबंधित आई.टी.सी. को जी.एस.टी. व्यवस्था में वितरित किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ, बिना इस पर विचार किये कि क्या कथित सेवाओं के संबंध में चालान(नों)/बिलों को नियत दिन पर या उसके बाद प्राप्त किया गया है – धारा 162।

प्र 24. जहाँ किसी नियत दिन पर प्रिंसिपल से संबंधित वस्तुएं/माल (पूँजीगत माल सहित) एजेंटों के पास रखी हैं, क्या एजेंट उन वस्तुओं/माल पर आई.टी.सी. लेने में सक्षम होगा?

उत्तर: एजेंट निम्न शर्तों को पूरा करने पर कथित क्रेडिट ले सकते हैं:—

- एजेंट जी.एस.टी. में एक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति है;
- प्रिंसिपल और एजेंट दोनों को नियत दिन से ठीक एक दिन पहले की तारीख पर एजेंटों के पास रखे स्टॉक के विवरण घोषित करने होंगे;

- इस तरह के माल के लिए चालान/बिल नियत दिन के 12 महीने पहले जारी नहीं होने चाहिए;
- प्रिंसिपल ने कथित वस्तुओं/माल पर या तो आई.टी. सी. को उलट/रिवर्स कर दिया है या उसने लाभ नहीं उठाया है।

यह प्रावधान केवल एसजी.एस.टी. कानून के लिए लागू है —धारा 162ए और धारा 162बी।

प्र 25. नियत दिन से पहले वस्तुएं/माल मंजूरी के लिये भेजे गये थे लेकिन नियत दिन से 6 महीने के बाद विक्रेता को वह वापस लौटा दिये जाते हैं, क्या जी.एस.टी. में उन पर कर देय होगा?

उत्तर: हाँ, यदि जी.एस.टी. में वह वस्तुएं/माल कर के लिए उत्तरदायी हैं और जो व्यक्ति इन्हें अस्वीकार या स्वीकृत नहीं करता, उसे नियत दिन से 6 महीने (2 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है) के बाद वापस लौटा देता है।

यह प्रावधान केवल एसजी.एस.टी. कानून के लिए लागू है—धारा 162डी।

करदाता सेवाएं महानिदेशालय
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

www.cbec.gov.in